



**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन  
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए**



**लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest**

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
वर्ष 2019 की प्रतिवेदन संख्या 1**



**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन  
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए**

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
वर्ष 2019 की प्रतिवेदन संख्या 1**



**विषय सूची**

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सारांश		vii से ix
<b>अध्याय-1</b>		
<b>राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त</b>		
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)	1.1	1
रा.रा.क्षे. दिल्ली के संसाधन	1.2	4
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	6
पूँजीगत प्राप्तियाँ	1.4	11
संसाधनों के अनुप्रयोग	1.5	12
व्यय की गुणवत्ता	1.6	14
सरकारी व्यय तथा निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.7	16
परिसंपत्तियाँ व देयताएँ	1.8	20
ऋण प्रबंधन	1.9	21
राजकोषीय असंतुलन	1.10	23
राज्य वित्त के पिछले प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.11	26
निष्कर्ष	1.12	27
<b>अध्याय-2</b>		
<b>वित्तीय प्रबंधन तथा बजट नियंत्रण</b>		
प्रस्तावना	2.1	29
विनियोजन लेखों का सारांश	2.2	30
वित्तीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन	2.3	31
व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित की गई वसूलियाँ	2.4	35
अनुदान सं. 11- शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग की संवीक्षा के परिणाम	2.5	35
निष्कर्ष	2.6	36

**अध्याय-3**  
**वित्तीय रिपोर्टिंग**

लेखाकरण मानकों की अनुपालना	3.1	37
उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलंब	3.2	37
लेखों का गैर-प्रस्तुतीकरण/प्रस्तुतीकरण में विलंब	3.3	38
व्यक्तिगत जमा खाते	3.4	39
असमायोजित सार आकस्मिक बिल	3.5	40
मुख्य शीर्ष-7610-सरकारी कर्मचारियों को ऋण के अंतर्गत ऋणात्मक शेष	3.6	41
लघु शीर्ष 800-‘अन्य प्राप्तियाँ’ तथा ‘अन्य व्यय’ के अंतर्गत बुकिंग	3.7	43
निष्कर्ष	3.8	44

क्र. सं.	परिशिष्ट	पृष्ठ
1.1	रा.रा.क्षे. दिल्ली की रूपरेखा	47
1.2	सरकारी लेखों की संरचना एवं बनावट	48
1.3	राजकोषीय स्थिति के निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली	50
1.4	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त पर समय श्रेणी आँकड़े	51
1.5	विभिन्न निकायों से ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण	53
1.6	वर्ष 2017-18 के लिए प्राप्तियों तथा संवितरणों का सार	54
1.7	2017-18 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के ब्यौरे जहाँ अनुदान प्राप्त नहीं किए गए थे	58
2.1	₹ 50 करोड़ तथा अधिक की बचतों के साथ अनुदानों की सूची	59
2.2	विभिन्न अनुदान/विनियोजन का विवरण जहाँ संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ और उससे अधिक)	60
2.3	अनावश्यक पूरक प्रावधान	63
2.4	निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन (जहाँ अंतिम बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थीं)	64
2.5	वास्तविक प्रावधानों के 70 प्रतिशत तथा ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के मामले	67
2.6	₹ एक करोड़ और अधिक की बचतें जिसका अभ्यर्पण नहीं हुआ, का विवरण	69
2.7	वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर व्यय का द्रुतप्रवाह	70
2.8	अवास्तविक बजटिंग के कारण संपूर्ण प्रावधानों की बचत	71
3.1	31 मार्च 2018 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण	75
3.2	निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा की स्थिति का विवरण	77
	शब्दावली	79



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के सेक्शन 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ताकि इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के समक्ष रखा जा सके।

इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 तथा 2 में मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के क्रमशः वित्त लेखों तथा विनियोजन लेखों की जाँच के उपरान्त सामने आए मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को सम्मिलित किया गया है।

‘वित्तीय रिपोर्टिंग’ पर अध्याय 3 विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधियों तथा निर्देशों के अनुपालन की स्थिति को दर्शाता है।

विभिन्न विभागों के लेन-देन की लेखापरीक्षा तथा निष्पादन लेखापरीक्षा की प्राप्तियों सहित प्रतिवेदन, सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा, बोर्डों, सरकारी कंपनियों एवं राजस्व क्षेत्र की अभ्युक्तियों के प्रतिवेदन को पृथक रूप से प्रस्तुत किया गया है।



# कार्यकारी सारांश



## कार्यकारी सारांश

मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के लेखापरीक्षित लेखों तथा जनगणना एवं रा.रा.क्षे.दि.स. जैसे विभिन्न माध्यमों से संग्रहित अतिरिक्त जानकारी पर आधारित यह प्रतिवेदन सरकार के वार्षिक लेखों का विश्लेषणात्मक पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है। प्रतिवेदन की संरचना तीन अध्यायों में की गई है।

**अध्याय 1** वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त का विस्तृत परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। यह गत पाँच वर्षों के दौरान कुल प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष के मुख्य राजकोषीय संचय संबंधी विवेचनात्मक परिवर्तनों का भी विश्लेषण करता है।

**अध्याय 2** विनियोजन लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है और यह विनियोजन का अनुदानवार विवरण तथा सेवा प्रदान करने वाले विभागों द्वारा किस प्रकार आवंटित संसाधनों का प्रबंधन किया गया था, को दर्शाता है।

**अध्याय 3** रा.रा.क्षे.दि.स. की विभिन्न वित्तीय नियमावली, कार्यविधियों तथा निर्देशों की अनुपालना का विहंगावलोकन तथा स्थिति है।

### अध्याय 1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त

दिल्ली ने गत पाँच वर्षों 2013-14 से 2017-18 तक राजस्व अधिशेष को अनुरक्षित रखा। राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में 12.58 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कर राजस्व और गैर-कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 14.70 प्रतिशत एवं 101.05 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

भारत सरकार से प्राप्त होने वाले सहायता अनुदानों में ₹ 2,825 करोड़ (2016-17) से घटकर ₹ 2,184 करोड़ (2017-18) हो गई। इसमें केन्द्रीय करों के हिस्सेदारी के बदले भारत सरकार से अनुदान शामिल थे जो 2001-02 से ₹ 325 करोड़ पर स्थिर रहा यद्यपि, केन्द्रीय कर संग्रह 2001-02 से पर्याप्ततः बढ़ गया है।

2017-18 के दौरान कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 10.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय, 2017-18 के दौरान कुल व्यय का 86 प्रतिशत था जबकि पूंजीगत व्यय तथा ऋण व अग्रिम क्रमशः 8.26 प्रतिशत तथा 5.73 प्रतिशत थे। कुल व्यय में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं की हिस्सेदारी,

जो कि विकास व्यय को प्रदर्शित करती है, पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

31 मार्च 2018 तक सरकार ने ₹ 19,173 करोड़ सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों तथा सहकारी संस्थाओं में निवेश किया था। इन निवेशों पर प्रतिफल 0.08 प्रतिशत था जबकि 2017-18 के दौरान सरकार द्वारा अपनी उधारियों पर 8.58 प्रतिशत औसत दर से ब्याज का भुगतान किया गया।

**1998-2018 के दौरान दिल्ली जल बोर्ड को संवितरित किए गए ₹ 26,620.04 करोड़ की ऋण राशि के प्रति, 31 मार्च 2018 तक ₹ 26,268.89 करोड़ का बकाया छोड़कर ₹ 351.16 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया था। बकाया ऋणों पर ब्याज देयता प्रधान लेखा कार्यालय तथा कार्यकारी एजेंसियों द्वारा समाधान के अधीन है।**

**1996-2011 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम को ₹ 11,837.69 करोड़ की ऋण राशि संवितरित की गई थी। इसके प्रति 31 मार्च 2018 तक ₹ 11,676.14 करोड़ बकाया छोड़कर ₹ 161.55 करोड़ वापस किया गया है। इन ऋणों पर ₹ 20,818.07 करोड़ की ब्याज देयता 31 मार्च 2018 तक बकाया था।**

**31 मार्च 2018 तक ₹ 2,037.54 करोड़, ₹ 1,395.90 करोड़ और ₹ 381.45 करोड़ की ऋण राशि क्रमशः उत्तरी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम तथा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के प्रति बकाया थे। बकाया ऋणों पर ब्याज देयता प्रधान लेखा कार्यालय तथा कार्यकारी एजेंसियों के द्वारा समाधान के अधीन है।**

रा.रा.क्षे.दि.स. की कुल राजकोषीय देयताएँ 2017-18 में ₹ 33,569 करोड़ थीं। राजकोषीय देयताएँ जीएसडीपी का 4.89 प्रतिशत, राजस्व प्राप्तियों के 86.81 प्रतिशत तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली के अपने संसाधनों के 92.01 प्रतिशत थीं।

यद्यपि, रा.रा.क्षे. दिल्ली में विगत पाँच वर्षों में राजस्व अधिशेष था, राजस्व अधिशेष 2017-18 में पिछले वर्ष की तुलना में 2.59 प्रतिशत कम हो गया तथा जीएसडीपी के 0.72 प्रतिशत रहा।

2016-17 में ₹ 1,051 करोड़ का राजकोषीय घाटा 2017-18 में ₹ 113 करोड़ के राजकोषीय अधिशेष में बदल गया तथा जीएसडीपी का 0.02 प्रतिशत रहा।

सरकार ने गत चार वर्षों 2014-15 से 2017-18 तक के लिए प्राथमिक अधिशेष अनुरक्षित रखा। प्राथमिक अधिशेष पिछले वर्ष की तुलना में 62.88 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा 2017-18 में जीएसडीपी का 0.43 प्रतिशत रहा।

## अध्याय 2 वित्तीय प्रबंधन तथा बजट नियंत्रण

2017-18 के दौरान ₹ 49,202.08 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति ₹ 41,159.42 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8,042.66 करोड़ (16.35 प्रतिशत) की बचत हुई।

11 उपशीर्षों में ₹ 34.94 करोड़ की राशि का पूरक प्रावधान अनावश्यक था। 37 उपशीर्षों में निधियों का पुनः विनियोजन, जहां अंतिम बचत एक करोड़ रुपये से अधिक थी, को अनुचित रूप से किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 283.98 करोड़ का अनुपयोगी/अतिरिक्त प्रावधान हुआ।

25 उप-शीर्षों के संबंध में ₹ 1,249.81 करोड़ का पर्याप्त अभ्यर्पण किया गया जिनमें से तीन उप-शीर्षों में 100 प्रतिशत राशि ₹ 150 करोड़ अभ्यर्पित हुए।

## अध्याय 3 वित्तीय रिपोर्टिंग

विभिन्न अनुदानित संस्थाओं द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलंब था जिसके परिणामस्वरूप उचित उपयोगिता का अनुदान सुनिश्चित नहीं किया जा सका। ₹ 4,455.75 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र दो से 10 वर्ष के बीच के समय से बकाया थे जबकि ₹ 2,497.89 करोड़ 10 वर्ष से अधिक समय से बकाया थे।

वर्ष 2016-17 तक पाँच निकायों/प्राधिकरणों के 18 वार्षिक लेखे मार्च 2018 तक प्राप्त नहीं हुए।

31 मार्च 2018 तक ₹ 402.43 करोड़ के सार आकस्मिक बिल के बकाया शेष को छोड़कर, ₹ 607.64 करोड़ के सा.आ. बिल की राशि के प्रति ₹ 205.21 करोड़ (33.77 प्रतिशत) की कुल राशि के विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल की प्राप्ति हुई थी। 2017-18 के दौरान ₹ 176.06 करोड़ के सा.आ. बिल के प्रति ₹ 90.85 करोड़ (51.60 प्रतिशत) की राशि मार्च 2018 से संबंधित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत व्यय और प्राप्तियों की महत्वपूर्ण राशियों को '800 अन्य व्यय' एवं '800 अन्य प्राप्तियां' लघु शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किए गए थे।



## **अध्याय - 1**

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त**



## अध्याय-1

### राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त

#### प्रस्तावना

यह अध्याय 2017-18 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) दिल्ली सरकार के वित्त का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है और पिछले पाँच वर्षों के दौरान संपूर्ण प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पूर्व वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय संचयनों में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। परिशिष्ट 1.2 भाग (क) में सरकारी लेखों के ढांचे तथा प्रकार को स्पष्ट किया गया है तथा परिशिष्ट 1.2 भाग (ख) में वित्त लेखों के ले-आउट को दर्शाया गया है। वित्त लेखों में “लेखों की व्याख्या” नहीं होती है जो वित्तीय विवरणों में दी गई जानकारी से संबंधित विवरण के बारे में महत्वपूर्ण खुलासे करती है।

परिशिष्ट 1.3 में राजकोषीय स्थिति के निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली दी गई है।

#### 1.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)

स.रा.घ.उ. एक दी गई समयावधि में राज्य में सभी सरकारी मान्यता प्राप्त अन्तिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजारी मूल्य है। स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की जनसंख्या के जीवन स्तर का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2017-18 में ₹ 6,86,017 करोड़ था। वर्तमान मूल्य पर इसका स.रा.घ.उ. पिछले दशक में अखिल भारत के औसत स.घ.उ. वृद्धि (12.90 प्रतिशत) की तुलना में उच्च दर (15.40 प्रतिशत) पर बढ़ा है। पिछले दशक में अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति स.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (11.50 प्रतिशत) की तुलना में रा.रा.क्षे. का प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (12.10 प्रतिशत) आंशिक रूप से बढ़ा हुआ था (परिशिष्ट 1.1)।

वर्तमान एवं अचल मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली के स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि में प्रवृत्तियों को तालिका 1.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली की तुलना में भारत के स.घ.उ./स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>वर्तमान मूल्य</b>					
भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,12,33,522	1,24,67,959	1,37,64,037	1,52,53,714	1,67,73,145
स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.97	10.99	10.40	10.82	9.96
दिल्ली का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	4,43,960	4,94,885	5,48,081	6,16,826	6,86,017
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.43	11.47	10.75	12.54	11.22
<b>अचल मूल्य (आधार वर्ष 2011-12)</b>					
भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	98,01,370	1,05,27,674	1,13,86,145	1,21,96,006	1,30,10,843
स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	6.39	7.41	8.15	7.11	6.68
राज्य की स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	3,92,908	4,28,899	4,74,058	5,14,871	5,56,800
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.17	9.16	10.53	8.61	8.14

स्रोत: आर्थिक तथा सांख्यिकी विश्लेषण निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. तथा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

राज्य के स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर वर्तमान तथा अचल दोनों मूल्य पर भारत के स.घ.उ. से अधिक थी।

### 1.1.1 चालू वर्ष के राजकोषीय लेन-देन का सारांश

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के लेखे मुख्यतः दो भागों में होते हैं (क) समेकित निधि (ख) आकस्मिक निधि। दिल्ली के लिए लोक लेखे अलग नहीं होते। लोक लेखे से संबंधित लेन-देन (जमा, अग्रिम, प्रेषण एवं उचंत आदि) को संघ सरकार के लोक लेखों में समाविष्ट किया जाता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के अंत शेषों को समाविष्ट किया जाता है जो संघ सरकार के सामान्य रोकड़ के नकद शेष का अंश कहलाता है तथा सरकार के पास जमा के तौर पर समझा जाता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय देयता में लघु बचत संग्रहण बड़ी मात्रा में समाविष्ट होता है।

केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों की परिधि में दिल्ली नहीं आती है तथा उसे केवल संघीय कर तथा शुल्क के राज्य अंश के स्थान पर विवेकाधीन अनुदानों की प्राप्ति होती है।

तालिका 1.2 पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष (2017-18) के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के राजकोषीय लेन-देन का सार प्रस्तुत करता है। परिशिष्ट 1.4 प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण तथा चालू वर्ष के दौरान सम्पूर्ण राजकोषीय स्थिति का विवरण देता है।

तालिका 1.2: चालू वर्ष के राजकोषीय प्रचालनों का सार

(₹ करोड़ में)


प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2016-17	2017-18		2016-17	2017-18
	कुल	कुल	खण्ड-अ राजस्व	कुल	कुल
खण्ड-क राजस्व			राजस्व व्यय	29,302	33,754
राजस्व प्राप्तियाँ	34,346	38,667	सामान्य सेवाएँ	6,590	7,196
कर राजस्व	31,140	35,717	सामाजिक सेवाएँ	16,579	19,602
गैर-कर राजस्व	381	766	आर्थिक सेवाएँ	5,111	5,862
भारत सरकार से अनुदान	2,825	2,184	सहायता अनुदान तथा अंशदान	1,021	1,094
<b>खण्ड-ख पूँजीगत</b>			<b>खण्ड-ब पूँजीगत</b>		
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	-	पूँजीगत व्यय	3,754	3,243
ऋण व अग्रिमों की वसूलियाँ	212	691	संवितरित ऋण व अग्रिम	2,553	2,248
सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ	1,696	1,906	सार्वजनिक ऋण का पुनर्भूगतान	1,655	1,682
आकस्मिक निधि	0	2	आकस्मिक निधि से विनियोजन	0	2
आरंभिक नकद शेष#	3,655	2,645	अंतिम नकद शेष#	2,645	2,982
<b>कुल</b>	<b>39,909</b>	<b>43,911</b>		<b>39,909</b>	<b>43,911</b>

\* लघु बचतों में अधिकांशतः अंश के रूप में शामिल भारत सरकार से ऋण व अग्रिम में समाविष्ट है।

# भारत सरकार के सामान्य रोकड़ शेष के साथ समाविष्ट अंतिम शेष

### 1.1.3 बजट आकलन तथा वास्तविकताएँ

बजट दस्तावेज एक विशेष राजकोषीय वर्ष के लिए राजस्व तथा व्यय के आकलनों को बताते हैं। राजस्व तथा व्यय के आकलन को जितना सम्भव हो सही बनाना चाहिए जिससे सटीक कारणों का पता लगाने के लिए विभिन्नताओं को विश्लेषित किया जा सके। कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय पैरामीटरों के लिए बजट आकलन तथा वास्तविकताओं को चार्ट 1.1 में दिखाया गया है।



- ₹ 40,248 करोड़ के राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य के प्रति वास्तविक राजस्व प्राप्ति ₹ 38,667 करोड़ (96.07 प्रतिशत) थी।
- ₹ 36,600 करोड़ (97.59 प्रतिशत) की प्रत्याशित प्राप्ति के प्रति कर प्राप्ति के अधीन वसूली ₹ 35,717 करोड़ थी।
- ₹ 800 करोड़ की प्रत्याशित प्राप्ति के प्रति गैर-कर प्राप्ति ₹ 766 करोड़ (95.75 प्रतिशत) थी।
- ₹ 36,326 करोड़ के बजट प्रावधान की अपेक्षा वास्तविक राजस्व व्यय ₹ 2,572 करोड़ (7.08 प्रतिशत) तक कम था।
- पूँजीगत व्यय ₹ 7,173 करोड़ रहा जो कि बजट अनुमान ₹ 8,044 करोड़ के प्रति कम था।
- ₹ 1,840 करोड़ के प्रत्याशित राजकोषीय घाटे के प्रति सरकार ने रख-रखाव हेतु ₹ 113 करोड़ के राजकोषीय आधिक्य का प्रबंधन किया था।

राजस्व प्राप्ति के साथ साथ राजस्व व्यय बजटीय लक्ष्यों से मामूली कम थे। राजस्व आधिक्य आकलनों से अधिक था।

### 1.1.4 उत्प्लावकता अनुपात

उत्प्लावकता अनुपात मूल परिवर्तन में दिए गए बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय परिवर्तन की देयताओं की प्रत्यास्थता अथवा श्रेणी को दर्शाती है। राजस्व

प्राप्तियों, रा.रा.क्षे. की अपनी कर प्राप्तियाँ, कुल व्यय तथा राजकोषीय देयताओं के उत्प्लावकता अनुपात को नीचे तालिका 1.3 में दिया गया है।

**तालिका 1.3: स.रा.घ.उ. की तुलना में प्राप्तियों, व्यय तथा राजकोषीय देयताओं का उत्प्लावकता अनुपात**

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	4,43,960	4,94,885	5,48,081	6,16,826	6,86,017
स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	13.43	11.47	10.75	12.54	11.22
<b>राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.)</b>					
वर्ष के दौरान रा.प्रा. (₹ करोड़ में)	27,981	29,585	34,999	34,346	38,667
रा.प्रा. की वृद्धि की दर (प्रतिशत में)	9.47	5.73	18.30	-1.87	12.58
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में रा.प्रा. की उत्प्लावकता	0.70	0.50	1.70	-0.15	1.12
<b>रा.रा.क्षे. दिल्ली का अपना कर-राजस्व (अ.क.रा.)</b>					
वर्ष के दौरान अ.क.रा. (₹ करोड़ में)	25,919	26,604	30,226	31,140	35,717
अ.क.रा. की वृद्धि की दर (प्रतिशत में)	10.61	2.64	13.61	3.02	14.70
स.रा.घ.उ. सहित अ.क.रा. की उत्प्लावकता	0.79	0.23	1.27	0.24	1.31
<b>कुल व्यय (कु. व्य.)</b>					
वर्ष के दौरान कु. व्य. (₹ करोड़ में)	32,726	29,593	33,750	35,609	39,244
कु. व्य. की वृद्धि की दर (प्रतिशत में)	14.54	-9.57	14.05	5.51	10.21
स.रा.घ.उ. सहित कु. व्य. की उत्प्लावकता	1.08	-0.83	1.31	0.44	0.91
<b>राजकोषीय देयता (रा.दे.)</b>					
वर्ष की समाप्ति पर रा.दे. (₹ करोड़ में)	32,080	32,498	33,304	33,345	33,569
रा.दे. की वृद्धि की दर (प्रतिशत में)	9.70	1.30	2.48	0.12	0.67
स.रा.घ.उ. सहित रा.दे. की उत्प्लावकता	0.72	0.11	0.23	0.01	0.06

स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे


\* लघु बचत संग्रहण की अधिक मात्रा रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय देयताओं में शामिल है।

स.रा.घ.उ. की तुलना में पैरामीटर की उत्प्लावकता यदि कम है तो इसका अर्थ है कि पैरामीटर में संबंधित परिवर्तन राज्य की आय में ऐसे परिवर्तन से कम थे। यह देखा जा सकता है कि स.रा.घ.उ. के संदर्भ में रा.प्रा. तथा अ.क.रा. की उत्प्लावकता 2016-17 की तुलना में 2017-18 के दौरान अधिक थी। 2017-18 के दौरान स.रा.घ.उ. हेतु रा.प्रा. तथा अपना कर राजस्व का उत्प्लावकता अनुपात एक से अधिक था जो उत्साहजनक है। स.रा.घ.उ. हेतु कु.व्य. की उत्प्लावकता अनुपात मुख्य रूप से वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय में कटौती के कारण एक से कम थी। राजस्व व्यय पिछले वर्ष से 15.19 प्रतिशत बढ़ गया था।


## 1.2 रा.रा.क्षे. दिल्ली के संसाधन

राजस्व तथा पूँजी प्राप्तियों की दो धारा हैं जो सरकार के संसाधनों को बनाती हैं। राजस्व प्राप्तियाँ कर राजस्व, गैर-कर राजस्व तथा भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदान द्वारा बनती हैं। पूँजीगत प्राप्तियाँ विविध पूँजीगत प्राप्तियों जैसे कि विनिवेश से आय, ऋण तथा अग्रिम की वसूली और ऋण प्राप्तियों (भा.स. से ऋण तथा अग्रिम) से बनती हैं। तालिका 1.2 कुल प्राप्तियों संसाधनों के घटकों को दर्शाती है। चार्ट 1.3 में 2013-18 के दौरान प्राप्तियों के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को दर्शाता है।

चार्ट 1.2: वर्ष 2017-18 के संसाधनों के घटक तथा उप-घटक



\*प्रारम्भिक शेष को छोड़कर



2013-18 के दौरान रा.रा.क्षे. की कुल प्राप्तियाँ ₹ 8,318 करोड़ (25.25 प्रतिशत) तक बढ़ गई। राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 10,686 करोड़ (38.19 प्रतिशत) तक बढ़ गई। पूँजीगत प्राप्तियाँ, जिसमें ऋण तथा अग्रिमों, की वसूली तथा ऋण प्राप्तियाँ की वसूली (भा.स. से ऋण तथा अग्रिम) शामिल थी, 2013-18 के दौरान मुख्य रूप से लोक ऋण प्राप्तियाँ में 54.21 प्रतिशत की कमी के कारण ₹ 2,368 करोड़ (47.69 प्रतिशत) की कमी हुई।

2017-18 में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियाँ 93.71 प्रतिशत तथा पूंजीगत प्राप्तियों के घटक 6.29 प्रतिशत था।

### 1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियाँ राज्य के कर तथा गैर-कर राजस्व तथा भा.स. से सहायता अनुदान द्वारा गठित होती हैं।


2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को तालिका 1.4 तथा परिशिष्ट 1.4 में दर्शाया गया है। राजस्व प्राप्तियाँ 2013-14 में ₹ 27,981 करोड़ से, 8.42 प्रतिशत प्रति वर्ष की औसत दर से बढ़कर 2017-18 में ₹ 38,667 करोड़ हो गई; जिसमें से रा.रा.क्षे. के अपने राजस्व और सहायता अनुदान में उक्त अवधि के दौरान क्रमशः ₹ 9,905 करोड़ (37.27 प्रतिशत) और ₹ 781 करोड़ (55.67 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

तालिका 1.4: राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.) (₹ करोड़ में)	27,981	29,585	34,999	34,346	38,667
रा.प्रा. की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	9.47	5.73	18.30	-1.87	12.58
रा.रा.क्षे. दिल्ली के स्वयं का कर राजस्व (₹ करोड़ में)	25,919	26,604	30,226	31,140	35,717
कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.61	2.64	13.61	3.02	14.70
सहायता अनुदान (₹ करोड़ में)	1,403	2,348	4,258	2,825	2,184
सहायता अनुदान की वृद्धि दर (प्रतिशत)	-7.13	67.35	81.35	-33.65	-22.69

रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजस्व प्राप्तियाँ 2017-18 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 12.58 प्रतिशत तक बढ़ गई। यह विशेष रूप से ₹ 4,577 करोड़ (14.70 प्रतिशत) के कर राजस्व तथा ₹ 385 करोड़ (101.05 प्रतिशत) के गैर राजस्व कर की वृद्धि के कारण हुई थी। यह वृद्धि भा.स. से ₹ 641 करोड़ (22.69 प्रतिशत) तक के सहायता अनुदान में कमी द्वारा आंशिक रूप से प्रतिभार थी।

2013-18 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के घटक चार्ट 1.4 में दिया गया है।



कुल राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे. का अपना कर राजस्व का अंश उत्तरोत्तर 2013-14 में 92.63 प्रतिशत से 2015-16 में 86.36 प्रतिशत घट गया तथा पुनः 2017-18 में 92.37 प्रतिशत तक बढ़ गया। गैर-कर राजस्व जैसे सकल राजस्व प्राप्तियों के अंश निरंतर 2013-14 में 2.36 प्रतिशत से 2017-18 में 1.98 प्रतिशत तक घटते चले गये। सहायता अनुदान का अंश 2013-14 में 5.01 प्रतिशत से 2017-18 में 5.65 प्रतिशत तक बढ़ गया।

### 1.3.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली के स्वयं के संसाधन

संसाधनों के संग्रह में रा.रा.क्षे. दिल्ली का निष्पादन उसके अपने संसाधनों के मूल्यांकन, जिसमें अपना कर एवं गैर-कर शामिल है, से होता है।

#### 1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों तथा शुल्कों के संदर्भ में सकल वसूली तालिका 1.5 में नीचे दी गई है जो 2013-18 के दौरान राज्य के अपने कर राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को भी दर्शाता है।

तालिका 1.5: रा.रा.क्षे. दिल्ली के अपने संसाधनों के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	17,926(13)	18,289(2)	20,246(11)	21,144(4)	11,149
एस.जी.एस.टी.					13,621
राज्य उत्पाद	3,152(10)	3,422(9)	4,238(24)	4,251(0.3)	4,453(5)
वाहनों पर कर	1,409(14)	1,559(11)	1,607(3)	1,809(13)	2,116(17)
स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क	2,969(-4)	2,780(-6)	3,433(23)	3,144(-8)	4,117(31)
भूमि राजस्व	-	62	1	2	2
माल तथा यात्रियों पर कर	-	-	-	-	-
अन्य कर <sup>1</sup>	463(10)	492(6)	701(42)	790(13)	259(-67)
<b>कुल</b>	<b>25,919(11)</b>	<b>26,604(3)</b>	<b>30,226(14)</b>	<b>31,140(3)</b>	<b>35,717(15)</b>

लघु कोष्ठकों में दर्शाई गई पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि  
स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

### वस्तु एवं सेवा कर

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) अधिनियम कार्यान्वित किया जोकि 1 जुलाई 2017 से प्रभावी था। जी.एस.टी. (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 के अनुसार, पाँच साल की अवधि तक जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के कारण हुई राजस्व की हानि के लिए केन्द्रीय सरकार राज्यों को मुआवजा देगी। राज्य को भुगतान किये जाने वाले मुआवजे की संगणना भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित किए गए, अन्तिम राजस्व आंकड़ों की प्राप्ति के पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए की जाएगी। जी.एस.टी. अधिनियम के अधीन आधार वर्ष (2015-16) के राजस्व आंकड़ों को अन्तिम रूप दिया गया था।

<sup>1</sup> अन्य करों में अचल संपत्ति के ऊपर, कृषि भूमि, कर एवं विद्युत शुल्क के अतिरिक्त बाकी कर अति है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली के मामले में आधार वर्ष (2015-16) के दौरान राजस्व ₹ 16,784 करोड़ था। राज्य में किसी वर्ष के लिए प्रक्षेपित राजस्व की संगणना उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व की तुलना में लागू प्रक्षेपित वृद्धि दर (14 प्रतिशत वार्षिक) द्वारा की जानी है।

2017-18 (1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 तक) के लिए प्रक्षेपित राजस्व आधार वर्ष के अनुसार ₹ 16,359 करोड़ था। ₹ 16,359 करोड़ के प्रक्षेपित राजस्व के प्रति, वर्ष 2017-18 के दौरान जी.एस.टी. के अधीन रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 16,019 करोड़ थी तथा ₹ 157 करोड़ का प्राप्त मुआवजा था जैसाकि तालिका 1.6 में दर्शाया गया है। इस प्रकार 31 मार्च 2018 तक मुआवजे की प्राप्ति में कुल मिलाकर ₹ 183 करोड़ की कमी थी।

तालिका 1.6: जीएसटी तथा प्राप्त मुआवजा

(₹ करोड़ में)

माह	संरक्षित किया गया राजस्व	संग्रहित किए गए पूर्व जीएसटी कर	संग्रहित किए गए एसजीएसटी	आईजीएसटी का अनंतिम अनुमोदन	कुल प्राप्त राशि	प्राप्त मुआवजा	कमी/अधिशेष
जुलाई 2017	1,817.71	1,745.17	0.65	0	1,745.82	115.00	
अगस्त 2017	1,817.71	266.04	1,047.67	448.41	1,762.12		
सितम्बर 2017	1,817.71	28.00	1,010.95	641.09	1,680.04	42.00	
अक्टूबर 2017	1,817.71	82.07	1,069.10	752.28	1,903.45		
नवम्बर 2017	1,817.71	60.09	951.22	750.68	1,761.99		
दिसम्बर 2017	1,817.71	20.12	856.62	695.95	1,572.69		
जनवरी 2018	1,817.71	30.58	1,092.46	616.19	1,739.23		
फरवरी 2018	1,817.71	24.08	933.14	1,244.69	2,201.91		
मार्च 2018	1,817.71	142.36	999.08	510.66	1,652.10		
<b>कुल</b>	<b>16,359.39</b>	<b>2,398.51</b>	<b>7,960.89</b>	<b>5,659.95</b>	<b>16,019.35</b>	<b>157.00</b>	<b>(-) 183.04</b>

स्रोत: वित्त लेखे एवं व्यापार एवं कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रदत्त सूचना

### आईजीएसटी का अग्रिम अनुमोदन

भा.स. आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17 के अंतर्गत राज्य सरकारों को आईजीएसटी बांटती है। राज्य कर विभाग, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (भा.स.) ने ₹ 735 करोड़ के अनुमोदन के अंतिम/अग्रिम निपटान की स्वीकृति (फरवरी 2018) इस शर्त के साथ दी कि अप्रैल 2018 से शुरू कर 10 समान किशतों में मासिक रिटर्न के आधार पर आईजीएसटी के नियमित निपटान से वर्ष 2018-19 में राशि समायोजित की जायेगी। हालांकि, भारत सरकार ने नवम्बर 2017 - मार्च 2018 के लिए राज्य को देय द्विमासिक मुआवजा के प्रति ₹ 735 करोड़ समायोजित किया था।

### 1.3.1.2 गैर कर राजस्व

2013-18 के दौरान राज्य के गैर-कर राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को तालिका 1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: 2013-18 को दौरान गैर-कर राजस्व की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
ब्याज प्राप्तियाँ	379(12)	351(-8)	82(-76)	82(0)	396(383)
लाभांश तथा लाभ	12(-54)	13(8)	12(-4)	11(-8)	16(45)
अन्य गैर-कर प्राप्तियाँ	268(3)	269(0.5)	421(56)	288(-32)	354(23)
क) लोक निर्माण कार्य	19	15	19	22	14
ख) चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	63	58	126	60	89
ग) शिक्षा	19	25	22	24	26
<b>कुल</b>	<b>659(5)</b>	<b>633(-4)</b>	<b>515 (-19)</b>	<b>381(-26)</b>	<b>766 (101)</b>

पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी हुई प्रतिशतता को लघु कोष्ठकों में दर्शाया गया है

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2013-18 के दौरान गैर-कर राजस्व में ₹ 107 करोड़ (16.24 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान 'ब्याज प्राप्तियाँ' में कमी मुख्यतः स्थानीय निकायों से ऋणों पर ब्याज की कम प्राप्ति के कारण हुई थी। गैर-कर राजस्व (₹ 766 करोड़) जो 2017-18 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 38,667 करोड़) का 1.98 प्रतिशत था, में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 385 करोड़ (101 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो मुख्यतः 2013-14 से 2016-17 तक की अवधि के ऋणों पर दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड द्वारा भुगतान किए गए ₹ 332 करोड़ के प्राप्त ब्याज के कारण हुई।

### 1.3.2 भारत सरकार से अनुदान सहायता

भारत सरकार ने 2017-18 के दौरान राज्यों को दी जाने वाली अ.स. के लिए योजनागत तथा गैर-योजनागत वर्गीकरण को बंद कर दिया। भारत सरकार से अ.स. के ब्यौरे तालिका 1.8 में दिए गए हैं:

तालिका 1.8: भा.स. से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
गैर-योजनागत अनुदान	327	328	2,905	1,119	-
राज्य/यू.टी. योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	718	1,467	487	550	-
केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	358	553	866	1,156	-
सीएसएस के लिए अनुदान	-	-	-	-	995
जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की कमी के लिए मुआवजा	-	-	-	-	157
अन्य स्थानांतरण/राज्यों/यूटी को अनुदान	-	-	-	-	1,032
<b>कुल</b>	<b>1,403(-7)</b>	<b>2,348(67)</b>	<b>4,258(81)</b>	<b>2,825(-34)</b>	<b>2,184(-23)</b>

भारत सरकार से स.अ. ₹ 2,825 करोड़ (2016-17) से घटकर ₹ 2,184 करोड़ (2017-18) हो गया जिसमें जी.एस.टी के कार्यान्वयन से होने वाले राजस्व की कमी के बदले ₹ 157 करोड़ का मुआवजा भी सम्मिलित था। स.अ. में ₹ 641 करोड़ (22.69 प्रतिशत) की कमी मुख्यतः पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (₹ 629 करोड़) के अंतर्गत कम प्राप्तियों के कारण हुई। इसके अतिरिक्त, 2017-18 के दौरान 16 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (परिशिष्ट 1.7) के अधीन किसी भी अनुदान की प्राप्ति नहीं हुई थी।

राज्य/के.शा.प्र. हेतु ₹ 1032 करोड़ के अन्य हस्तान्तरण/अनुदानों में केन्द्रीय करों के अंश के बदले भा.स. से अनुदानें सम्मिलित हैं जो 2001-02 से ₹ 325 करोड़ तक गतिरूढ़ रही। यद्यपि 2001-02 से केन्द्रीय कर वसूलियों में पर्याप्ततः वृद्धि हुई है।

भारत सरकार से पिछले वर्ष की तुलना में जिन योजनाओं को कम अनुदानों की प्राप्ति हुई वे 'सर्व शिक्षा अभियान' को 2016-17 में ₹ 95.78 करोड़ की तुलना में 2017-18 में ₹ 15.15 करोड़, 'दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन' का 2016-17 में ₹ 258.32 करोड़ की तुलना में 2017-18 में ₹ 141.49 करोड़, 'मिड-डे-मील स्कीम' के प्रबंधन, निगरानी एवं मूल्यांकन (एम.एम.ई.) हेतु 2016-17 में ₹ 83.04 करोड़ की तुलना में 2017-18 में ₹ 60.67 करोड़ थे।

अप्रैल-मई 2018 के माह में 'सर्वशिक्षा अभियान' तथा 'दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन' के अधीन वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 94.62 करोड़ तथा ₹ 66.93 करोड़ की स.अ. स्वीकृत/जारी की गई थी। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को मिड-डे-मील स्कीम के एम.एम.ई. के मामले में 2016-17 में ₹ 81.29 करोड़ की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई थी। राज्य अंश पूर्वाकलन ₹ 54.19 करोड़ (40 प्रतिशत) है। राज्य अंश के प्रति सरकार ने केवल ₹ 2.77 करोड़ जारी किए जिसके परिणामस्वरूप 2016-17 में ₹ 51.42 करोड़ कम जारी किए गए थे। यह राशि रा.रा.क्षे. दिल्ली द्वारा जारी नहीं की गई है जिससे 2017-18 के दौरान केंद्रीय अनुदान कम जारी किए गए थे।

2017-18 में 'स्मार्ट सिटी' के अधीन कोई भी स.अ. जारी नहीं किए गए थे चूँकि पिछले वर्ष 2016-17 के ₹ 194 करोड़ के स.अ. अव्ययित रहे थे।

### 1.3.3 भवन तथा अन्य निर्माण कार्मिक कल्याण उपकर

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार भवन तथा अन्य निर्माण कार्मिक कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत कार्मिकों द्वारा व्यय किए गए निर्माण की लागत पर उपकर की वसूली करता है। वसूल किए गए उपकर को निर्माणकारी कार्मिकों के लिए कल्याण योजनाओं पर व्यय किया जाता है। 2009-18 तक उपकर की उपयोगिता 0.45 से 38.42 प्रतिशत के बीच थी। 31 मार्च 2018 तक भवन तथा अन्य निर्माण कार्मिक कल्याण समिति के पास कुल ₹ 2,465.43 करोड़ का संचयित उपकर उपलब्ध था।

कल्याण योजनाओं पर निधियों का कम उपयोग किए जाने का बड़ा कारण बोर्ड के पास कार्मिकों के पंजीकरण का कम होना है। दिल्ली में मार्च 2018 तक अनुमानतः 10 लाख कार्मिकों में से केवल 1.49 लाख कार्मिक (15 प्रतिशत) ही बोर्ड के पास पंजीकृत थे।

विभाग/बोर्ड को कार्मिकों के कम पंजीकरण किए जाने के कारण की समीक्षा करनी चाहिए तथा पंजीकरण के लिए कार्मिकों को प्रोत्साहित करने एवं कल्याणकारी योजनाओं के लाभ उठाने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। विभाग/बोर्ड को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए इन निधियों की अधिकतम उपयोगिता को सुनिश्चित करना चाहिए तथा उपकर वसूली के निर्दिष्ट प्रयोजन की पूर्ति हेतु भवन तथा अन्य निर्माणकारी कार्मिकों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों को चलाना चाहिए।

#### 1.4 पूंजीगत प्राप्तियाँ

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ, भा.स. से ऋण के रूप में प्राप्तियाँ तथा विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित होती हैं, पाँच वर्षों (2013-18) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों को तालिका 1.9 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है:-

तालिका 1.9: प्राप्तियों के संघटक तथा वृद्धि में प्रवृत्तियाँ

रा.रा.क्षे. दिल्ली की प्राप्तियों के स्रोत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पूंजीगत प्राप्तियाँ (पू.प्रा.)	4,965	1,992	2,454	1,908	2,597
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	803	228	83	212	691
लोक ऋण प्राप्तियाँ	4,162	1,764	2,241	1,696	1,906
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की दर (प्रतिशत)					
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के विषय में	351	-58	27	-24	12
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के विषय में	11	-72	-63	155	225
स.रा.घ.उ. के विषय में	13.43	11.47	10.75	12.54	11.22
पूंजीगत प्राप्तियों के विषय में	201	-60	23	-22	36

§ भा.स. से प्राप्त किए गए ऋण तथा अग्रिम

गैर-ऋण प्राप्ति 2016-17 में ₹ 212 करोड़ से 225 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में ₹ 691 करोड़ तक हो गई। यह वृद्धि मुख्यतः “बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण” शीर्ष के अंतर्गत ₹ 623 करोड़ की मूल राशि की वसूली के कारण हुई थी। इसमें 2013-14 से 2017-18 तक के वर्षों के लिए दिल्ली ट्रांस्कों लिमिटेड द्वारा भुगतान किए गए ₹ 294.85 करोड़ की मूल राशि की वसूली सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, 2017-18 के दौरान स्थानीय निकायों/नगर पालिकाओं इत्यादि से ऋणों की ₹ 65 करोड़ की वसूली भी की गई थी।


#### 1.4.1 भा.स. से ऋण तथा अग्रिम

भा.स. से कुल बकाया ऋण तथा अग्रिम ₹ 224 करोड़ बढ़कर 2016-17 में ₹ 33,345 करोड़ से 2017-18 में ₹ 33,569 करोड़ हो गए। भा.स. से ₹ 1,906 करोड़ की ऋण राशि प्राप्त की गई थी तथा वर्ष के दौरान ₹ 1,682 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया था।

## 1.5 संसाधनों के अनुप्रयोग


### 1.5.1 व्यय की वृद्धि तथा संघटक


पिछले पाँच वर्षों (2013-18) की तुलना में कुल व्यय की प्रवृत्ति तथा संघटक को नीचे चार्ट 1.5, 1.6 तथा 1.7 में दर्शाया गया है:



पाँच वर्षों (2013-18) की अवधि में कुल व्यय 19.92 प्रतिशत तक बढ़ गया। पिछले पाँच वर्षों की अवधि में राजस्व व्यय 2013-14 में ₹ 22,367 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 33,754 करोड़ हो गया जिसमें 50.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

पिछले वर्ष की तुलना में कुल व्यय 10.21 प्रतिशत तक बढ़ गया। कुल बढ़ोतरी में, राजस्व व्यय ₹ 4,452 करोड़ (15.19 प्रतिशत) तक बढ़ गया जबकि पूंजीगत व्यय तथा ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण क्रमशः ₹ 511 करोड़ (13.61 प्रतिशत) एवं ₹ 306 करोड़ (11.98 प्रतिशत) तक घट गया। चालू वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय के अंश में कमी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए संसाधनों के कम आबंटन को दर्शाता है।





कुल व्यय में सामान्य सेवाओं का अंश 17.92 प्रतिशत से बढ़कर 18.92 प्रतिशत तक हो गया। सामाजिक सेवाओं का अंश 42.34 प्रतिशत से बढ़कर 53.96 प्रतिशत हो गया, जबकि आर्थिक सेवाओं के अंश 2013-18 के दौरान 20.01 प्रतिशत से घटकर 18.61 प्रतिशत तक हो गए। उसी अवधि के दौरान ऋणों तथा अग्रिमों पर कुल व्यय 17.27 प्रतिशत से कम होकर 5.72 प्रतिशत तक हो गया। 2013-18 के दौरान सहायता अनुदान लगभग 2-3 प्रतिशत के मध्य रही। सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के मिश्रित अंश जो विकास व्यय का द्योतक है इस अवधि के दौरान 62.35 प्रतिशत से बढ़कर 72.57 प्रतिशत हो गए।

### 1.5.2 राजस्व व्यय

पिछले पाँच वर्षों (2013-18) की अवधि में राजस्व व्यय की वृद्धि को तालिका 1.10 में दिखाया गया है।

तालिका 1.10: राजस्व व्यय की वृद्धि

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व व्यय	22,367	23,509	26,343	29,302	33,754
वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.26	5.11	12.05	11.23	15.19
स.रा.घ.उ. की तुलना में राजस्व व्यय की प्रतिशतता	5.04	4.75	4.81	4.75	4.92
ब्याज भुगतान	2,824	2,774	2,810	2,883	2,871
राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	10.09	9.38	8.03	8.39	7.42

2013-18 के दौरान राजस्व व्यय 5.11 प्रतिशत से 15.19 प्रतिशत तक वार्षिक वृद्धि की दर से ₹ 11,388 करोड़ (50.91 प्रतिशत) तक बढ़ गया। स.रा.घ.उ. की तुलना में राजस्व व्यय की प्रतिशतता 2013-18 की अवधि के दौरान 5.04 प्रतिशत से घटकर 4.92 प्रतिशत हो गई थी।

राजस्व व्यय 15.19 प्रतिशत बढ़कर 2016-17 में ₹ 29,302 करोड़ से 2017-18 में ₹ 33,754 करोड़ हो गया। सामान्य सेवाओं पर व्यय ₹ 606 करोड़ बढ़ गया था। सामाजिक सेवाओं पर भी व्यय पिछले वर्ष की

तुलना में मुख्यतः 'शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति' (₹ 1,359 करोड़), 'स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण' (₹ 735 करोड़) तथा 'सामाजिक कल्याण तथा पोषण' (₹ 598 करोड़) शीर्षों के अंतर्गत व्यय में वृद्धि होने के कारण ₹ 3,023 करोड़ तक बढ़ गया था। आर्थिक सेवाओं पर व्यय मुख्यतः सड़क परिवहन (₹ 565 करोड़) शीर्ष के अंतर्गत व्यय में वृद्धि होने के कारण ₹ 751 करोड़ बढ़ गया।

### ब्याज भुगतान

पाँच वर्षों (2013-18) की अवधि में ब्याज भुगतान (₹ 2,871 करोड़) में 1.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 के दौरान ₹ 12 करोड़ (0.42 प्रतिशत) की कमी हुई। राजस्व प्राप्तियों में ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 2013-14 में 10.09 प्रतिशत से घट कर 2017-18 में 7.42 प्रतिशत हो गई।

### नई पेंशन योजना

राज्य सरकार के कर्मचारी जिनकी भर्ती 1 जनवरी 2004 को या उसके पश्चात हुई है, नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.) के पात्र हैं। योजना की शर्तों के अनुसार कर्मचारियों को अपने मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत का अंशदान देना होता है और उतनी ही राशि राज्य सरकार के द्वारा जमा कराई जाती है तथा पूरी राशि नेशनल सिक्युरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल/ट्रस्टी बैंक) द्वारा निर्दिष्ट प्रबन्धक को हस्तान्तरित कर दी जाती है।

प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 2017-18 के दौरान, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा कर्मचारी के अंशदान के ₹ 189.68 करोड़ तथा नियोक्ता के अंशदान के ₹ 189.68 करोड़ के प्रति कुल ₹ 379.36 करोड़ एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक के पास जमा कराये गये थे। इस प्रकार, एन.पी.एस. के अंतर्गत 2017-18 के दौरान कार्मिक के साथ-साथ नियोक्ता के प्रति कुछ बकाया नहीं था।

### 1.6 व्यय की गुणवत्ता

सामाजिक तथा भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता व्यय की गुणवत्ता का एक सूचक होती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के अंतर्गत मूल रूप से तीन पहलू जैसे व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने के पर्याप्त प्रावधान), व्यय के प्रयोग में दक्षता तथा प्रभाविता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय-परिणाम संबंधों का मूल्यांकन) सम्मिलित हैं।

### 1.6.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता


तालिका 1.11 तथा चार्ट 1.8 वर्ष 2013-14 तथा 2017-18 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय, पूंजीगत व्यय एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर व्यय के संबंध में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को दर्शाती है।

तालिका 1.11: 2013-14 तथा 2017-18 में रा.रा.क्षे.दि.स. की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशतता में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	औ.व्य./स. रा.घ.उ.	वि.व्य./ औ.व्य.	सा.क्षे.व्य./ औ.व्य.	पूंजी/व्य./ औ.व्य.	शिक्षा/औ. व्य.	स्वास्थ्य/ औ.व्य.
रा.रा.क्षे. दिल्ली (अनुपात) 2013-14	6.61	78.86	46.60	13.57	18.85	9.10
रा.रा.क्षे. दिल्ली (अनुपात) 2017-18	5.72	77.38	56.49	7.68	25.35	12.06

औ.व्य.: औसत व्यय, वि.व्य.: विकास व्यय, सा.क्षे.व्य.: सामाजिक क्षेत्र व्यय, आ.क्षे.व्य.: आर्थिक क्षेत्र व्यय पूंजी व्य पूंजीगत व्यय # विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय तथा सवितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।



2013-14 में 6.6 प्रतिशत से 2017-18 में 5.7 प्रतिशत तक स.रा.घ.उ. के अनुपात के रूप में औसत व्यय घट गया था। 2013-18 के दौरान विकास व्यय तथा पूंजीगत व्यय कुल व्यय के अनुपात के रूप में क्रमशः 78.9 प्रतिशत से 77.4 प्रतिशत तथा 13.6 प्रतिशत से 7.7 प्रतिशत तक कम हो गया था। इस अवधि के दौरान सकल व्यय में स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर व्यय के अंश में वृद्धि दर्ज की है।

### 1.6.2 व्यय के प्रयोग में दक्षता

सामाजिक तथा आर्थिक विकास की दृष्टि से सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वे व्यय के पुनर्गठन हेतु उचित उपाय करें तथा लोक हित व उत्पादों की गुणवत्ता के प्रावधानों पर जोर दें। व्यय के प्रयोग में दक्षता पूंजीगत व्यय एवं

कुल व्यय (और/अथवा स.रा.घ.उ.) के अनुपात द्वारा एवं वर्तमान सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के प्रचालन व रख रखाव के लिए किए गए राजस्व व्यय के समान अनुपात द्वारा दर्शायी जाती है। इन घटकों तथा कुल व्यय (और/अथवा स.रा.घ.उ.) का अनुपात जितना अधिक होगा व्यय की गुणवत्ता उतनी ही अधिक होगी। विकास व्यय में राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के साथ-साथ सामाजिक आर्थिक सेवाओं में ऋण तथा अग्रिम भी शामिल होते हैं। तालिका 1.12 में 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान राज्य के औसत व्यय के संबंध में विकास व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है।

तालिका 1.12: विकास व्यय

विकास व्यय के संघटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
					बजट अनुमान	वास्तविक
क) विकास राजस्व व्यय	15,964 (13.32)	16,625 (4.14)	18,956 (14.02)	21,690 (14.42)	27,381	25,464 (17.40)
ख) विकास पूंजीगत व्यय	4,442 (11.61)	4,033 (-9.21)	4,346 (7.76)	3,404 (-21.67)	3,555	3,015 (-11.44)
ग) विकास ऋण तथा अग्रिम	5,402 (97.57)	1,634 (-69.75)	2,093 (28.06)	1,941 (-7.23)	1,949	1,888 (-2.76)
<b>कुल</b>	<b>25,808</b> <b>(24.07)</b>	<b>22,292</b> <b>(-13.62)</b>	<b>25,395</b> <b>(13.92)</b>	<b>27,035</b> <b>(6.46)</b>	<b>32,885</b>	<b>30,367</b> <b>(12.32)</b>

पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी हुई प्रतिशतता को लघु कोष्ठकों में दर्शाया गया है

2013-14 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान विकास व्यय 17.66 प्रतिशत तक बढ़ गया था। यह व्यय, जो कुल व्यय (₹ 39,244 करोड़) का 77.38 प्रतिशत था, 2016-17 में ₹ 27,035 करोड़ से ₹ 3,332 करोड़ (12.32 प्रतिशत) बढ़कर 2017-18 में ₹ 30,367 करोड़ तक हो गया। विकास राजस्व व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम क्रमशः विकास व्यय के 84 तथा 6 प्रतिशत तक हो गए थे जबकि पूंजीगत व्यय के अंश केवल 10 प्रतिशत थे।

### 1.7 सरकारी व्यय तथा निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

यह खंड पिछले वर्षों की तुलना में चालू वर्ष में सरकार द्वारा किए गए निवेश तथा अन्य पूंजीगत व्यय की गतिविधियों का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

#### 1.7.1 निवेश तथा प्रतिफल

31 मार्च 2018 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा सहकारी समितियों में ₹ 19,173 करोड़ का निवेश किया था। पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 में निवेश पर वृद्धि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. में ₹ 240 करोड़ के निवेश के कारण हुई थी। 2017-18 में निवेश पर प्रतिफल (आर.ओ.आई.) 0.08 प्रतिशत था, जबकि सरकार ने 2017-18 के दौरान अपने ऋणों पर 8.58 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज का भुगतान किया था। विस्तृत विवरण तालिका 1.13 में दिया गया है।

तालिका 1.13: निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश/प्रतिफल/उधारों की लागत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वर्ष की समाप्ति पर निवेश*	17,060	17,660	18,492	18,933	19,173
निवेश पर प्रतिफल**	11.95	12.90	12.32	11.28	15.91
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत)	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08
सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	9.21	8.59	8.54	8.65	8.58
ब्याज दर तथा प्रतिफल के बीच अंतर (प्रतिशत)	9.14	8.52	8.47	8.59	8.50
निवेश पर सरकारी ऋण के ब्याज दर एवं प्रतिफल के बीच अंतर #	1,559	1,505	1,566	1,626	1,630

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

\* प्रदत्त साधारण पूंजी से संबंधित

\*\* सरकार द्वारा प्राप्त की गई प्रदत्त लाभांश आय

# (वर्ष के अंत तक निवेश \*भुगतान की गई ब्याज दर तथा निवेशों पर प्रतिफल के बीच अंतर)/100

सरकारी निवेश 2013-14 से 2017-18 तक पाँच वर्षों में 12.38 प्रतिशत तक बढ़ गए थे। सरकार ने 2013-18 के दौरान अपने ऋणों पर 8.54 से 9.21 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज का भुगतान किया था जबकि उसी अवधि के दौरान निवेशों पर प्रतिफल की प्रतिशतता 0.06 तथा 0.08 के बीच की श्रेणी की थी। पिछले पाँच वर्षों की अवधि में, सा.क्षे.उ. में निवेशों पर सरकारी ऋण तथा प्रतिफल में ₹ 7,886 करोड़ का अंतर था।

छः<sup>2</sup> सरकारी कंपनियों को उनके द्वारा भेजे गए लेखों के अनुसार ₹ 6,680 करोड़ के निवेश से ₹ 31,874 करोड़ की संचित हानि हुई। हानि उठाने वालों में दो पावर कंपनियाँ (दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड ₹ 1,524 करोड़ तथा दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड - ₹ 1,206 करोड़) तथा दिल्ली परिवहन निगम (₹ 29,143 करोड़) थे, जो कुल मिलाकर संचयित हानि का 99.99 प्रतिशत था। 2017-18 के दौरान, इन कंपनियों में सरकार द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को राज्य सा.क्षे.उ. की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण करना चाहिए जो बड़े घाटे में चल रहे हैं, ताकि उनके पुनर्चलन/समापन जैसी भी जरूरत हो, के अनुसार एक रणनीतिक योजना बनायी जा सके।

### 1.7.2 सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों तथा कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त, सरकार संस्थानों/संगठनों को ऋण तथा अग्रिम प्रदान कर रही है। 31 मार्च 2018 तक कुल बकाया ऋण तथा अग्रिम ₹ 63,812 करोड़ थी, जैसा कि तालिका 1.14 में दर्शाया गया है।

<sup>2</sup> दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड, दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड, डी.टी.सी., डी.एस. आई.आई.डी.सी. क्रिएटिव आर्ट डेव.लिमि., डी.एस.आई.आई.डी.सी. लिकर लिमिटेड तथा डी.एस.आई.आई.डी.सी. मैनेटनेंस सविर्सिज लिमि.

तालिका 1.14: रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिमों पर प्राप्त किए गए औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों की प्रमाणा/ब्याज प्राप्ति/उधार की लागत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>प्रारंभिक शेष</b>	50,888	55,737	57,190	59,915*	62,255
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	5,652	1,680	2,684	2,553	2,248
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	803	228	83	213	691
<b>अंतिम शेष</b>	<b>55,737</b>	<b>57,189</b>	<b>59,791</b>	<b>62,255</b>	<b>63,812</b>
सकल योग	4,849	1,452	2,601	2,340	1,557
ब्याज प्राप्ति	379	351	83	81	396
बकाया ऋणों तथा अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में रा.रा.क्षे.दि.स. के ब्याज प्राप्ति	0.68	0.61	0.14	0.13	0.62
बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान	8.80	8.54	8.44	8.64	8.55
ब्याज भुगतान तथा ब्याज प्राप्ति के बीच अंतर (प्रतिशत)	8.12	7.93	8.30	8.51	7.93

\*गलत वर्गीकरण किए जाने के कारण ₹ 124.58 करोड़ के अवधि पूर्व समायोजन को सम्मिलित करते हुए राशि

2016-17 में ₹ 2,553 करोड़ के मुकाबले 2017-18 के दौरान, सरकार ने ₹ 2,248 करोड़ का ऋण दिया जो कि पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 305 करोड़ कम है। यह कमी मुख्यतः विविध ऋण<sup>3</sup> शीर्ष के अंतर्गत थी जो 2016-17 के ₹ 611 करोड़ की तुलना में 2017-18 में ₹ 359 करोड़ था। 2017-18 की अवधि में ₹ 691 करोड़ की राशि के ऋण एवं अग्रिमों की वसूली की गई। पिछले वर्ष की तुलना में ऋण एवं अग्रिमों की वसूली यद्यपि बकाया ऋणों का केवल एक अंश (1.08 प्रतिशत) थी। 31 मार्च 2018 तक ₹ 63,812 करोड़ की राशि के ऋण बकाया थे।

जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (₹ 18,310.49 करोड़), विविध ऋण (₹ 16,173.53 करोड़), सड़क परिवहन (₹ 15,385.64 करोड़), विद्युत परियोजनाएं (₹ 11,556.31 करोड़) एवं शहरी विकास (₹ 1,591.16 करोड़) जैसे महत्वपूर्ण शीर्ष थे जहाँ ऋण बकाया थे उन्हें परिशिष्ट 1.5 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली परिवहन निगम एवं दिल्ली नगर निगम के प्रति बड़ी मात्रा में ऋण बकाये थे। विवरण निम्नानुसार है:

### दिल्ली जल बोर्ड

दिल्ली जल बोर्ड का गठन अप्रैल, 1998 में हुआ था। 1998-99 से दिल्ली जल बोर्ड को कुल ₹ 26,620.04 करोड़ का ऋण वितरित किया गया था, जिसमें से 31 मार्च 2018 तक केवल ₹ 351.16 करोड़ वापस किये गये थे और ₹ 26,268.89 करोड़ बचा रहा। गत पाँच वर्षों में कोई भी राशि वापस नहीं की गई है। दिल्ली जल बोर्ड के बकाये ऋण के कारण व्याज देयता प्रधान लेखा कार्यालय तथा संबंधित एजेंसियों के द्वारा मिलान किया जा रहा है। जैसा कि शहरी विकास विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा सूचित किया गया है।

<sup>3</sup> दिल्ली शहरी आश्रय निवेश बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड एवं ईडीएमसी

### **दिल्ली परिवहन निगम**

1996-1997 से 2010-11 तक दिल्ली परिवहन निगम ने ₹ 11,837.69 करोड़ की ऋण राशि प्राप्त की है। इसमें से ₹ 161.55 करोड़ वापस किया जा चुका है। 2010-11 से डीटीसी को कोई ऋण का संवितरण नहीं किया गया है और यह 2011-12 से सहायता अनुदान प्राप्त कर रही है। 31 मार्च 2018 तक दिल्ली परिवहन निगम के प्रति ₹ 11,676.14 करोड़ की ऋण राशि बकाया है। जिस पर ₹ 20,818.07 करोड़ की ब्याज देयता बनती है।

### **दिल्ली नगर निगम**

दिल्ली नगर निगमों (एमसीडी) को विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों के अंतर्गत त्रैमासिक आधार पर ऋण प्रदान किये जाते हैं तथा इनका समायोजन उन्हें देय कर निर्धारण से किया जाता है। 31 मार्च 2012 तक पहले के दिल्ली नगर निगम पर ₹ 2,059.87 करोड़ की ऋण राशि बकाया थी। एमसीडी के तीन भागों में बंटने के उपरांत इन ऋणों को दक्षिण दिल्ली नगर निगम (₹ 936 करोड़), उत्तरी दिल्ली नगर निगम (₹ 729.61 करोड़) एवं पूर्वी दिल्ली नगर निगम (₹ 394.26 करोड़) के बीच उनके बकाया अनुपात के आधार पर बाँट दिया गया था।

### **उत्तरी दि.न.नि.**

2012-18 की अवधि में उत्तरी दि.न.नि. द्वारा ₹ 1680.75 करोड़ की ऋण राशि प्राप्त की गई थी। 2012-13 से 2014-15 की अवधि में ₹ 372.82 करोड़ की वसूली की गई है। निगम की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण 2015-16 से 2017-18 की अवधि की ऋण वसूली आस्थगित कर दी गई है। 31 मार्च 2018 तक ₹ 2,037.54 करोड़ की ऋण राशि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के प्रति बकाया थी।

### **पूर्वी दि.न.नि.**

2012-18 की अवधि में पूर्वी दि.न.नि. द्वारा ₹ 1,133.98 करोड़ की ऋण राशि प्राप्त की गई थी। 2012-13 से 2013-14 की अवधि में ₹ 132.34 करोड़ की वसूली की गई है। निगम की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण 2015-16 से 2017-18 की अवधि की ऋण वसूली आस्थगित कर दी गई। 31 मार्च 2018 तक ₹ 1,395.90 करोड़ की ऋण राशि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के प्रति बकाया थी।

### **दक्षिणी दि.न.नि.**

2012-18 की अवधि में दक्षिणी दि.न.नि. द्वारा ₹ 158.50 करोड़ की ऋण राशि प्राप्त की गयी थी। 31 मार्च 2018 तक ₹ 381.45 करोड़ की राशि बकाया छोड़कर 2012-13 से ₹ 713.06 करोड़ की वसूली हुई है।

दक्षिणी दि.न.नि. के बकाया ऋण पर ब्याज देयता का प्रधान लेखा कार्यालय तथा संबंधित एजेंसियों के मध्य मिलान किया जाना है। जैसा कि शहरी विकास विभाग, रा.रा.क्षे. सरकार, दिल्ली द्वारा सूचित किया गया है।

## 1.8 परिसम्पत्तियाँ व देयताएँ

### 1.8.1 परिसम्पत्तियाँ व देयताओं की वृद्धि व संरचना

सरकार के वर्तमान लेखाकरण प्रणाली में अंचल परिसंपत्तियों जैसे सरकार के स्वामित्व वाली भूमि व भवनों का विस्तृत लेखाकरण नहीं किया जाता। यद्यपि, सरकारी लेखों में सरकार की वित्तीय देयताओं व किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को दर्ज किया जाता है। **परिशिष्ट 1.6 (भाग क एवं ख)** 31 मार्च 2018 को ऐसी देयताओं व परिसम्पत्तियों के सार का 31 मार्च 2017 की संबंधित स्थिति से तुलना करते हुए प्रस्तुत करता है। परिसम्पत्तियों में मुख्यतः सरकार द्वारा प्रदत्त पूँजीगत परिव्यय व ऋण एवं अग्रिम तथा प्रारंभिक शेष आते हैं। देयताओं में केवल भा.स. द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम सम्मिलित हैं।

### 1.8.2 राजकोषीय देयताएँ

**तालिका 1.15** रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय देयताओं, उनकी वृद्धि दर, स.रा.घ.उ. से इन देयताओं, राजस्व प्राप्तियों से तथा अपने संसाधनों से अनुपात एवं इन पैरामीटरों के संदर्भ में राजकोषीय उत्तरदायित्व की उत्प्लावकता को भी दर्शाती है। रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय देयताओं में भा.स. की लघु बचत संग्रह का बड़ा हिस्सा शामिल है।

**तालिका 1.15: राजकोषीय देयताएँ-मूल मापदण्ड**

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजकोषीय देयताएँ (₹ करोड़ में)	32,080	32,498	33,304	33,345	33,569
वृद्धि की दर (प्रतिशत)	9.70	1.30	2.48	0.12	0.67
<b>राजकोषीय देयताओं का अनुपात:</b>					
स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	7.23	6.57	6.08	5.41	4.89
राजस्व प्राप्तियों (प्रतिशत)	114.65	109.85	95.16	97.09	86.81
अपने संसाधन# (प्रतिशत)	120.70	119.32	108.34	105.79	92.01
<b>राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावकता के संदर्भ में:</b>					
स.रा.घ.उ. (अनुपात)	0.72	0.11	0.23	0.01	0.06
राजस्व प्राप्तियों (अनुपात)	1.03	0.23	0.14	(-0.07)	0.05
अपने संसाधन (अनुपात)	0.93	0.53	0.19	0.05	0.04

# कर + गैर कर राजस्व

रा.रा.क्षे. दिल्ली की सम्पूर्ण राजकोषीय देयताएँ 2013-14 में ₹ 32,080 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 33,569 करोड़ (4.64 प्रतिशत) हो गई। 31 मार्च 2018 को ₹ 33,569 करोड़ की राजकोषीय देयताओं में ₹ 30,242 करोड़ की 'लघु बचत के संग्रह का अंश' एवं ₹ 3,327 करोड़ की 'संसाधन में अंतर की पूर्ति हेतु ऋण' जैसी देनदारियां शामिल थी।

वर्ष 2013-14 में भा.स. द्वारा रा.रा.क्षे. दिल्ली को ₹ 3,327 करोड़ की राशि 9.5 प्रतिशत ब्याज की दर पर चार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों<sup>4</sup> और तत्कालीन डीईएसयू (दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम), रेल मंत्रालय को बकाया राशि के निपटान के लिए दी गई थी। हालांकि, 31 मार्च 2018 तक रा.रा.क्षे. दिल्ली ने न तो ऋण की मूल राशि की कोई किस्त दी है और न ही ब्याज का भुगतान किया है।

वर्ष 2017-18 के अंत में राजकोषीय देयताएँ जीएसडीपी के 0.05 गुणा, राजस्व प्राप्तियों के 0.87 गुणा और रा.रा.क्षे. के अपने संसाधनों के 0.92 गुणा हो गई थी।

### 1.9 ऋण प्रबंधन

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का कोई आंतरिक ऋण नहीं है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त ऋण एवं अग्रिमों में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ऋण प्राप्तियाँ शामिल हैं।

#### (i) ऋण रूपरेखा

तालिका 1.16 पिछले पाँच वर्षों के रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ऋण रूप रेखा की समय श्रृंखला के विश्लेषण को बताती है।

तालिका 1.16: भारत सरकार द्वारा ऋण की रूपरेखा तथा रा.रा.क्षे.दि.स. का प्रति व्यक्ति ऋण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	ऋण प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी	पिछले वर्ष की भी तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता
2013-14	29,243	4,163	1,326	32,080	2,837	9.70
2014-15	32,080	1,764	1,347	32,498	418	1.30
2015-16	32,498	2,241	1,435	33,304	806	2.48
2016-17	33,304	1,696	1,655	33,345	41	0.12
2017-18	33,345	1,906	1,682	33,569	224	0.67

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

सरकार के ऋण 2013-14 में ₹ 32,080 करोड़ से ₹ 1,489 करोड़ (4.64 प्रतिशत) बढ़कर 2017-18 में ₹ 33,569 करोड़ हो गया।

#### (ii) ऋण धारणीयता

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त राज्य की ऋण धारणीयता को निर्धारित करने वाले विभिन्न घटकों का विश्लेषण करना भी आवश्यक है। ऋण धारणीयता भविष्य में राज्य के ऋण सेवा सामर्थ्य को बताती है। यह खंड रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की वृद्धि की दर, बकाया ऋण, ब्याज भुगतान तथा राजस्व प्राप्ति के अनुपात, ऋण पुनर्भुगतान तथा ऋण प्राप्ति एवं राज्य को उपलब्ध निवल ऋण के संदर्भ में ऋण की धारणीयता को आंकलित करता है। 2013-14 से 2017-18 के पाँच वर्षों की अवधि के

<sup>4</sup> एनटीपीसी, एनएचपीसी, भारतीय पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं परमाणु ऊर्जा निगम

लिए इन संकेतकों के अनुसार तालिका 1.17 राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण करता है।

तालिका 1.17: ऋण धारणीयता: संकेतक व प्रवृत्तियाँ

ऋण धारणीयता के संकेतक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बकाया सार्वजनिक ऋण (₹ करोड़ में)	32,080	32,498	33,304	33,345	33,569
बकाया सार्वजनिक ऋण के वृद्धि की दर (प्रतिशत में)	9.70	1.30	2.48	0.12	0.67
स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	4,43,960	4,94,885	5,48,081	6,16,826	6,86,017
स.रा.घ.उ. के वृद्धि की दर (प्रतिशत में)	13.43	11.47	10.75	12.54	11.22
सार्वजनिक ऋण/जीएसडीपी (प्रतिशत में)	7.23	6.57	6.08	5.41	4.89
ब्याज का भुगतान (₹ करोड़ में)	2,824	2,774	2,810	2,883	2,871
बकाया ऋण की औसत ब्याज दर (चुकाया गया ब्याज/सार्वजनिक ऋण का अंश. + सार्वजनिक ऋण का अंश./2) (प्रतिशत में)	9.21	8.59	8.54	8.65	8.58
राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	27,981	29,585	34,999	34,346	38,667
राजस्व प्राप्ति से ब्याज की प्रतिशतता	10.09	9.38	8.03	8.39	7.42
ऋण भुगतान (₹ करोड़ में)	1,325	1,347	1,436	1,655	1,682
ऋण प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	4,163	1,764	2,241	1,696	1,906
ऋण प्राप्तियों से ऋण भुगतान का प्रतिशत	31.84	76.33	64.04	97.59	88.25
रा.रा.क्षे. दिल्ली <sup>#</sup> का शुद्ध उपलब्ध ऋण (₹ करोड़ में)	36	(-) 2,357	(-) 2,005	(-) 2,842	(-) 2,647

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

#राज्य को उपलब्ध निवल ऋण का अर्थ सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों की सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान और सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान से होने वाली अधिकता है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का सार्वजनिक ऋण 2013-14 में ₹ 32,080 करोड़ से 2017-18 में ₹ 33,569 करोड़ हो गया तथा 2013-18 की अवधि में 4.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। बकाया सार्वजनिक ऋण की वृद्धि दर 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान 0.12 प्रतिशत तथा 9.70 प्रतिशत के बीच थी। सार्वजनिक ऋण में पिछले वर्ष से 2017-18 में 0.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

2013-18 की अवधि के दौरान पूर्व में दिए गए उधारों के पुनर्भुगतान के लिए उधार दी गई राशि की उपयोगिता तथा पूँजीगत व्यय के ब्यौरे नीचे तालिका 1.18 में दिये गये हैं:

तालिका 1.18: उधार दी गई निधि का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उधारियाँ	पूर्व की उधारियों का पुनर्भुगतान (मुख्य) (प्रतिशत)	पूँजीगत व्यय के लिए उधार लिया गया उपलब्ध धन (प्रतिशत)
1	2	3	4=(2-3)
2013-14	4,163	1,325 (32)	2,837(68)
2014-15	1,764	1,347(77)	418 (23)
2015-16	2,241	1,435(64)	806 (36)
2016-17	1,696	1,655 (98)	41 (2)
2017-18	1,906	1,682(88)	224 (12)


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2013-18 की अवधि के दौरान ऋण प्राप्तियों का कोई अंश राजस्व व्यय के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा था। 2013-18 की पूर्ण अवधि के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली के पास राजस्व अधिशेष था। उधार ली गई निधियों का प्रयोग केवल पूंजीगत व्यय एवं ऋण के चुकाने हेतु किये जा रहे थे।

2013-18 के दौरान स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि सार्वजनिक ऋण की वार्षिक दर की अपेक्षा अधिक थी जैसा कि चार्ट 1.9 में दर्शाया गया है।


ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में 2013-14 में 10.09 प्रतिशत से 2017-18 में 7.42 प्रतिशत तक घट गया (चार्ट 1.10) जो दर्शाता है कि लोक ऋण पर ब्याज का भुगतान घटता जा रहा था जिसके परिणाम स्वरूप विकास के लिए और अधिक निधियों की उपलब्धता थी।

चार्ट 1.9: ऋण धारणीयता  
(लोक ऋण/स.रा.घ.उ. प्रतिशत में)



यह दर्शाता है कि स.रा.घ.उ. की वृद्धि सरकार के ऋण की तुलना में अधिक गति से हो रही है।

चार्ट 1.10: राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान





यह दर्शाता है कि राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि ब्याज भुगतान की तुलना में अधिक गति से हो रही है।

### 1.10 राजकोषीय असंतुलन

तीन प्रमुख राजकोषीय पैरा-मीटरों राजस्व, राजकोषीय व प्राथमिक घाटा निर्दिष्ट समयावधि के दौरान राज्य सरकार के वित्तों में सम्पूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा दर्शाते हैं। सरकारी खातों में घाटे इसकी प्राप्तियों तथा व्यय के बीच अंतर दर्शाते हैं। घाटे की प्रकृति सरकार के विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन का संकेतक है। इसके अतिरिक्त, जिन तरीकों से घाटों को चुकाया जाता है तथा संसाधन उत्पन्न किये जाते हैं, उसे राजकोषीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में समझे जाते हैं। यह खण्ड इन घाटों के वित्तीयकरण की प्रवृत्तियों, प्रकृति, मात्रा तथा ढंग एवम् राजस्व व राजकोषीय घाटों के वास्तविक स्तरों का निर्धारण प्रस्तुत करता है।

### 1.10.1 अधिशेष/घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.11 एवं चार्ट 1.12 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान घाटे/अधिशेष संकेतकों तथा स.रा.घ.उ. से संबंधित घाटे/अधिशेष की प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं।



राजस्व अधिशेष राजस्व व्यय के ऊपर राजस्व प्राप्तियों की अधिकता को दर्शाता है। 2013-18 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली में लगातार राजस्व आधिक्य रहा है। 2013-14 में यह ₹ 5,614 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 8,656 करोड़ हो गया, 2016-17 में ₹ 5,044 करोड़ तक घट गई तथा 2017-18 में ₹ 4,913 करोड़ हो गई।

2017-18 में ₹ 4,913 करोड़ का राजस्व अधिशेष इंगित करता है कि राजकोषीय व्यय करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त राजकोषीय प्राप्ति हैं।

2013-14 में राजकोषीय घाटा ₹ 3,942 करोड़ था जो कि 2014-15 के दौरान ₹ 219 करोड़ के अधिशेष में परिवर्तित हो गया तथा 2015-16 में बढ़कर ₹ 1,332 करोड़ हो गया लेकिन 2016-17 में यह फिर ₹ 1,051 करोड़ के घाटे में बदल गया। 2017-18 के दौरान राजकोषीय अधिशेष ₹ 113 करोड़ था।

2013-14 में रा.रा.क्षे. दिल्ली में प्राथमिक घाटा था जो 2014-15 में ₹ 2,993 करोड़, 2015-16 में ₹ 4,142 करोड़, 2016-17 ₹ 1,832 करोड़ तथा 2017-18 में ₹ 2,984 करोड़ के अधिशेष में परिवर्तित हो गया।

2016-17 में स.रा.घ.उ. के 0.82 प्रतिशत के प्रति 2017-18 में राजस्व अधिशेष स.रा.घ.उ. का 0.72 प्रतिशत था। राजकोषीय घाटा जो कि 2016-17 में स.रा.घ.उ. का 0.17 प्रतिशत था 2017-18 में राजकोषीय अधिशेष में बदल गया तथा यह स.रा.घ.उ. का 0.02 प्रतिशत था। गैर-ऋण प्राप्तियों में वृद्धि एवं पूँजीगत व्यय में कमी तथा ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण के कारण प्राथमिक अधिशेष 2016-17 के 0.30 प्रतिशत के मुकाबले 2017-18 में स.रा.घ.उ. का 0.43 प्रतिशत पर पहुँच गया।

### 1.10.2 राजकोषीय घाटे/अधिशेष के घटक व इसका वित्तीयन प्रतिरूप

राजकोषीय घाटे/अधिशेष के वित्तीयन प्रतिरूप को तालिका 1.19 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.19: राजकोषीय घाटे के घटक

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	राजस्व घाटा/आधिक्य (-/+)	5,614	6,076	8,656	5,044	4,913
2	निवल पूँजीगत व्यय	(-)4,707	(-)4,404	(-) 4,723	(-)3,754	(-)3,243
3	निवल ऋण तथा अग्रिम	(-)4,849	(-)1,452	(-) 2,601	(-)2,340	(-)1,557
4	सकल राजकोषीय घाटा/ आधिक्य*(-/+)	(-)3,942	219	1,332	(-)1,051	113
<b>राजकोषीय घाटे का वित्तीयन प्रतिरूप</b>						
1	भा.स. से शुद्ध ऋण (सार्वजनिक ऋण प्राप्ति- सार्वजनिक ऋण भुगतान)	2,837	-	-	41	-
2.	अंतिम शेष में बढ़ोत्तरी/कमी	1,105	-	-	1,010	-
* घाटे के आकड़े (-) में तथा अधिशेष (+) में दिखाए गए हैं निवल पूँजीगत व्यय = पूँजीगत व्यय - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ						

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

### 1.10.3 घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता

राजस्व घाटे एवं निवल पूँजीगत व्यय (ऋण व अग्रिम सहित) का योगदान राजकोषीय घाटे के प्रति राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता को इंगित करता है। राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का अंश उस सीमा को इंगित करता है जहाँ उधारी निधियों का प्रयोग वर्तमान खपत हेतु किये जाते थे। इसके अलावा राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे का सतत उच्च अनुपात भी संकेत करता है कि राज्य का परिसंपत्ति आधार लगातार छोटा होता जा रहा है और उधार ली गई देयताओं (राजकोषीय देयताओं) के लिए परिसंपत्ति का आधार नहीं था। प्राथमिक घाटे/अधिशेष का विस्तृत विवरण तालिका 1.20 में दिया गया है।

तालिका 1.20: प्राथमिक घाटा/अधिशेष घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय <sup>5</sup>	पूँजीगत व्यय	ऋण व अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-) / आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6(3+4+5)	7(2-3)	8(2-6)
2013-14	28,784	19,543	4,707	5,652	29,902	9,241	(-)1,118
2014-15	29,812	20,735	4,404	1,680	26,819	9,077	2,993
2015-16	35,082	23,533	4,723	2,684	30,940	11,549	4,142
2016-17	34,558	26,419	3,754	2,553	32,726	8,139	1,832
2017-18	39,358	30,883	3,243	2,248	36,374	8,475	2,984

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- रा.रा.क्षे. दिल्ली की गैर-ऋण प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियाँ तथा ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ मुख्य रूप से सम्मिलित थी जो 2013-14 से 2017-18 के दौरान 36.74 प्रतिशत तक बढ़ गई थी तथा प्राथमिक राजस्व व्यय को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थी।
- 2013-14 में ₹ 9,241 करोड़ का प्राथमिक राजस्व अधिशेष 2017-18 में 8.29 प्रतिशत घटकर ₹ 8,475 करोड़ हो गया। 2017-18 में प्राथमिक राजस्व अधिशेष में गत वर्ष से ₹ 336 करोड़ की वृद्धि हुई थी।
- प्राथमिक व्यय के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय 2013-14 में 15.74 प्रतिशत से घटकर 2017-18 के दौरान 8.92 प्रतिशत हो गया है।
- 2014-15 से 2017-18 की अवधि के दौरान सरकार को प्रत्येक वर्ष प्राथमिक अधिशेष हुआ था।

कुछ सकारात्मक एवं उन्हें करीब से ध्यान देने योग्य संकेतकों का चित्रण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.21: मुख्य पैरामीटर

सकारात्मक संकेतक	विशेष ध्यान दिए जाने योग्य पैरामीटर
कर राजस्व में 14.70 प्रतिशत की वृद्धि	पूँजीगत व्यय में 13.61 प्रतिशत की कमी
गैर-कर राजस्व में 101.05 प्रतिशत <sup>6</sup> की वृद्धि	राजस्व व्यय में 15.19 प्रतिशत की वृद्धि
ऋण एवं अग्रिम की वसूलियों में 226 प्रतिशत <sup>7</sup> की बढ़ोतरी	सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों में 12.38 प्रतिशत की वृद्धि
ब्याज भुगतान में 0.41 प्रतिशत की कमी	
विकास व्यय में 12.32 प्रतिशत की वृद्धि	

1.11 राज्य वित्त के पिछले प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

दिल्ली में 2009-10 से लोक लेखा समिति द्वारा राज्य वित्त प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं की गई है, यद्यपि प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष राज्य विधान मंडल को प्रस्तुत की जाती है। इसके अतिरिक्त, पिछले नौ वर्षों के दौरान सरकार द्वारा

<sup>5</sup> प्राथमिक राजस्व व्यय = कुल राजस्व व्यय - ब्याज पुनर्भुगतान

<sup>6</sup> यह मुख्यतः दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के 2013-14 से 2016-17 की अवधि के देय ऋण से प्राप्त ₹ 332.27 करोड़ की ब्याज प्राप्तियों के कारण था।

<sup>7</sup> यह बढ़ोतरी मुख्यतः बिजली कंपनियों के 'प्रसारण एवं वितरण योजनाओं' से ₹ 623.18 करोड़ की वसूली के कारण थी एवं इसमें दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड द्वारा वर्ष 2013-14 से 2017-18 भुगतान के ₹ 294.85 करोड़ भी शामिल है।

राज्य वित्त प्रतिवेदन पर स्वयं संज्ञान लेकर एटीएन नहीं भेजा गया। इसलिए प्रतिवेदनों को राज्य विधान मंडल में रखने के उपरान्त सरकार द्वारा उठाये गये सुधारात्मक उपायों के बारे में लेखापरीक्षा में पता नहीं चल पाया है।

### 1.12 निष्कर्ष

रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजस्व प्राप्तियाँ चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष से 12.58 प्रतिशत तक बढ़ गईं। कर राजस्व तथा गैर-कर राजस्व पिछले वर्ष से क्रमशः 14.70 प्रतिशत तथा 101.05 प्रतिशत बढ़ गया।

भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान ₹ 2,825 करोड़ (2016-17) से घटाकर ₹ 2,184 करोड़ (2017-18) कर दिया गया। इसमें केन्द्रीय करों के बदले भा.स. द्वारा दी गई अनुदान राशि शामिल है जो कि 2001-02 से ₹ 325 करोड़ पर स्थिर है यद्यपि 2001-02 से केन्द्रीय कर संग्रहण में काफी हद तक बढ़ोत्तरी हुई है।

2017-18 के दौरान कुल व्यय पिछले वर्ष से 10.21 प्रतिशत तक बढ़ गया था। राजस्व व्यय 2017-18 के दौरान कुल व्यय का 86 प्रतिशत था जबकि पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम क्रमशः 8.26 प्रतिशत तथा 5.73 प्रतिशत था। पूँजीगत व्यय कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में 2013-18 के दौरान गिरा है जो एक चिंता का विषय है।

कुल व्यय में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं की हिस्सेदारी, जो कि विकास व्यय को प्रदर्शित करती है, पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। कुल व्यय के अनुपात में स्वास्थ्य पर व्यय 2017-18 में 2013-14 की अपेक्षा मामूली रूप से अधिक था।

31 मार्च 2018 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंको, संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा सहकारी समितियों में ₹ 19,173 करोड़ निवेश किया था। इन निवेशों पर प्रतिफल लगभग नगण्य (0.08 प्रतिशत) था। जबकि 2017-18 के दौरान सरकार ने अपने उधारों पर 8.58 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया था।

1998-2018 की अवधि के दौरान दिल्ली जल बोर्ड को वितरित की गई ऋण राशि ₹ 26,620.04 करोड़ के प्रति 31 मार्च 2018 तक ₹ 26,268.89 करोड़ का बकाया रहते हुए केवल ₹ 351.16 करोड़ वापस किया गया था। पिछले पाँच वर्षों में कोई भी राशि वापस नहीं की गयी। दिल्ली जल बोर्ड के बकाये ऋण के कारण ब्याज देयता प्रधान लेखा कार्यालय एवं संबंधित एजेंसियों के मध्य समाधान हेतु लंबित है।

1996-2011 की अवधि में दिल्ली परिवहन निगम को ₹ 11,837.69 करोड़ की ऋण राशि वितरित की गई थी जबकि 31 मार्च 2018 तक ₹ 11,676.14 करोड़ की ऋण राशि बकाया छोड़कर ₹ 161.55 करोड़ वापस की गयी है। 31 मार्च 2018 तक इन ऋणों पर ₹ 20,818.07 करोड़ की ब्याज देयता बकाया थी।

31 मार्च 2018 तक उत्तरी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम एवं दक्षिण दिल्ली नगर निगम के प्रति क्रमशः ₹ 2037.54 करोड़, ₹ 1395.90 करोड़ तथा ₹ 381.45 करोड़ की ऋण राशि बकाया थी। बकाया ऋण पर ब्याज देयता प्रधान लेखा कार्यालय तथा कार्यकारी एंजेसियों के मध्य समाधान हेतु लंबित है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली ने पिछले पाँच वर्षों 2013-14 से 2017-18 तक राजस्व अधिशेष को बनाए रखा है। हालाँकि 2017-18 में पिछले वर्ष से राजस्व अधिशेष में 2.59 प्रतिशत की कमी हुई एवं यह 2017-18 में स.रा.घ.उ. के 0.72 प्रतिशत था।

2016-17 में ₹ 1,051 करोड़ का राजकोषीय घाटा 2017-18 में ₹ 113 करोड़ के राजकोषीय अधिशेष में परिवर्तित हो गया। राजकोषीय अधिशेष स.रा.घ.उ. का 0.02 प्रतिशत था।

सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों 2014-15 से 2017-18 तक प्राथमिक अधिशेष को बनाए रखा गया। प्राथमिक अधिशेष पिछले वर्ष से बढ़कर 62.88 प्रतिशत हो गया एवं 2017-18 में स.रा.घ.उ. का 0.43 प्रतिशत पर बना रहा।

## अध्याय-2

वित्तीय प्रबंधन तथा बजट नियंत्रण



## अध्याय - 2


### 2 वित्तीय प्रबंधन तथा बजट नियंत्रण

#### 2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोजन लेखे, जैसा कि विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोजनों की राशियों से तुलना करते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के दत्तमत्त तथा प्रभारित व्यय के लेखे हैं। इन लेखों में मूल बजट अनुमान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण तथा पुनः विनियोजन स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध हैं तथा यह विनियोजन अधिनियम द्वारा बजट की प्रभारित तथा दत्तमत दोनों मदों के संबंध में विभिन्न विशिष्ट सेवाओं पर प्राधिकृत पूँजीगत तथा राजस्व व्यय को वास्तविक पूँजीगत व दत्तमत्त व्यय की तुलना में दर्शाते हैं। इस प्रकार विनियोजन लेखे वित्त के प्रबंधन तथा बजट प्रावधानों की निगरानी को सुविधाजनक बनाते हैं तथा इसलिए वित्त लेखों के पूरक हैं।

विनियोजन लेखा बजट बनाने तथा कार्यान्वयन की समस्त प्रक्रिया के साथ डाटा संरक्षित करता है (चार्ट 2.1)।

चार्ट: 2.1 बजट कार्यान्वयन का फ्लो चार्ट



स्रोत: विनियोजन लेखे

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजन लेखों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु की जाती है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत वास्तव में किया गया व्यय विनियोजन अधिनियम के अंतर्गत दिये गये प्राधिकार के भीतर है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है। इस अध्याय में वर्ष 2017-18 के लिए लेखा नियंत्रक, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा तैयार किए गए विनियोजन लेखों के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ शामिल हैं।

बजट तथा व्यय के प्रबंधन में कमियों का अनुवर्ती पैराग्राफों में वर्णन किया गया है।

## 2.2 विनियोजन लेखों का सारांश

वर्ष 2017-18 के दौरान 14 अनुदानों/विनियोजनों के प्रति वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति तालिका 2.1 में दी गई है:


तालिका 2.1: मूल/पूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)						
	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोजन	पूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ अधिकता (+)
दत्तमत्त	राजस्व	35,069.25	1,018.54	36,087.79	30,827.31	(-) 5,260.48
	पूँजीगत	5,127.16	102.03	5,229.19	3,295.06	(-) 1,934.13
	ऋण व अग्रिम	2,763.38	79.07	2,842.45	2,247.49	(-) 594.96
<b>कुल दत्तमत्त</b>		<b>42,959.79</b>	<b>1,199.64</b>	<b>44,159.43</b>	<b>36,369.86</b>	<b>(-) 7,789.57</b>
प्रभारित	राजस्व	3,357.66	2.29	3,359.95	3,106.97	(-) 252.98
	पूँजीगत	0.10	0.15	0.25	0.16	(-) 0.09
	ऋण व अग्रिम	1,682.45	0.00	1,682.45	1,682.43	(-) 0.02
<b>कुल प्रभारित</b>		<b>5,040.21</b>	<b>2.44</b>	<b>5,042.65</b>	<b>4,789.56</b>	<b>(-) 253.09</b>
आकस्मिक निधि का विनियोजन (यदि कोई हो)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल जोड़</b>		<b>48,000.00</b>	<b>1,202.08</b>	<b>49,202.08</b>	<b>41,159.42</b>	<b>(-) 8,042.66</b>

₹ 1,202.08 करोड़ का पूरक प्रावधान मूल प्रावधान का 2.5 प्रतिशत था जबकि पिछले वर्ष यह 1.78 प्रतिशत था।

### 2.2.1 विनियोजन लेखा 2017-18 का विश्लेषण

चार्ट 2.2 : बजट को किस प्रकार कार्यान्वित किया गया



स्रोत: विनियोजन लेखे

2017-18 के दौरान कुल अनुदान तथा ₹ 49,202.08 करोड़ के विनियोजन के प्रति ₹ 41,159.42 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8,042.66 करोड़ की बचत हुई (तालिका 2.2)। राजस्व (दत्तमत) के अंतर्गत 12 अनुदानों (उपशीर्ष) एवं राजस्व (प्रभारित) के अंतर्गत 11 अनुदानों (उपशीर्ष) में ₹ 5,516.48 करोड़ की बचत तथा पूँजीगत (दत्तमत) के अंतर्गत 10 अनुदानों (उपशीर्ष) एवं पूँजीगत (प्रभारित) के अंतर्गत एक अनुदान और ऋण अनुभाग के अंतर्गत एक विनियोजन (लोक ऋण-भुगतान) में ₹ 2,529.40 करोड़ की बचत तथा राजस्व (दत्तमत) के अंतर्गत मुख्यतः ₹ 3.03 करोड़ का आधिक्य एवं पूँजीगत (दत्तमत) के अंतर्गत ₹ 0.19 करोड़ के आधिक्य के परिणाम में कुल बचत ₹ 8,042.66 करोड़ हुई।

तालिका 2.2: विभिन्न अनुदानों (उपशीर्षों) के अंतर्गत कुल बचत अथवा आधिक्य

विवरण	अनुदान/विनियोजन की संख्या					राशि (₹ करोड़ में)
	राजस्व (दत्तमत)	राजस्व (प्रभारित)	पूँजीगत (दत्तमत)	पूँजीगत (प्रभारित)	लोक ऋण पुनर्भुगतान	
बचत हुई	12	11	10	1	1	(-) 8,045.88
अधिक व्यय हुए	4	0	1	0	0	3.22

स्रोत: विनियोजन लेखे

## 2.3 वित्तीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन

### 2.3.1 आबंटित प्राथमिकताओं की तुलना में बचतें

वर्ष 2017-18 के विनियोजन लेखों से पता चला कि कुल ₹ 564.45 करोड़ के पाँच अनुदानों से संबंधित छः मामलों में ₹ 50 करोड़ से अधिक की बचत की गई थीं (परिशिष्ट 2.1)।

मामला न्यायाधीन होने के कारण विज्ञापनों के लिए निश्चित बजट का खर्च नहीं किया जाना, वेतनमान के बढ़ने पर बकायों का गैर-भुगतान, कम बिलों की प्राप्ति तथा कम ऋण को जारी किये जाने के फलस्वरूप बचत हुई थीं।

### 2.3.2 निरंतर बचतें

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, तीन अनुदानों ने ₹ 1.00 करोड़ से अधिक या कुल अनुदान के 20 प्रतिशत से अधिक की निरंतर बचतों को दर्शाया जिसका ब्यौरा तालिका 2.3 में दिया गया है:

तालिका 2.3: 2013-18 के दौरान निरंतर बचतों को दर्शाने वाले अनुदानों की सूची  
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की शीर्ष सं. व नाम		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>राजस्व - दत्तमत</b>							
1.	<b>अनुदान सं. 3- न्यायिक प्रशासन</b>						
	2014.00.108.99/ न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट	कु. प्रा.	39.62	47.77	62.41	58.50	59.07
		ब.	6.04	8.05	15.29	8.13	7.86
		%	15.24	16.85	24.50	13.90	13.31
2.	<b>अनुदान सं. 7- चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य</b>						
	2211.00.102.80 शहरी परिवार कल्याण केंद्र (सी एस एस)	कु. प्रा.	4.90	10.67	10	19.26	4.29
		ब.	3.50	9.21	8.71	17.76	2.50
		%	71.43	86.32	87.10	92.21	58.28
<b>पूँजीगत-दत्तमत</b>							
3.	<b>अनुदान सं. 8- समाज कल्याण</b>						
	5055.00.800.97-इलेक्ट्रॉनिक ट्राली बसों - परिवहन की वैकल्पिक प्रणाली का आरंभ	कु. प्रा.	100	3	11	11.73	30.00
		ब.	97.21	3	11	11.73	12.66
		%	97.21	100	100	100	42.20

कु.प्रा.-कुल प्रावधान (वास्तविक+पूरक+पुनर्विनियोजन), ब.-बचतें, % - प्रतिशतता

2017-18 में बचतें कम बिलों की प्राप्ति, प्रशासनिक कारणों एवं प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में देरी के फलस्वरूप हुई थीं। वर्ष 2016-17 के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राज्य वित्त प्रतिवेदन में उल्लेख किए जाने के बावजूद वर्तमान वर्ष में भी निर्धारित उपरोक्त अनुदानों के अंतर्गत बचतें हुईं जो आवश्यक निधि के गलत निर्धारण को दर्शाता है। इसका पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक है।

### 2.3.3 सम्पूर्ण प्रावधान की बचत

आठ अनुदानों के 30 उपशीर्षों में (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा उससे अधिक) ₹ 72.79 करोड़ का सम्पूर्ण प्रावधान विभागों द्वारा अप्रयुक्त रह गया अथवा वित्त वर्ष 2017-18 की समाप्ति के पूर्व सरकारी खातों में वापिस जमा करा दिया गया। उप-शीर्षों का विवरण परिशिष्ट-2.2 में दिया गया है। **सम्पूर्ण प्रावधान की बचत इस तथ्य की ओर संकेत करती थी कि आकलन परियोजनाओं/योजनाओं की पर्याप्त संवीक्षा के बिना ही तैयार किए गए थे।** योजनाएँ जो सम्पूर्ण प्रावधान को उपयोग नहीं किए जाने के कारण प्रारंभ नहीं हुईं, वे थीं- अल्पसंख्यक केन्द्रीयकृत जिलों हेतु बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (₹ 5.00 करोड़), अल्पसंख्यक छात्रों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (सी.सी.एस.) (₹ 6.00 करोड़), तथा प्रधान मंत्री मैत्री बंधना योजना (सीएसएस) (₹ 3.90 करोड़)।

### 2.3.4 अनावश्यक पूरक प्रावधान

पूरक माँग का चुनाव असामान्य और अत्यावश्यक मामलों में ही करना चाहिए। पूरक अनुदान को प्राप्त करते समय विभाग को वर्ष के दौरान उपलब्ध अथवा उपलब्ध होने की संभावना वाले संसाधनों को ध्यान में रखना पड़ता है और निधियों की अतिरिक्त बजटीय आवश्यकता का पूर्वानुमान करते समय आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए।

वर्ष 2017-18 के विनियोजन लेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि उच्चतर/अतिरिक्त व्यय की प्रत्याशा में 11 उप-शीर्षों में ₹ 34.94 करोड़ का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया जैसा कि परिशिष्ट 2.3 (चार्ट 2.3) में वर्णित है। हालाँकि, पाँच मामलों में अंतिम व्यय मूल अनुदान से भी कम था जबकि छः मामलों में पूरक अनुदान के उद्देश्य को विफल करते हुए पूरक प्रावधान से कोई व्यय नहीं हुआ था।

चार्ट 2.3: अनावश्यक पूरक प्रावधान



स्रोत: विनियोजन लेखे

### 2.3.5 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन में अनुदान के भीतर ही निधियों को विनियोजन की एक इकाई जहाँ बचतें प्रत्याशित हों, से एक दूसरी इकाई, जहाँ अतिरिक्त निधियों की

आवश्यकता हो, स्थान्तरित किया जाता है। आठ अनुदानों में 37 उपशीर्षों के अंतर्गत जहाँ अंतिम बचत एक करोड़ रुपये से अधिक थी, अनावश्यक रूप से पुनर्विनियोजन किए गये क्योंकि विभाग अपने मौजूदा अनुदानों का भी पूर्ण उपयोग नहीं कर सके और ₹95.18 करोड़ के पुनर्विनियोजन के साथ ₹283.98 करोड़ की राशि उपयोग न होकर संचित रही जैसा कि परिशिष्ट 2.4 में बताया गया है। विभागों ने निधियों की देरी से प्राप्ति, निविदाओं को नहीं निकाला जाना, रिक्त पदों को नहीं भरा जाना, प्रत्याशित दावों का प्राप्त नहीं होना, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्राप्ति नहीं होना, खरीद प्रस्तावों का कार्यान्वित न होना और तकनीकी वजह से पूरी तरह से भुगतानों का न किया जाना जैसे कारणों को बताया। निम्नलिखित महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ हैं:

- (i) अनुदान संख्या 2 - 'सामान्य प्रशासन विभाग' के अधीन अधिक खरीद की प्रत्याशा में उप-शीर्ष 'दिल्ली सरकार हेतु सेवा चयन बोर्ड' के अधीन ₹9.88 करोड़ पुनर्विनियोजित किए गये थे। हालाँकि वहाँ ₹11.67 करोड़ की अंतिम बचत थी।
- (ii) अनुदान संख्या 5 - 'गृह' के अधीन कारागार स्थापना के उप-शीर्ष के अधीन अधिक खरीद की प्रत्याशा में ₹4.02 करोड़ पुनर्विनियोजित किए गये थे। हालाँकि, वहाँ ₹56.23 करोड़ की अंतिम बचत थी।
- (iii) अनुदान संख्या 6 - 'शिक्षा' के अधीन अतिरिक्त स्कूलिंग सुविधाएं उप-शीर्ष के अधीन अधिक बिलों के भुगतान की प्रत्याशा में ₹7.20 करोड़ पुनर्विनियोजित किये गये थे। हालाँकि, वहाँ ₹88.82 करोड़ की अंतिम बचत थी।
- (iv) अनुदान संख्या 6 - 'शिक्षा' के अधीन पूँजीगत-दत्तमत से तकनीकी शिक्षा बहु-प्रौद्योगिकी उपकरण उप-शीर्ष के अधीन अधिक खरीद की प्रत्याशा में ₹1.00 करोड़ पुनर्विनियोजित किये गये थे। हालाँकि, वहाँ ₹5.98 करोड़ की अंतिम बचत थी।
- (v) अनुदान संख्या 8 - 'समाज कल्याण' के अधीन पूँजीगत-दत्तमत से 'अशक्त व्यक्ति के कार्यान्वयन के लिए योजना' अधिनियम 1995 (एस.आई.पी.डी.ए.) (सी.सी.एस.) उप-शीर्ष के अधीन स्कीम की अच्छी प्रगति की प्रत्याशा में ₹10.70 करोड़ पुनर्विनियोजित किये गये। हालाँकि, सम्पूर्ण पुनर्विनियोजन की राशि अंतिम रूप से बची रही।

उपरोक्त अधिक/अनावश्यक निधियों का पुनर्विनियोजन त्रुटिपूर्ण बजट प्रक्रिया का सूचक था।

### 2.3.6 पर्याप्त अभ्यर्पण

25 उप-शीर्षों (परिशिष्ट 2.5) में ₹ 1,249.81 करोड़ के (मूल प्रावधान के ₹ 10 करोड़ तथा 70 प्रतिशत से अधिक) पर्याप्त अभ्यर्पण किए गए जिनमें से तीन उप-शीर्षों में भारत सरकार से कम बिलों की प्राप्ति, कम अनुदान जारी किये जाने तथा भारत सरकार के साथ पेंशन देयताओं के गैर-निपटान के कारण ₹ 150 करोड़ की अनुदान राशि का शत-प्रतिशत अभ्यर्पण हुआ।

अनुदान संख्या 8: समाज कल्याण तथा अनुदान संख्या 10: विकास के अन्तर्गत ₹ 168.98 करोड़ तथा ₹ 835.84 करोड़ की राशि का पर्याप्त अभ्यर्पण हुआ।

### 2.3.7 प्रत्याशित बचतों का अभ्यर्पण न किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमों (सा.वि.नि.) का नियम 56(2) बताता है कि बचतों के साथ-साथ प्रावधान, जिनको लाभकारी ढंग से उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, उनका पूर्वानुमान होते ही वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को अभ्यर्पित किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य बाद के स्तर पर अभ्यर्पण की संभावना को कम करना होता है। वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर, प्रत्येक अनुदान/विनियोजन में ₹ एक करोड़ या अधिक बचत वाले 10 अनुदानों के अन्तर्गत ₹ 5,560.98 करोड़ की बचतों में से, ₹ 2,206.04 करोड़ (बचतों का 39.67 प्रतिशत) की राशि को अभ्यर्पित नहीं किया गया था जिसके ब्यौरे परिशिष्ट 2.6 में दिये गये हैं।

### 2.3.8 व्यय का द्रुतप्रवाह

सा.वि.नि. का नियम 56 निर्धारित करता है कि विशेषतः वित्तीय वर्ष की समाप्ति के महीनों में व्यय का द्रुतप्रवाह वित्तीय औचित्य के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा तथा इसे दूर किया जाना चाहिए। इसके विपरीत विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की अंतिम तिमाही में छः अनुदानों के अंतर्गत 26 उप शीर्षों में किया गया व्यय कुल व्यय के 50.47 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के बीच था जो परिशिष्ट 2.7 में दिया गया है।

यह देखा गया कि 2017-18 के दौरान छः अनुदानों के अंतर्गत 26 उपशीर्षों पर ₹ 1,404.51 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 1,101.26 करोड़ (78.40 प्रतिशत) का व्यय अंतिम तिमाही में किया गया जबकि व्यय का 96.67 प्रतिशत (₹ 1,064.55 करोड़) मार्च 2018 में किया गया। अंतिम तिमाही के दौरान, विशेषतः मार्च माह के दौरान व्यय का द्रुतप्रवाह वित्तीय नियमों की गैर-अनुपालना का संकेत देता है।

## 2.4 व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित की गई वसूलियाँ

विधायिका को प्रस्तुत किए जाने वाले अनुदानों के लिए माँगें जिनमें जमा और वसूलियाँ सम्मिलित होती हैं, सकल व्यय के लिए होती हैं, जिन्हें व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित किया जाता है। प्रत्याशित वसूलियों और जमा को बजट आकलनों में पृथक रूप से 'शून्य' दिखाया गया था। वर्ष 2017-18 के दौरान 'शून्य' पूर्वानुमानित वसूलियों की तुलना में ₹ 106.61 करोड़ की वास्तविक वसूलियाँ थीं।

## 2.5 अनुदान सं. 11-शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग की संवीक्षा के परिणाम

2015-18 की अवधि के लिए अनुदान सं. 11- शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के संबंध में बजटीय प्रक्रिया तथा व्यय पर नियंत्रण की संवीक्षा सितम्बर 2018 में की गई जिसके मुख्य बिंदु निम्न प्रकार हैं:

- (i) पिछले तीन वर्षों के लिए अनुदान के अंतर्गत बजट प्रावधान, किए गए व्यय तथा बचत की पूरी स्थिति को तालिका 2.4 में दिया गया है:

तालिका 2.4: बजट तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रावधान		किया गया व्यय		बचत	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
2015-16	8,093.43	6,734.07	7,510.83	4,878.67	582.60	1,855.40
2016-17	10,004.10	6,069.86	8,514.63	4,229.03	1,489.47	1,840.83
2017-18	10,148.58	4,842.29	8,987.30	3,784.15	1,161.28	1,058.14
<b>कुल</b>	<b>28,246.11</b>	<b>17,646.22</b>	<b>25,012.76</b>	<b>12,891.85</b>	<b>3,233.35</b>	<b>4,754.37</b>

- (ii) अनुदान के अंतर्गत 14 मामलों/उप-शीर्षों में ₹ एक करोड़ या अधिक की लगातार बचतें थी जो अव्यवहारिक बजटिंग तथा त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबंधन को दर्शाती हैं।
- (iii) अनुदान के वर्गीकृत विनियोजन लेखों की संवीक्षा यह दिखाती है कि राजस्व दत्तमत सेक्शन में 7 से 15 प्रतिशत की तथा राजस्व प्रभारित सेक्शन में 83 से 97 प्रतिशत की निरंतर बचतें थी जबकि पूँजीगत दत्तमत सेक्शन में बचतें कुल अनुदान का 22 से 30 प्रतिशत थीं जो अव्यावहारिक बजटिंग तथा त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रावधानों को इंगित करती हैं।
- (iv) 41 मामलों में पुनर्विनियोजन अनावश्यक था क्योंकि विभाग अपने वास्तविक अनुदान को पूर्ण रूप से उपयोग में नहीं ला सके, परिणामस्वरूप 2015-16 से 2017-18 के दौरान ₹ 325.01 करोड़ के पुनर्विनियोजन के प्रति इन मामलों में ₹ 531.03 करोड़ की संचित अनुपयोगी राशि थी।

- (v) अनुदान के अंतर्गत 166 उप-शीर्ष में विभाग द्वारा संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे। संपूर्ण प्रावधान की बचत इस तथ्य को इंगित करती थी कि वास्तविक आवश्यकता का मूल्यांकन किए बिना तथा संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं की उचित संवीक्षा किए बिना आकलन बनाए गए (परिशिष्ट 2.8)।
- (vi) सा.वि.नि. का नियम 56(3) बताता है कि व्यय का द्रुतप्रवाह विशेषतः वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है तथा इसे रोका जाना चाहिए। इसके विपरीत, विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत कुल व्यय का 53 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य खर्च किया गया।

## 2.6 निष्कर्ष

2017-18 के दौरान ₹ 49,202.08 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति ₹ 41,159.42 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8,042.66 करोड़ (16.35 प्रतिशत) की बचत हुई।

2017-18 के दौरान 11 उप-शीर्षों में ₹ 34.94 करोड़ का पूरक प्रावधान अनावश्यक था और 37 उप-शीर्षों में निधियों का पुनर्विनियोजन जिनमें ₹ एक करोड़ से अधिक की अंतिम बचतें अविवेकपूर्ण तरीके से की गईं जिसके परिणामस्वरूप ₹ 283.98 करोड़ के प्रावधान का उपयोग न हो सका/अधिक हो गया।

41 मामलों में पुनर्विनियोजन अनावश्यक साबित हो गया क्योंकि विभागों ने अपने वास्तविक अनुदान का उपयोग पूरी तरह से नहीं किया और जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान अनुदान सं. 11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत ₹ 531.03 करोड़ की संचित अनुपयोगी राशि थी।

**अध्याय-3**  
**वित्तीय रिपोर्टिंग**



## अध्याय - 3

### 3 वित्तीय रिपोर्टिंग

प्रासंगिक तथा विश्वसनीय सूचना के साथ सक्षम आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली राज्य सरकार द्वारा दक्ष तथा प्रभावी प्रशासन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की गुणवत्ता तथा सामयिकता अच्छे प्रशासन की विशेषताओं में से एक है। इस अध्याय में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों की अनुपालना की चर्चा की गई है।

#### 3.1 लेखाकरण मानकों की अनुपालना

भारत सरकार द्वारा तीन भारतीय सरकारी लेखाकरण मानकों (आई.जी.ए.एस.) को अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान लेखांकन मानकों की अनुपालना को नीचे तालिका 3.1 में वर्णित किया गया है:-

तालिका 3.1: आई.जी.ए.एस. का कार्यान्वयन

आई.जी.ए.एस.	कार्यान्वयन की स्थिति	टिप्पणियाँ
आई.जी.ए.एस.-I (सरकार द्वारा दी गई गारंटियां)	ला.न.	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को उनके समेकित निधि की प्रतिभूति पर गारंटी देने का अधिकार नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन भारत सरकार द्वारा सरकारी गारंटियां दी जाती हैं। 2013-14 से 2017-18* की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ओर से सरकार द्वारा कोई गारंटी नहीं दी गई।
आई.जी.ए.एस.-II (सहायता अनुदान - स.अ. का लेखाकरण तथा वर्गीकरण)	अनुपालन नहीं किया गया	सरकार ने बताया (मार्च 2019) कि आई.जी.ए.एस.- II के अनुसार स.अ. के लेखाकरण तथा वर्गीकरण की अनुपालना वित्त लेखा 2018-19 में की जायगी।
आई.जी.ए.एस.-III (सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम)	अनुपालन नहीं किया गया	सरकार ने बताया (मार्च 2019) कि आई.जी.ए.एस.-III में दिए गए ऋण तथा अग्रिम के प्रकटीकरण को वित्त लेखा 2018-19 में लिया जाएगा।

\* सूचना प्रधान लेखा कार्यालय (रा.रा.क्षे.दि.स.) द्वारा उपलब्ध कराई गई।

#### 3.2 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलंब

सा.वि.नि. का नियम 212 प्रावधान करता है कि विशेष उद्देश्यों हेतु वर्ष के दौरान जारी किए गए अनुदानों के लिए, विभागीय अधिकारियों को अनुदानग्राहियों से वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीनों के अन्दर उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) प्राप्त किए जाने चाहिए। जबकि 31 मार्च 2017 तक जारी किए गए अनुदानों के संबंध में, ₹ 6,953.64 करोड़ की समेकित राशि के 2,667 उ.प्र. 31 मार्च 2018 तक अनुदानग्राहियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे। उ.प्र. के प्रस्तुतिकरण में समयवार विलंब का विवरण तालिका 3.2 में दिया गया है:

**तालिका 3.2: उपयोगिता प्रमाणपत्रों के समयवार बकाया**

क्र. सं.	विलंब की अवधि (वर्षों की संख्या में)	कुल जारी किया गया अनुदान		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
		संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	0-2	918	7,165.87	188	255.04
2	2-4	639	1,961.39	155	226.13
3	4-6	382	3,405.45	250	3,093.65
4	6-8	273	1,001.98	92	583.83
5	8-10	266	3,97.70	93	297.10
6	10 और उससे अधिक	1,993	2,503.41	1,889	2,497.89
	<b>कुल</b>	<b>4,471</b>	<b>16,435.80</b>	<b>2,667</b>	<b>6,953.64</b>

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा भेजी गई सूचना से संकलित

2,667 बकाया उ.प्र. में से ₹ 4,455.75 करोड़ के 778 उ.प्र. दो से 10 वर्षों तक की अवधि से बकाये थे, जबकि ₹ 2,497.89 करोड़ के 1,889 उ.प्र. 10 वर्षों से अधिक समय से बकाया थे।

दिल्ली जल बोर्ड (डी.जे.बी.), दिल्ली विद्युत बोर्ड<sup>1</sup> (डी.वी.बी.) तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय क्रमशः ₹ 1,516.92 करोड़ (21.81 प्रतिशत), ₹ 1,174.27 करोड़ (16.89 प्रतिशत) तथा ₹ 1,158.45 करोड़ (16.66 प्रतिशत) के बकायों के लिए जिम्मेवार थे। भूमि तथा भवन विभाग, दिल्ली राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचनात्मक विकास निगम लिमिटेड, दिल्ली पर्यटन तथा परिवहन विकास निगम लिमिटेड, शहरी विकास विभाग, अ.जा./अ.जजा. के लिए कल्याण निदेशालय नई दिल्ली नगर निगम (एलएसजी) ने प्राप्त किये गये अनुदान के उ.प्र. प्रस्तुत नहीं किये जैसाकि परिशिष्ट 3.1 में वर्णित किया गया है। यह प्रशासनिक विभागों के आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता है तथा सरकार की ओर से पूर्व अनुदानों के उपयुक्त उपयोग को सुनिश्चित किए बिना ही नये अनुदानों को संवितरित कर देने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। उ.प्र. का लंबित रहना निधियों के धोखाधड़ी तथा दुर्विनियोजन के जोखिम से युक्त था।

इसके अतिरिक्त, उ.प्र. के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या आहरित निधि उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई गई जिसके लिए वह आहरित की गई थी।

**3.3 लेखों का गैर-प्रस्तुतीकरण/प्रस्तुतीकरण में विलम्ब**

नि.म.ले.प. (कार्य, शक्ति एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के सेक्शन 19 तथा 20 के अंतर्गत नि.म.ले.प. को 10 निकायों/ प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा सौंपी गई। लेखापरीक्षा सौंपने, लेखापरीक्षा में लेखे देने तथा पृथक लेखापरीक्षा

<sup>1</sup> 1.7.2002 से दिल्ली विद्युत बोर्ड छः अनुषंगी कंपनियों: दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (धारक कंपनी), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, बी.एस.ई.एस राजधानी पावर लिमिटेड-डिस्कॉम, बी.एस.ई.एस यमुना पावर लिमिटेड (बी वाई पी एल)- डिस्कॉम, तथा नार्थ दिल्ली पावर लिमिटेड (एन.डी.पी.एल) -डिस्कॉम में विखंडित हो गया।

प्रतिवेदन जारी किए जाने की स्थिति परिशिष्ट 3.2 में दर्शाई गई है। वर्ष 2016-17 तक 10 निकायों/ प्राधिकरणों में से केवल पाँच<sup>2</sup> निकायों/प्राधिकरणों के वार्षिक लेखे प्राप्त हुए।

पाँच निकायों/ प्राधिकरणों के 2016-17 तक बकाया वार्षिक लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय में मार्च 2018 तक प्राप्त नहीं हुए थे। इन बकाया लेखों के विवरण तालिका 3.3 में दिए गए हैं।

तालिका 3.3: 31 मार्च 2018 को बकाया लेखों के ब्यौरे

क्र. सं.	इकाई/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लिए लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	बकाया लेखों की संख्या
1.	दिल्ली कल्याण समिति	2014-15 से 2016-17	3
2	दिल्ली जल बोर्ड (डी.जे.बी.)	2012-13 से 2016-17	5
3	दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड	2016-17	1
4	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूसआईबी)	2010-11 से 2016-17	7
5	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (एन एस आई टी)	2015-16 और 2016-17	2

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि पाँच निकायों/प्राधिकरणों के वर्ष 2016-17 तक के 18 वार्षिक लेखे बकाया थे।

वार्षिक लेखों के समय पर अन्तिमकरण किए जाने के अभाव में सरकार द्वारा किए गए निवेश लेखापरीक्षा/राज्य विधान सभा की संवीक्षा के बाहर रहे। परिणामस्वरूप, जवाबदेही निश्चित किए जाने के लिए तथा समय पर प्रभावकरिता में सुधार किए जाने के लिए उचित उपाय नहीं किए जा सके। इसके अतिरिक्त लेखों के अन्तिमकरण में विलम्ब धोखाधड़ी तथा सार्वजनिक धनराशि के दुरुपयोग के जोखिम को बढ़ा देता।

सरकार को निकायों/प्राधिकरणों द्वारा वार्षिक लेखों के संकलन तथा प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित प्रणाली का मूल्यांकन किए जाने पर विचार विमर्श करना चाहिए।

#### 3.4 व्यक्तिगत जमा खाते

प्राप्ति तथा भुगतान का नियम 1983 के नियम सामान्यतः 191(3) के साथ पठित नियम 191 में अनुबन्धित है कि व्यक्तिगत जमा खातों के निम्नलिखित प्रकार के मामलों में महालेखा नियंत्रक (म.ले.नि.) के साथ परामर्श करके संबंधित मंत्रालय/विभागों के विशेष आदेश के अंतर्गत खोला जाना प्राधिकृत किया गया है:

<sup>2</sup>(i) गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (ii) दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (iii) दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (iv) अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली तथा (v) इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

- (क) प्रशासक के पक्ष में अथवा उसके द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक धनराशि तथा संलग्न संपत्ति तथा सरकारी प्रबंधन के अधीन संपदा के उद्देश्य के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया जाए। नियम 192(1) के अनुसार सरकार इन पी.डी.ए. को बंद नहीं करती, चाहे वे पूरे तीन वर्षों से अधिक से बकाया हों।
- (ख) नियम 192 (2) के अनुसार सिविल तथा क्रिमिनल कोर्ट जमा खातों के संबंध में संबंधित मुख्य न्यायिक प्राधिकरण तथा पी.डी.ए. के पक्ष में इन्हें बंद नहीं किया जाएगा।
- (ग) जहाँ सरकार की कुछ नियमित गतिविधियों के अधीन, प्राप्तियों को जारी तथा धनराशि को क्रेडिट किया गया अथवा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन लेखों को उनके अंतर्गत व्यय के प्रति उपयोग किया जाना था समेकित धनराशि से कोई व्यय सम्मिलित नहीं किया गया था। इन पी.डी.ए. को सरकार बंद नहीं करेगी जब तक कि किसी प्रासंगिक अधिनियम के प्रावधान लागू न हों।

रा.रा.क्षे. दिल्ली, का प्रधान लेखा कार्यालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के लेखा नियंत्रक के पूर्व अनुमोदन से 12 पी.डी.ए. को चला रहा है। इन पी.डी.ए. को चलाने का मुख्य उद्देश्य भूमि अधिग्रहण प्राधिकरणों (दि.वि.प्रा. आदि) से प्राप्त किए गए मुआवजों की प्राप्ति का जमा कराया जाना, भूमि अधिग्रहण क्लैक्टर्स द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि मालिकों को भुगतान किए जाने के लिए, पेपर बुक मामलों में संवीक्षा प्रभारों, चुनाव याचिका के शुल्कों, सिविल जमा खातों तथा कोर्ट के आदेशनुसार मुकद्दमेबाजी का शुल्क, तथा समेकित धनराशि से कोई व्यय सम्मिलित नहीं था।

**31 मार्च 2018 तक इन 12 पी.डी.ए. में ₹ 56.49 करोड़ का अंतिम शेष था जो समाप्त करने योग्य नहीं है।**

### 3.5 असमायोजित सार आकस्मिक बिल

प्राप्ति तथा भुगतान नियमावली का नियम 118 प्रावधान करता है कि प्रत्येक सार आकस्मिक बिल के साथ इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए कि भुगतान के लिए प्रस्तुत बिल के पहले माह में आहरित किए गए सार आकस्मिक (सा.आ.) बिलों के संदर्भ में विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (वि.प्र.आ.) बिलों को नियंत्रक अधिकारियों को प्रस्तुत किये गये थे।

अभिलेखों की जाँच ने दर्शाया कि ₹ 607.64 करोड़ के सा.आ. बिलों के प्रति ₹ 205.21 करोड़ (33.77 प्रतिशत) की कुल राशि के वि.प्र.आ. प्राप्त हुए। जिस

कारण 31 मार्च 2018 तक ₹ 402.43 करोड़ के सा.आ. बिल बकाया थे। वर्षवार विवरण तालिका 3.4 में दिया गया है।

**तालिका 3.4: सार आकस्मिक बिलों के प्रति विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों की प्रस्तुति में विलंब**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सा.आ. बिलों की राशि	वि.प्र.आ. बिलों की राशि	सा.आ. बिलों की प्रतिशतता में वि.प्र.आ. बिल	बकाया सा.आ. बिल
2012-13 तक	142.77	12.53	8.77	130.24
2013-14	29.58	7.64	25.82	21.94
2014-15	47.80	23.10	48.33	24.70
2015-16	67.27	19.22	28.57	48.05
2016-17	144.16	75.63	52.46	68.53
2017-18	176.06	67.09	38.11	108.97
<b>कुल</b>	<b>607.64</b>	<b>205.21</b>	<b>33.77</b>	<b>402.43</b>

जैसाकि तालिका में देखा जा सकता है, पाँच वर्षों से अधिक अवधि के सा.आ. बिल बकाया थे। फिर भी, 2017-18 में पिछले वर्ष से वि.प्र.आ. बिलों के द्वारा सा.आ. बिलों का समायोजन 52.46 प्रतिशत से घट कर 38.11 प्रतिशत हो गया। विभिन्न विभागों द्वारा वि.प्र.आ. बिलों के गैर-प्रस्तुतिकरण के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि आहरित निधि उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई गई जिसके लिये यह आहरित की गयी थी।

2017-18 के दौरान ₹ 176.06 करोड़ के सा.आ. बिलों के प्रति ₹ 90.85 करोड़ (51.60 प्रतिशत) की राशि मार्च 2018 से संबंधित थी।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2018) कि जुलाई 2018 तक बकाया राशि घटकर ₹ 349.63 करोड़ हो गई थी। हालांकि तथ्य यह है कि सा.आ. बिलों के समायोजन के अभाव के कारण शेष बकाया है।

सा.आ. बिलों की निकासी के पश्चात् निर्दिष्ट समय के अंदर वि.प्र.आ. बिलों को प्रस्तुत नहीं करने से वित्तीय नियमों का उल्लंघन हुआ है तथा सार्वजनिक धनराशि के दुर्विनियोजन व गलत कार्यप्रणाली का जोखिम रहता है। अतः इसकी गंभीरता से अनुवीक्षण करने की आवश्यकता है।

**3.6 मुख्य शीर्ष-7610-सरकारी कर्मचारियों को ऋण के अंतर्गत ऋणात्मक शेष**

रा.रा.क्षे. दिल्ली के वर्ष 2017-18 के वित्त लेखों की संवीक्षा दर्शाती है कि विवरणी सं. 16 (सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों की विस्तृत

विवरण) में बिना कोई स्पष्टीकरण दिये ऋणों तथा अग्रिमों के ऋणात्मक/प्रतिकूल शेष थे जैसाकि तालिका 3.5 में वर्णित है।

तालिका 3.5: ऋणों तथा अग्रिमों के ऋणात्मक/प्रतिकूल शेष

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	31.03.2018 को शेष
1	6401	कृषि कार्य के लिए ऋण 105- खाद तथा उर्वरक	(-)90.08
2	7610	सरकारी कर्मचारियों को ऋण 201-गृह निर्माण अग्रिम	(-)618.37
3	7610	सरकारी कर्मचारियों को ऋण 202-मोटर वाहन खरीदने के लिए अग्रिम	(-)223.20
4	7610	सरकारी कर्मचारियों को ऋण 203-अन्य वाहनों को खरीदने के लिए अग्रिम	(-)22.85
5	7610	सरकारी कर्मचारियों को ऋण 204- कंप्यूटर खरीदने के लिए अग्रिम	(-)160.10

सरकार ने कहा (सितम्बर 2018) कि मुख्य शीर्ष 6401- कृषि कार्य के लिए ऋण, 105- खाद तथा उर्वरक के अधीन ऋणात्मक शेष संबंधित विभागों तथा वेतन एवं लेखा कार्यालय (पी.ए.ओ.) से लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि मुख्य शीर्ष 7610- सरकारी कर्मचारियों को ऋण के अंतर्गत ऋणात्मक शेष का संबंध केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग के केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) कार्मिकों द्वारा लिए गए ऋण से है जिसकी वसूली लो.नि.वि, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार में उनकी कार्यावधि के दौरान ही की जाती है। वसूलियों को भी मुख्य शीर्ष 7610-सरकारी कर्मचारियों को ऋण के अंतर्गत प्राप्तियों में क्रेडिट किया जाता है। इन वसूलियों को केन्द्र सरकार को उन कर्मचारियों के स्थानान्तरण के समय केन्द्र सरकार के विभाग के पी.ए.ओ. को स्थानान्तरित कर दिया जाता है। इस प्रकार एक विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ केन्द्र सरकार के पीएओ को स्थानांतरित की गई राशि से अधिक हो सकती है। जिसके परिणामस्वरूप लेखों में प्रतिकूल शेष होता है। हालाँकि, इस मामले की पहले ही सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने के लिए जांच की जा रही है तथा आगामी वित्तीय वर्ष के लेखों में उपयुक्त सुझाव दिये जाएंगे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मंत्रालय/विभागों में के.लो.नि.वि. के कर्मचारियों द्वारा लिए गए ऋणों के संबंध में वसूलियाँ तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के लो.नि.वि. में उनकी समयावधि के दौरान की जाने वाली वसूली को केन्द्र सरकार के पी.ए.ओ. को एक साथ स्थानान्तरित की जानी चाहिए। यह रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा भारत

सरकार की धनराशि के अवरोधन के समान है। इन मामलों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन राज्य वित्त 2016-17 के प्रतिवेदन में विशेष रूप से दर्शाए जाने के बावजूद इन पर कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए। इनका पुनरीक्षण किए जाने की आवश्यकता है।

### 3.7 लघु शीर्ष 800-‘अन्य प्राप्तियाँ’ तथा अन्य व्यय के अंतर्गत बुकिंग

#### विविध लघु शीर्ष-800 का प्रचालन

लघु शीर्ष ‘800- अन्य प्राप्तियाँ’ और ‘800-अन्य व्यय’ के अंतर्गत बुकिंग केवल तभी करनी चाहिए जब लेखों में उचित लघु शीर्ष न दिये गये हों। लघु शीर्ष-800 के नियमित प्रचालन से बचना चाहिए क्योंकि ये लेखों को अपारदर्शी बनाता है।

2017-18 के दौरान 19 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 196.97 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से ₹ 189.10 करोड़ (96.00 प्रतिशत) की प्राप्तियाँ लघु शीर्ष ‘800- अन्य प्राप्तियाँ’ के अंतर्गत वर्गीकृत की गईं। यह कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 38,667.27 करोड़) का 0.49 प्रतिशत था। जहाँ प्राप्ति ₹ 10.00 करोड़ से अधिक है, के महत्वपूर्ण अंश को लघु शीर्ष ‘800-अन्य प्राप्तियों’ के अधीन वर्गीकृत किया गया है जिसके उदाहरण तालिका 3.6 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 3.6: लघुशीर्ष- ‘800 अन्य प्राप्तियाँ’ के अधीन बुक की गई अभ्यर्पित राशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	‘800- अन्य प्राप्तियाँ’			
	मुख्य शीर्ष	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अधीन की गई बुकिंग	प्राप्तियों की प्रतिशतता
1	0059-लोक निर्माण कार्य	14.34	13.14	91.63
2	0210-चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	89.08	83.05	93.23
3	0217-शहरी विकास	32.23	32.23	100
4	0230-श्रम तथा रोजगार	20.79	20.20	97.16
5	0801-पॉवर	26.25	26.25	100

2017-18 के दौरान 16 मुख्य शीर्ष लेखों के अधीन, लघु शीर्ष लेखा-‘800 - अन्य व्यय’ के अधीन ₹ 3,359.87 करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 3,258.79 करोड़ (96.99 प्रतिशत) को वर्गीकृत किया गया जो कुल व्यय (₹ 39,244.43 करोड़) का 8.30 प्रतिशत था। दृष्टांत जहाँ लघु शीर्ष ‘800- अन्य व्यय’ के अधीन ₹ 10.00 करोड़ से अधिक है के महत्वपूर्ण अंश को वर्गीकृत किया गया है जिसके उदाहरण तालिका 3.7 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 3.7: लघुशीर्ष- '800 अन्य व्यय' के अधीन बुक की गई अभ्यर्पित राशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	'800-अन्य व्यय'			
	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अधीन की गई बुकिंग	व्यय की प्रतिशतता
1	2041-वाहनों पर कर	214.55	157.72	73.51
2	2211-परिवार कल्याण	53.64	40.00	74.57
3	2702-सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	17.10	13.31	77.84
4	2801-पॉवर	1,694.32	1,694.32	100.00
5	3054-सड़कें तथा पुल	531.08	509.06	95.85
6	3075-अन्य परिवहन सेवायें	660.17	660.17	100.00
7	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय	96.62	96.62	100.00
8	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय	64.86	64.86	100.00

सरकार ने कहा (सितम्बर 2018) कि वित्त विभाग इन मामलों की जांच करेगा तथा तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले को राज्य वित्त के पूर्व प्रतिवेदनों में भी इंगित किया गया था। हालाँकि, कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार को लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत वर्तमान में दर्शाई गई सभी मदों का व्यापक पुनरीक्षण कराना चाहिए तथा वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता को बढ़ाए जाने के लिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये सभी प्राप्तियां तथा व्यय लेखों के उपयुक्त शीर्ष में सही ढंग से दर्ज कर दिए गए हैं।

### 3.8 निष्कर्ष

विभिन्न अनुदानग्राही संस्थानों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण में विशेषरूप से विलंब था तथा इसके परिणामस्वरूप अनुदानों की उपयुक्त उपयोगिता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था। ₹ 4,455.75 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र दो से 10 वर्ष के मध्य अवधि के दौरान बकाया थे जबकि ₹ 2,497.89 करोड़ के 10 वर्षों से अधिक की अवधि से बकाया थे। यहाँ इस प्रकार, यह आश्वस्त नहीं किया जा सका कि अनुदानों के प्रति व्यय वास्तविक रूप से उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिस उद्देश्य के लिए वह प्राधिकृत किया गया था।

31 मार्च 2018 तक ₹ 402.43 करोड़ के सा.आ. बिलों के बकाया शेष को छोड़कर ₹ 607.64 करोड़ के सार आकस्मिक बिलों के प्रति ₹ 205.21 करोड़ (33.77 प्रतिशत) के विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल प्राप्त किए गए थे। 2017-18 के दौरान, बकाया सार आकस्मिक बिल का 51.60 प्रतिशत केवल मार्च 2018 से संबंधित हैं। ऐसा कोई आश्वासन नहीं है कि राशि

जिसके वि.प्र.आ. बिल बकाया थे वित्त वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से उसी उद्देश्य के लिए व्यय किए गए थे जिसके लिए इसे विधान सभा द्वारा प्राधिकृत किया गया था।

2016-17 तक देय पाँच निकायों/प्राधिकरणों के 18 वार्षिक लेखे मार्च 2018 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्षों '800-अन्य व्यय' तथा '800-अन्य प्राप्तियों' के अधीन दर्ज किए गए व्यय तथा प्राप्तियों की बताई गई धनराशि वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित कर रही थी।

वित्त लेखों में 'लेखों पर टिप्पणियाँ' सम्मिलित नहीं हैं। चूँकि इस प्रतिवेदन में जिन मामलों पर जोर दिए गए हैं वे शुद्धता, पारदर्शिता तथा वित्तीय स्थिति की संपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को वित्त लेखों में 'लेखों पर टिप्पणियाँ' किए जाने हेतु शुरुआत करने की आवश्यकता है।

नई दिल्ली  
दिनांक: 13 अगस्त 2019

अंगम चंद  
(लैसराम अंगम चंद सिंह)  
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक: 16 अगस्त 2019

राजीव महर्षि  
(राजीव महर्षि)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



परिशिष्ट



## परिशिष्ट 1.1

रा.रा.क्षे. दिल्ली की रूपरेखा						
क. सामान्य आँकड़े						
क्र.सं.	विवरण				आँकड़े	
1	क्षेत्रफल				1483 वर्ग किमी	
2	जनसंख्या					
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार			1.39 करोड़	
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार			1.68 करोड़	
3.	क.	जनसंख्या घनत्व (2001 के अनुसार) (सम्पूर्ण भारत का घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)			9340 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.	
	ख.	जनसंख्या घनत्व (2011 के अनुसार) (संपूर्ण भारत का घनत्व = 382* व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)			11320* व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.	
4	गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या (बी पी एल) (अखिल भारतीय औसत = 21.9** प्रतिशत)				39.30	
5.	क.	साक्षरता(2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.8 प्रतिशत)			81.67 प्रतिशत	
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.0*** प्रतिशत)			86.21 प्रतिशत	
6.	बाल मृत्यु दर 2016 (प्रति 1000 जीवित जन्म पर) (अखिल भारतीय औसत**** = 34 प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वालों पर)				18	
7.	जन्म पर जीवन प्रत्याशा***** (2011-15) (अखिल भारतीय औसत = 68.3 वर्ष)				ला.न.	
8.	मानव विकास इंडेक्स*****					
	(क)	1999-2000 (अखिल भारतीय = 0.387)			ला.न.	
	(ख)	2007-08 (अखिल भारतीय = 0.467)			ला.न.	
9. 10.	गिनी गुणांक*****					
	क.	ग्रामीण. (अखिल भारतीय = 0.29)			0.25	
	ख.	शहरी. (अखिल भारतीय = 0.38)			0.35	
11.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2017-18 वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. ***** मि.वा.वृ.द्ध. (2008-09 से 2017-18)				₹ 6,86,017 करोड़	
12.				रा.रा.क्षे. दिल्ली	12.10 प्रतिशत	
				अखिल भारतीय	11.50 प्रतिशत	
12.				रा.रा.क्षे. दिल्ली	15.40 प्रतिशत	
				अखिल भारतीय	12.90 प्रतिशत	
ख. वित्तीय आंकड़े						
क्र.सं.	विवरण	आँकड़े (प्रतिशत में)				
1	मि.वा.वृ.द्ध	2008-09 से 2016-17	2008-09 से 2016-17	2016-17 से 2017-18		
		सामान्य श्रेणी राज्य +	रा.रा.क्षे. दिल्ली	सामान्य श्रेणी राज्य +	रा.रा.क्षे. दिल्ली +	
	ए.	राजस्व प्राप्ति का	15.10	9.72	11.30	12.58
	बी.	स्वयं के कर राजस्व का	14.90	12.45	12.20	14.70
	सी.	गैर कर राजस्व का	9.50	-20.14	5.90	101.23
	डी.	कुल व्यय का	15.80	7.49	4.70	10.21
	ई.	पूँजीगत व्यय का	14.00	-0.78	1.00	-13.62
	एफ.	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	14.50	13.20	6.20	17.70
	जी.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	16.20	11.86	10.7	20.07

\* सेंसस इंडिया 2011 अंतिम जनसंख्या योग

\*\* आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), खंड-II, पृष्ठ क 160-161

\*\*\* आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), खंड-II, पृष्ठ क 155

\*\*\*\* आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), खंड-II, पृष्ठ क 151

\*\*\*\*\* आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), खंड-II, पृष्ठ क 151

\*\*\*\*\* आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), खंड-II, पृष्ठ क 161

\*\*\*\*\* [http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data\\_2312/DatabookDec2014%20106.pdf](http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data_2312/DatabookDec2014%20106.pdf)

\*\*\*\*\* एमओएसपीआई द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए 1 अगस्त, 2017 को जारी जीएसडीपी विवरणी। गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य के संबंध में स.रा.घ.उ. आंकड़े संबंधित महालेखाकारों से प्राप्त हुए हैं।

\*गोवा छोड़कर

**परिशिष्ट 1.2**

((प्रस्तावना को देखें)

**भाग क: सरकारी लेखों की संरचना एवं बनावट**

**सरकारी लेखों की संरचना:** राज्य सरकार के लेखे दो भागों में रखे जाते हैं- (i) समेकित निधि तथा (ii) आकस्मिक निधि। रा.रा.क्षे. दिल्ली में लोक लेखे नहीं है। लेन-देनों से संबंधित ऋण (लघु बचत योजनाओं के अलावा), जमा, अग्रिम, प्रेषणों तथा उचंतों को संघ सरकार के लोक लेखा में दिया जाता है। (पेज 49 पर चार्ट देखें)


**भाग I: समेकित निधि:** राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार बिलों के सभी ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण और ऋणों के पुनः भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक समेकित निधि बनाते हैं। राज्य की समेकित निधि की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत की गई।

**भाग II: आकस्मिक निधि:** राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत की गई है जो राज्यपाल के अधिकाराधीन अग्रदाय के रूप में रखी जाती है जिससे वे अग्रिम देने के योग्य हो सके ताकि विधान मंडल द्वारा लम्बित प्राधिकार प्राप्त होने तक तत्कालीन अप्रत्याशित व्यय को पूरा किया जा सके। तदन्तर ऐसे व्यय के लिये तथा समेकित निधि से समतुल्य राशि के आहरण हेतु विधान मंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जिसके बाद आकस्मिक निधि से प्राप्त अग्रिम से निधि को पूरा किया जाता है।

**भाग ख: वित्तीय लेखों का खाका**

विवरण	खाका
विवरण सं.1	राज्य सरकार के लेन देनों का सारांश- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की समेकित निधि में प्राप्तियाँ तथा व्यय, राजस्व तथा पूँजी, लोक ऋण प्राप्तियाँ एवं संवितरण इत्यादि
विवरण सं.2	वर्ष की समाप्ति पर प्रगामी व्यय को दर्शाने वाले पूँजीगत परिव्यय की संक्षिप्त विवरणी
विवरण सं.3	राज्य की ऋण स्थिति का सारांश जिसमें भारत सरकार से आन्तरिक उधार, अन्य देयताएं एवं ऋणों की सेवाएं सम्मिलित है।
विवरण सं.4	वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, किए गये पुनर्भुगतान और बकाया वसूलियों इत्यादि का सारांश।
विवरण सं.5	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ओर से भारत सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का सारांश
विवरण सं.6	वर्ष की समाप्ति पर शेषों का सारांश
विवरण सं.7	वर्ष के लिये विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कुल राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्यय की प्रतिशतता के रूप में राजस्व और व्यय
विवरण सं.8	वर्ष के दौरान किये गये प्रभारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण
विवरण सं.9	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व का विस्तृत लेखा
विवरण सं.10	वर्ष के लिये पृथक रूप से गैर योजनागत एवं योजनागत के अन्तर्गत लघु शीर्षों के राजस्व व्यय और मुख्य शीर्ष वार पूँजीगत व्यय के लेखे
विवरण सं.11	वर्ष के दौरान तथा समाप्ति तक किये गये विस्तृत पूँजीगत व्यय
विवरण सं.12	वर्ष की समाप्ति तक सरकारी कंपनियों तथा सहकारी संस्थानों में राज्य सरकार के निवेश का विवरण
विवरण सं.13	वर्ष की समाप्ति तक (राजस्व लेखों से बाहर) अन्य व्यय तथा पूँजीगत व्यय और प्रमुख स्रोत जिसमें निधियाँ उस व्यय के लिये प्रदान की गयी थी।
विवरण सं.14	ऋण, कर्जों तथा अग्रिमों इत्यादि से संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियाँ, संवितरणों और शेषों का विस्तृत लेखा।
विवरण सं.15	सरकार के ऋण का विस्तृत लेखा
विवरण सं.16	सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, वर्ष के दौरान अदा की गयी ऋणों की राशि तथा वर्ष की समाप्ति पर शेषों का विस्तृत लेखा

चार्ट: रा.रा.क्षे. दिल्ली के लेखों की संरचना



**परिशिष्ट 1.3**

**(प्रस्तावना को देखें)**

**राजकोषीय स्थिति के निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली**

जी.एस.डी.पी. राज्य की आर्थिक मुख्य राजकोषीय संचय जैसे कर तथा गैर-कर राजस्व, राजस्व तथा पूँजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण तथा राजस्व तथा वर्तमान बाजारी मूल्यों पर जी.एस.डी.पी. की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटे को प्रस्तुत किये जाने के निष्पादन का अच्छा संकेतक मानी जाती है। जी.एस.डी.पी. द्वारा दर्शाए गए आधार के संदर्भ में प्रासंगिक अस्थायी वित्तीय के लिए उत्पलावकता गुणांक भी आकलन करने के लिए लगाया गया आधार में परिवर्तन के साथ संसाधनों की लामबंदी व्यय का तरीका इत्यादि में तेजी आ रही है या यह वित्तीय समुच्चय जी.एस.डी.पी. के अलावा अन्य कारकों से भी प्रभावित हुए हैं। पिछले पांच वर्षों के लिए जी.एस.डी.पी. में प्रवृत्तियों को नीचे दर्शाया गया है:-

**वर्तमान दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में प्रवृत्तियां**

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	4,43,960	4,94,885	5,48,081	6,16,826	6,86,017
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर	13.43	11.47	10.75	12.54	11.22

स्रोत: आर्थिक तथा सांख्यिकी विश्लेषण निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. तथा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

प्रवृत्तियों तथा राजकोषीय संचय के प्रतिमानों के निर्धारण में प्रयोग में लाए जा रहे कुछ चयनित शब्दावलियों की परिभाषाओं को नीचे दिया गया है:

शब्दावली	परिकलन का आधार
पैरामीटर की उत्पलावकता	पैरामीटर/जी.एस.डी.पी. विकास की वृद्धि दर
पैरामीटर की उत्पलावकता (एक्स) अन्य पैरामीटर के संबंध में (वाई)	पैरामीटर की वृद्धि दर (एक्स)/पैरामीटर की वृद्धि दर (वाई)
वृद्धि दर (आर.ओ.जी.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/पिछले वर्ष की राशि}) - 1] * 100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
संचयित व्यय	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋण तथा अग्रिम
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान} / [(\text{पिछले वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि} + \text{वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएँ}) / 2] * 100$
विस्तारित ब्याज	जी.एस.डी.पी. वृद्धि - औसत ब्याज दर
विस्तारित प्रमात्रा	ऋण स्टॉक * विस्तारित ब्याज
बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त किया गया ब्याज	$\text{प्राप्त किया गया ब्याज} / [(\text{अथ शेष} + \text{ऋणों तथा अग्रिमों का अन्त शेष}) / 2] * 100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण तथा अग्रिम - राजस्व प्राप्ति - विविध पूँजीगत प्राप्ति
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज का भुगतान

**परिशिष्ट 1.4**  
**रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त पर समय श्रेणी आँकड़े**  
**(पैराग्राफ 1.1.1 को देखें)**

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>पार्ट ए: प्राप्तियाँ</b>					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	27,981	29,585	34,999	34,346	38,667
(i) कर राजस्व	25,919	26,604	30,226	31,140	35,717
राज्य उत्पाद तथा सेवाएं कर (एस.जी.एस.टी.)	-	-	-	-	13,621
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	-
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	17,926	18,289	20,246	21,144	11,149
राज्य उत्पाद शुल्क	3,152	3,422	4,238	4,251	4,453
वाहनों पर कर	1,409	1,559	1,607	1,809	2,116
स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क	2,969	2,780	3,433	3,144	4,117
भूमि राजस्व	0	62	1	2	2
वस्तुओं तथा यात्रियों पर कर	-	-	-	-	-
अन्य कर	463	492	701	790	259
(ii) गैर कर राजस्व	659	633	515	381	766
(iii) संघीय कर व शुल्क में राज्य अंश	-	-	-	-	-
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	1,403	2,348	4,258	2,825	2,184
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
3. ऋणों व अग्रिमों की वसूलियाँ	803	228	83	212	691
4. कुल राजस्व व गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	28,784	29,812	35,082	34,558	39,358
5. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ	4,162	1,764	2,241	1,696	1,906
आन्तरिक ऋण (पूर्वोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों के अतिरिक्त)	-	-	-	-	-
पूर्वोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	4,162	1,764	2,241	1,696	1,906
6. समेकित निधि से कुल प्राप्तियाँ (4+5)	32,946	31,577	37,323	36,254	41,264
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियाँ	-	-	10	-	2
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	32,946	31,577	37,333	36,254	41,266
<b>पार्ट बी: व्यय/संवितरण</b>					
10. राजस्व व्यय	22,367	23,509	26,343	29,302	33,754
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतानों सहित)	5,597	5,983	6,427	6,590	7,196
सामाजिक सेवाएँ	12,315	13,306	14,818	16,579	19,602
आर्थिक सेवाएँ	3,650	3,319	4,139	5,111	5,862
सहायता अनुदान और अंशदान	804	901	959	1,021	1,094
11. पूंजीगत व्यय	4,707	4,404	4,723	3,754	3,243
सामान्य सेवाएँ	265	371	378	350	228
सामाजिक सेवाएँ	1,543	1,330	1,699	2,130	1,575
आर्थिक सेवाएँ	2,899	2,703	2,647	1,274	1,440
12. ऋणों तथा अग्रिमों का संवितरण	5,652	1,680	2,684	2,553	2,248
13. कुल व्यय (10+11+12)	32,726	29,593	33,750	35,609	39,245
14. सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान	1,325	1,347	1,435	1,655	1,682
आन्तरिक ऋण (पूर्वोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों के अतिरिक्त)	-	-	-	-	-

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1

पूर्वोपाय अग्रिम व ओवरड्राफ्टों के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	1,325	1,347	1,435	1,655	1,682
15. आकस्मिक निधि से विनियोजन	-	-	10	-	-
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	34,051	30,940	35,195	37,264	40,927
17. आकस्मिक निधि से संवितरण	-	-	-	-	2
18. सार्वजनिक खाते से संवितरण	-	-	-	-	-
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	34,051	30,940	35,195	37,264	40,929
<b>पार्ट सी. घाटा</b>					
20. राजस्व घाटा(-)/ राजस्व अधिशेष (+)(1-10)	(+)5,614	(+)6,076	(+)8,656	(+)5,044	(+)4,913
21. राजकोषीय घाटा(-)/ राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-)3,942	(+)219	(+)1,332	(-)1,051	(+)113
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	(-)1,118	(+)2,993	(+)4,142	(+)1,832	(+)2,984
<b>पार्ट डी. अन्य आंकड़े</b>					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2,824	2,774	2,810	2,883	2,871
24. स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता	-	-	-	-	-
25. पूर्वोपाय अग्रिम/उपयोग किए गए ओवरड्राफ्ट (दिन)	-	-	-	-	-
उपयोग किए गए अग्रिम पूर्वोपाय (दिन)	-	-	-	-	-
उपयोग किए गए ओवरड्राफ्ट (दिन)	-	-	-	-	-
26. पूर्वोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	-	-	-	-	-
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)@	4,43,960	4,94,885	54,8081	6,16,826	6,86,017
28. बकाया राजकोषीय देयताएँ	32,080	32,498	33,304	33,345	33,569
29. बकाया गारंटियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	-	-	-	-	-
30. अधिकतम गारंटी की गई राशि (वर्ष के अंत में)	-	-	-	-	-
<b>पार्ट ई. राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक</b>					
<b>I संसाधन गतिशीलता</b>					
निजी कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	5.84	5.38	5.51	5.05	5.21
निजी गैर-कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.15	0.13	0.09	0.06	0.11
<b>II व्यय प्रबंधन</b>					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	7.37	5.98	6.16	5.77	5.72
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	116.96	100.03	96.43	103.68	101.49
राजस्व व्यय/कुल व्यय	68.35	79.44	78.05	82.29	86.01
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	46.60	53.85	51.92	54.68	56.49
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	32.26	21.48	23.33	21.25	20.89
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	14.38	14.88	13.99	10.54	8.26
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	13.57	13.63	12.88	9.56	7.68
<b>III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन</b>					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.	(+)1.26	(+)1.23	(+)1.58	(+)0.82	(+)0.72
राजकोषीय घाटा (अधिशेष) / स.रा.घ.उ.	(-)0.89	(+)0.04	(+)0.24	(-)0.17	(+)0.02
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/ स.रा.घ.उ.	(-)0.25	(+)0.60	(+)0.76	(+)0.30	(+)0.43
<b>IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन</b>					
राजकोषीय देयताएँ/ स.रा.घ.उ.	7.23	6.57	6.08	5.41	4.89
राजकोषीय देयताएँ/आर आर	114.65	109.85	95.16	97.09	86.82
प्रमात्रा प्रसार की तुलना में प्राथमिक घाटा	-82.59	319.82	562.99	141.13	337.09
ऋण मुक्ति (मूल+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
<b>V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक</b>					
निवेश पर प्रतिफल	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/देयताएँ	99.14	98.60	96.90	97.85	97.68

@ सरकार द्वारा सूचित स.रा.घ.उ. आंकड़े अपनाए गए हैं।

टिप्पणी-आंकड़ों को पूर्णांक किया गया है।

**परिशिष्ट 1.5**  
**विभिन्न निकायों से ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण**  
**(पैराग्राफ 1.7.2 को देखें)**

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र/शीर्ष	उप-शीर्ष	राशि	मुख्य एजेंसियां/स्थानीय निकायों जिन्हें ऋण दिया गया था
जल आपूर्ति और स्वच्छता	जल आपूर्ति - शहरी तथा ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों, स्थानीय निकायों नगर पालिकाओं तथा एससी हेतु विशेष घटक योजना के लिए ऋण	10,832.38	दिल्ली जल बोर्ड तथा दि.न.नि.
	सीवरज और स्वच्छता - स्थानीय निकाय नगर पालिकाएँ हेतु ऋण	7,478.11	दिल्ली जल बोर्ड तथा दि.न.नि.
	<b>कुल</b>	<b>18,310.49</b>	
शहरी विकास	झुग्गी बस्ती क्षेत्र का विकास - स्थानीय निकाय नगर पालिकाएँ हेतु ऋण	62.48	दि.न.नि.
	अन्य शहरी विकास योजनाएँ - स्थानीय निकायों नगर पालिकाओं तथा एससी हेतु विशेष घटक योजना के लिए ऋण	1,528.68	दिल्ली शहरी आश्रय निवेश बोर्ड, उत्तरी दि.न.नि., पूर्वी दि.न.नि., दक्षिणी दि.न.नि. तथा दि.न.नि.
	<b>कुल</b>	<b>1,591.16</b>	
सड़क परिवहन	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों तथा अन्य ऋण के लिए	15,385.64	दि.प.नि., डी.एम.आर.सी., एम.आर.टी.एस., तथा पूर्वी दि.न.नि.
ऊर्जा परियोजनाएं	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों, जल विद्युत उत्पादन, ताप विद्युत उत्पादन, डीजल/गैस उत्पादन, ग्रामीण विद्युतीकरण, प्रसारण तथा संवितरण योजनाएँ और अन्य ऋणों के लिए ऋण	11,556.31	आईजीपीसीएल, पीपीसीएल, डीटीएल तथा डीपीसीएल
विविध ऋण	विविध ऋण	16,173.53	दिल्ली शहरी आश्रय निवेश बोर्ड, उत्तरी दि.न.नि., पूर्वी दि.न.नि., दक्षिणी दि.न.नि., दिल्ली जल बोर्ड तथा दि.न.नि.

परिशिष्ट 1.6

भाग अ : वर्ष 2017-18 के लिए प्राप्तियों तथा संवितरणों का सार  
(पैराग्राफ 1.8.1 को देखें)

(₹ करोड़ में)

खण्ड क : राजस्व					
प्राप्ति		संवितरण			
2016-17		2017-18	2016-17		2017-18
34,345.74	I. राजस्व प्राप्ति	38,667.27	29,301.92	I. राजस्व व्यय	33,754.02
31,139.89	कर राजस्व	35,717.02	6,590.28	सामान्य सेवाएं	7,195.96
			16,578.89	सामाजिक सेवाएं	19,602.11
380.69	गैर-कर राजस्व	766.06	7,679.96	शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	9,039.32
			3,654.06	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4,387.54
-	संघीय करों में राज्यों का अंश	-	3,104.22	जल आपूर्ति, स्वच्छता, गृह एवं शहरी विकास	3,241.29
			71.15	सूचना एवं प्रसारण	122.23
1,118.71	गैर-योजनागत अनुदान	0	102.56	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	236.78
550.17	राज्य/केशाक्षे योजनागत परियोजनाओं के लिए अनुदान	0	123.57	श्रम एवं श्रमिक कल्याण	133.09
			1,832.46	समाज कल्याण एवं पोषण	2,430.79
1,156.28	प्रायोजित योजनागत परियोजनाओं के लिए अनुदान	0	10.91	अन्य	11.07
0	केन्द्र प्रायोजित परियोजनाओं	994.73	5,111.41	आर्थिक सेवाएं-	5,862.01
0	विधायिका सहित राज्य/सं.रा. के अन्य स्थानान्तरण/अनुदान	1,189.46	118.72	कृषि एवं अन्य संबद्ध गतिविधियाँ	115.79
			10.45	ग्रामीण विकास	13.67
			-	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-
			167.14	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	167.80
			1,766.41	ऊर्जा	1,694.58
			17.49	उद्योग एवं खनिज	14.65
			2,841.56	परिवहन	3,698.60
			10.99	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	10.50
			178.65	सामान्य आर्थिक सेवाएं	146.42
			1,021.34	सहायता अनुदान एवं योगदान	1,093.94
			<b>29,301.92</b>	<b>कुल</b>	<b>33,754.02</b>
	II. राजस्व घाटा को आगे खण्ड ब तक ले जाना		5,043.82	II. राजस्व अधिशेष को आगे खंड ब तक ले जाना	4,913.25
34,345.74	<b>कुल</b>	<b>38,667.27</b>	<b>34,345.74</b>	<b>कुल</b>	<b>38,667.27</b>

खण्ड-ख : पूँजीगत एवं अन्य					
प्राप्ति			संवितरण		
2016-17		2017-18	2016-17		2017-18
3,654.94	III. स्थायी अग्रिम एवं शेष नकद निवेश सहित प्रारंभिक शेष	2,645.35		III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरंभिक ओवरड्राफ्ट	
	IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ			IV. पूँजीगत रूपरेखा	
			350.21	सामान्य सेवाएं-	228.28
			2,130.04	सामाजिक सेवाएं-	1,574.70
			1,339.27	शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	848.22
			376.94	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	345.67
			346.70	जल आपूर्ति, स्वच्छता, गृह एवं शहरी विकास	240.41
			-	सूचना एवं प्रसारण	-
			25.75	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	48.35
			27.90	समाज कल्याण एवं पोषण	25.40
			13.48	अन्य	66.64
			1,274.05	आर्थिक सेवाएं-	1,439.94
			17.31	कृषि एवं अन्य संबद्ध गतिविधियाँ	19.96
			127.90	ग्रामीण विकास	102.50
			-	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-
			59.77	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	64.97
			17.07	ऊर्जा	2.85
			-	उद्योग एवं खनिज	(-0.10)
			1,051.07	परिवहन	1,249.61
			0.93	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	0.15
			-	सामान्य आर्थिक सेवाएं	-
			3,754.30	कुल	3,242.92
212.50	V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली-	690.42	2,552.52	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	2,247.49
	पॉवर परियोजनाओं से		469.98	पॉवर परियोजनाओं के लिए	465.80
	सरकारी सेवकों से		0.08	सरकारी सेवकों को	0.39
	अन्यों से		2,082.46	अन्यों का	1,781.30
	VI. राजस्व अधिशेष कम किया गया			VI. राजस्व घाटा कम किया गया	
1,695.53	VII. लोक ऋण प्राप्ति-	1906.34	1,654.62	VII. लोक ऋण की पुनर्भुगतन	1,682.43
-	बाह्य ऋण	-	-	बाह्य ऋण	-

**31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1**

-	पूर्वोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	-	-	पूर्वोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	-
-	पूर्वोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	पूर्वोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	-
1,695.53	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,906.34	1,654.62	केन्द्र सरकार को ऋण एवं अग्रिम की पुनर्अदायगी	1,682.43
0	VIII. आकस्मिक निधि से विनियोजन	0	-	VIII. आकस्मिक निधि से विनियोजन	-
-	IX. आकस्मिक निधि में स्थानांतरित राशि	2.4	-	IX. आकस्मिक निधि से व्यय	2.4
-	X. लोक लेखा प्राप्तियाँ	-	-	X. लोक खाता संवितरण	-
-	लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ	-	-	अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ	-
-	आरक्षित निधियाँ	-	-	आरक्षित निधियाँ	-
-	उचंत एवं विविध	-	-	उचंत एवं विविध	-
-	प्रेषण	-	-	प्रेषण	-
	जमा एवं अग्रिम		-	जमा एवं अग्रिम	-
	XI. भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट		2,645.35	XI. अंत में नकद शेष-	2,982.52
			-	खजाने में नकद एवं स्थानीय प्रेषण	-
			-	रिजर्व बैंक में जमा	-
			-	स्थायी अग्रिम को शामिल करते हुए विभागीय नकद शेष	-
				नकद शेष निवेश	
<b>39,908.71</b>	<b>कुल</b>	<b>43,911.78</b>	<b>39,908.71</b>	<b>कुल</b>	<b>43,911.78</b>

**परिशिष्ट 1.6 (जारी)**  
(पैराग्राफ 1.8.1 को देखें)

(₹ करोड़ में)

भाग ब			
31 मार्च 2018 को रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति			
31-03-2017 को	देयताएँ		31-3-2018 को
33,344.78	केन्द्र सरकार से ऋण व अग्रिम		33,568.69
-	1984-85 से पूर्व के ऋण	-	-
33,344.77	गैर-योजनागत ऋण		33,568.68
-	राज्य योजनागत परियोजनाओं के लिए ऋण	-	-
-	केन्द्रीय योजनागत परियोजनाओं के लिए ऋण	-	-
0.01	केन्द्र प्रायोजित योजनागत परियोजनाओं हेतु ऋण	-	0.01
84,915.50	राजस्व अधिशेष		89,828.76
1,587.95	सी जी ए से 1994-95 के दौरान अंगीकृत पूंजीगत परिव्यय का शेष		1,587.95
3,356.46	1994-95 के दौरान सी जी ए से अंगीकृत ऋण व अग्रिमों का शेष		3,356.46
1,23,204.69	कुल		1,28,341.86
	परिसम्पत्तियाँ		
58,304.21	अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय	(क)	61,547.14
18,933.05	कम्पनियों, निगमों इत्यादि के अंशों में निवेश	(ख)	19,173.05
39,371.16	अन्य पूंजीगत परिव्यय	(क-ख)	42,374.09
62,255.13*	ऋण और अग्रिम	क	63,812.20
11,713.69	पॉवर परियोजनाओं हेतु ऋण	ख	11,556.31
34,736.85	अन्य विकास ऋण	ग=क-(ख+घ)	36,092.40
15,804.59	सरकारी कर्मचारियों को ऋण व विविध ऋण	घ	16,163.49
2,645.35	संघ सरकार में विलयित नकद शेष		2,982.52
1,23,204.69	कुल		1,28,341.86

\*इस धनराशि में ₹ 124.58 करोड़ शामिल है जो पिछले वर्ष की वर्गीकरण त्रुटि के सुधार हेतु पूर्व अवधि समायोजन को दर्शाता है।

उपरोक्त विवरणों के दिए गए संक्षिप्त लेखों को वित्त लेखों में दी गई अभ्युक्तियों और स्पष्टीकरणों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। चूँकि सरकारी लेखे प्रमुखतः नकद आधार पर होते हैं, सरकारी खाते में कमी/अधिशेष, जैसा कि परिशिष्ट 1.7 में दर्शाया गया है, व्यावसायिक लेखों में उपाार्जन आधार के विपरीत नकद आधार में स्थिति को दर्शाते हैं। परिणामस्वरूप भुगतान योग्य या प्राप्त योग्य मदों अथवा स्टॉक आँकड़ों इत्यादि में अवमूल्यन या भिन्नता जैसी मदें खातों में नहीं दी गई हैं। सकल परिव्यय के अंतर्गत 31 मार्च 2017 तथा 31 मार्च 2018 तक के लिए दी गई क्रमशः ₹ 58,304.21 करोड़ तथा ₹ 61,547.14 करोड़ धनराशि की परिसंपत्तियों में ₹ 1587.95 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है जो 1994-95 के दौरान महानियंत्रक लेखा से ग्रहण किए गए थे। इसी प्रकार परिसम्पत्तियों में दर्शाए गए 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018 के लिए क्रमशः ₹ 62,130.55 करोड़ तथा ₹ 63,812.20 करोड़ की धनराशि के ऋण व अग्रिम में ₹ 3356.46 करोड़ शामिल है। लेकिन इन वर्षों के लिए देयताओं में दर्शाए जाने वाले संगत आँकड़े वित्त लेखों में पृथक रूप से नहीं दर्शाए गए हैं।

परिशिष्ट 1.7

2017-18 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के ब्यौरे जहाँ अनुदान प्राप्त नहीं किए गए थे  
(पैराग्राफ 1.3.2 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	सी.एस.एस. योजना का नाम	2016-17 के दौरान प्राप्त की गई अ.स.	2017-18 के दौरान प्राप्त की गई अ.स.
1.	राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (एन.ई.आर.एस.)	24.00	शून्य
2.	एच.आर. तथा निर्धारण हेतु शहरी सांख्यिकी (यू.एस.एच.ए.)	0.16	शून्य
3.	सिविल पंजीकरण प्रणाली का सुदृढीकरण	0.31	शून्य
4.	तकनीकी गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के लिए डी.टी.यू (टी.ई.क्यू.आई.पी.)	2.00	शून्य
5.	उप-केन्द्र	0.35	शून्य
6.	आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण कार्यक्रम	2.18	शून्य
7.	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	0.12	शून्य
8.	पोषण सुधार परियोजना (आई.एस.एस.एन.आई.पी.)	0.05	शून्य
9.	नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 तथा अ.जा./अ.ज.जा. नृशंसतानिवारण अधिनियम 1989 का कार्यान्वयन	0.25	शून्य
10.	अ.पि.व. छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	0.55	शून्य
11.	अ.ज. को मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति	4.74	शून्य
12.	आर.के.पुरम का मॉडल कैरियर सेन्टर (रोजगार निदेशालय)	0.02	शून्य
13.	टी.पी.डी.एस. का कम्प्यूटरीकरण	0.12	शून्य
14.	राज्य/सं.क्षे.शा.क्षे./जिला स्तर के मॉक एक्सरसाइज हेतु राज्यों/सं.क्षे. को वित्तीय सहायता	0.11	शून्य
15.	उत्पीडन मुआवजा प्रणाली के निरन्तर कार्यान्वयन हेतु सी.वी.सी.एफ. के प्रावधान के अनुसार एक बार अनुदान सहायता	8.80	शून्य
16.	स्मार्ट सिटी के लिए एन.डी.एम.सी. को अ.स.	194.00	शून्य

## परिशिष्ट 2.1

₹ 50 करोड़ तथा अधिक की बचतों के साथ अनुदानों की सूची  
(पैराग्राफ 2.3.1 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम तथा संख्या	मूल अनुदान/पुनर्विनियोग	पूरक अनुदान/पुनर्विनियोग	कुल अनुदान/पुनर्विनियोग	वास्तविक व्यय	बचतें	प्रतिशत	बचतों के कारण
<b>राजस्व-दत्तमत</b>								
<b>अनुदान सं. 2: सामान्य प्रशासन विभाग</b>								
1	2220.01.001.99- जन संपर्क निदेशालय	198.23	-1.61	196.62	122.23	74.39	37.83	विज्ञापन हेतु निदिष्ट व्यय/बचत को खर्च नहीं किया गया क्योंकि मामला न्यायाधीन था।
<b>अनुदान सं. 03: न्याय प्रशासन</b>								
2	2014.00.105.99 – सत्र न्यायालय	967.29	-160.73	806.56	721.97	84.59	10.49	कार्य की अपूर्णता/सक्षम अधिकारी का अनुमोदन न होने के कारण वेतनमानों के अपग्रेडेशन के बकायों का गैर-भुगतान था।
<b>अनुदान सं. 05: गृह</b>								
3	2056.00.001.99 जेल स्थापना	241.18	78.02	319.2	262.97	56.23	17.62	व्यावसायिक सेवा पर करम व्यय एवं निविदाओं के अंतिम रूप न दिया जाना।
<b>अनुदान सं. 6: शिक्षा</b>								
4	2202.02.109.96- सरकारी माध्यमिक विद्यालय	1,648.92	-126.04	1,522.88	1,462.46	60.42	3.97	इस शीर्ष के अंतर्गत 1000 डीडीओ के बचत का संचयन किए जाने के परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में बचत
5	2202.02.109.87 अतिरिक्त स्कूलिंग सुविधाएँ	3,155.28	7.20	3,162.48	3,073.66	88.82	2.81	विभिन्न प्रशासनिक कारणों से आवश्यक बिलों की गैर-निकासी तथा कम बिलों की प्राप्ति
<b>पूँजीगत दत्तमत</b>								
<b>अनुदान सं.4 वित्त</b>								
6	7615.00.200.76 स्वायत्त/स्थानीय निकायों को ऋणोपाय	700.00	-300.00	400.00	200.00	200.00	50.00	कम ऋण जारी किया जाना
<b>कुल</b>		<b>6,910.90</b>	<b>-503.16</b>	<b>6,407.74</b>	<b>5,843.29</b>	<b>564.45</b>		

परिशिष्ट 2.2

विभिन्न अनुदान/विनियोजन का विवरण जहाँ संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे  
(प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ और उससे अधिक)  
(पैराग्राफ 2.3.3 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचते	बचत के कारण
<b>राजस्व-दत्तमत</b>					
<b>अनुदान सं. 2 - सामान्य प्रशासनिक विभाग</b>					
1	2055.00.116.98 महिलाओं तथा बच्चों के प्रति साईबर क्राइम प्रीवेंशन परियोजना के अधीन साईबर फॉरेंसिक लैब-कम ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना के लिए स.अ. (सी.सी.पी.डब्ल्यू.सी.)	2.30	0.00	2.30	दिल्ली पुलिस को सहायता अनुदान के स्थानान्तरण के लिए वांछित प्रशासनिक संस्वीकृति जारी नहीं की गई।
<b>अनुदान सं. 4 - वित्त</b>					
2	3451.00.102.95 दिल्ली में निवेश तथा ब्यूरो लोक उद्यमों को स.अ.	1.00	0.00	1.00	अनुदानित संस्थान से मांगों की गैर-प्राप्ति
<b>अनुदान सं. 6 - शिक्षा</b>					
3	2202.80.789.97 लड़कियों में स्वास्थ्यकर मासिक धर्म (एस.सी.एस.पी.)	1.00	0.00	1.00	सैनेटरी नैपकिनस् की गैर-आपूर्ति
4	2203.00.112.48 तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टी.ई.क्यू.आई.पी.) (सी.एस.एस.) के लिए दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	1.00	0.00	1.00	डी.टी.यू. से निधियों की प्राप्ति को जारी किये जाने का निवेदन नहीं प्राप्त हुआ।
5	2202.03.001.00 निर्देश तथा प्रशासन	3.00	0.00	3.00	निर्माण कार्यों के निष्पादन में विलम्ब
<b>अनुदान सं. 7 - चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</b>					
6	2210.01.200.86 सी.टी. स्कैन/पी.पी.पी. में एम.आर.आई.	3.00	0.00	3.00	स्कीम का गैर कार्यान्वयन।
7	2211.00.101.76 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ	2.00	0.00	2.00	सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ।
8	2210.06.800.70.00.42 प्राथमिक/माध्यमिक/तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के लिए अस्पताल प्रबन्धन प्रणाली की प्रस्तावना	1.00	0.00	1.00	आवश्यक प्रशासनिक कारणों के कारण परियोजना को कार्यान्वित नहीं किया गया।
<b>अनुदान सं. 8 - समाज कल्याण</b>					
9	2235.02.103.31 इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.) (सी.एस.एस.)	2.00	0.00	2.00	मार्च 2018 में नये बजट शीर्ष खोले गए आई.जी.एम.एस.वाई. से पी.एम.एम.वाई. तक स्कीम का पुनः नाम रखा गया।
10	2235.02.103.21 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (सी.एस.एस.)	3.90	0.00	3.90	वर्ष की समाप्ति के अंत में गलत प्राधिकार दिया गया।
11	2225.80.789.95 हाथ से अपमार्जक का कार्य करने के रोजगार पर निषेध तथा उनके पुनर्वास का कार्यान्वयन (एस.सी.एस.पी.)	2.00	0.00	2.00	सामाजिक मंत्रालय, भारत सरकार से कुछ वर्गीकरण की स्पष्टता का विचारधीन होना।
12	2225.80.800.65 हाथ से अपमार्जक का कार्य करने के रोजगार पर निषेध तथा उनके पुनर्वास का कार्यान्वयन (एस.सी.एस.पी.)	2.30	0.00	2.30	सामाजिक न्याय मंत्रालय, भारत सरकार से स्पष्टीकरण का विचाराधीन होना।

	<b>अनुदान सं. 9 - उद्योग</b>				
13	3475.00.106.90.00.42 लीगल मेट्रोलोजी विंग को मजबूती (सी.एस.एस.)	1.18	0.00	1.18	लो.नि.वि. द्वारा कार्य शुरू न किया जाना।
	<b>अनुदान सं. 10 - विकास</b>				
14	2405.00.101.87 नीली क्रान्ति एकीकृत विकास तथा मछली पालन प्रबन्धन (सी.एस.एस.)	1.15	0.00	1.15	तकनीकी विवाद
15	2225.01.800.65 अल्पसंख्यक केन्द्रीकृत जिलों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	5.00	0.00	5.00	प्रशासनिक कारण
16	2225.03.277.77 अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना (सी.सी.एस.)	6.00	0.00	6.00	प्रशासनिक कारण
17	2235.60.200.62 डिफेंस/दिल्ली पुलिस/पैरा मिलिट्री/होमगार्ड तथा/सिविल डिफेंस/ऑपरेशन/युद्ध में शहीद कर्मियों को अनुग्रह भुगतान	5.00	0.00	5.00	घटनाओं के होने के आधार पर व्यय की निर्भरता
18	2235.60.200.61 गवाह सुरक्षा निधि	2.00	0.00	2.00	घटनाओं के होने के आधार पर व्यय की निर्भरता
19	2245.80.102.92 आकस्मिक आपदा योजना/ आपदा प्रत्युत्तर निधि	6.00	0.00	6.00	स्कीम का अन्तिमकरण नहीं होना।
	<b>पूँजीगत-दत्तमत</b>				
	<b>अनुदान सं. 6 - शिक्षा</b>				
20	4202.03.800.98 खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल तथा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का विकास	4.20	0.00	4.20	प्रशासनिक विलम्ब
21	4202.02.104.87 नये पॉलीटेक्निस का गठन (सी.एस.एस.)	4.00	0.00	4.00	प्रशासनिक विलम्ब
	<b>अनुदान सं. 7 - चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</b>				
22	4210.01.110.75 राव तुलाराम अस्पताल	1.52	0.00	1.52	मशीनरी तथा उपकरणों के क्रय-प्रस्तावों को कार्यान्वित नहीं किया जा सका था।
	<b>अनुदान सं. 8 - समाज कल्याण</b>				
23	4235.02.104.98 वृद्धाश्रम	3.74	0.00	3.74	भूमि को खरीदा नहीं जा सका था।
24	4235.02.102.98 प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में सी.सी.टी.वी. कैमरा	1.00	0.00	1.00	वर्ष के अंत में स्कीम का आरंभ
25	4235.02.800.93 विद्यमान भवनों में अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान (डब्ल्यू.सी.डी.)	1.50	0.00	1.50	आदेशों के निष्पादन में विलम्ब
26	5055.00.190.78 डी.टी.सी. तथा कलस्टर बसों में सी.सी.टी.वी. कैमरों का अधिष्ठापन (राज्य अंश)	1.00	0.00	1.00	सी.सी.टी.वी. निगरानी साधनों के लिए की गई परामर्श सेवाओं को कार्यान्वित नहीं किया गया।
	<b>अनुदान सं. 9 - उद्योग</b>				
27	6851.00.101.98 इन्डस्ट्रियल एस्टेट/फ्लैटिड फैक्टरी कॉम्प्लेक्स की सिविक सेवाओं को उन्नत बनाए जाने व सुधार के लिए डी.एस.आई.आई.डी.सी. को ऋण	1.00	0.00	1.00	डी.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा ऋण को इस निवेदन के साथ स्वीकार नहीं किया गया कि इसे सहायता अनुदान में बदला जाए।

**31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1**

अनुदान सं. 10 - विकास					
28	4070.00.800.86 सिविल डिफेंस	1.50	0.00	1.50	मशीनरी तथा उपकरणों को 11 जिलों में अधिष्ठापित किए जाने के लिए स्थान आवंटित नहीं किया गया तथा वाहन खरीदे जाने के प्रस्ताव को कार्यान्वित नहीं किया गया था।
29	4250.00.101.99 आपदा आकस्मिक योजना/आपदा प्रत्युत्तर निधि	1.00	0.00	1.00	मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया था।
<b>राजस्व प्रभारित</b>					
अनुदान सं. 3 - न्याय प्रशासन					
30	2015.00.102 निर्वाचन अधिकारी	1.50	0.00	1.50	टैन्ट हाऊस को भुगतान किया जाना न्यायाधीन है।
<b>कुल</b>		<b>72.79</b>	<b>0.00</b>	<b>72.79</b>	

**परिशिष्ट 2.3**  
**अनावश्यक पूरक प्रावधान**  
**(पैराग्राफ 2.3.4 को देखें)**

(₹ करोड में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचत	पूरक प्रावधान
<b>राजस्व दत्तमत</b>					
<b>अनुदान सं.08: समाज कल्याण</b>					
1	2235.02.104.66 वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना (वृदावस्था सहायता का विस्तार)	870.00	835.45	34.55	11.00
2	2235.02.102.31 बाल अधिकार आयोग	2.00	1.83	0.17	0.34
3	2235.02.102.29 आईसीडीएस (सामान्य)-राज्य अंश	17.00	16.47	0.53	5.38
4	2235.02.102.36 आँगनवाड़ी उन्नयन योजना प्रोत्साहन	Nil	Nil	Nil	1.00
5	2235.02.103.45 विधवा महिलाओं को उनकी लड़कियों के विवाह एवं अनाथ लड़कियों हेतु वित्तीय सहायता	10.00	7.74	2.26	0.50
6	2235.02.103.24 गर्भवती, निराधितों के लिए आश्रय गृह	Nil	Nil	Nil	0.80
7	2235.02.103.23 स्वाधग्रह योजना कार्यान्वयन	Nil	Nil	Nil	0.50
8	2235.02.103.21 प्रधान मंत्री मैत्री वन्दना योजना (सीएसएस)	Nil	Nil	Nil	3.90
9	2235.02.200.89 भागीदारी सामाजिक विकास में नई पहल	5.00	3.94	1.06	10.00
10	2236.02.101.75 किशोरियों के रोजगार के लिए राजीव गाँधी योजना, पोषण + तत्व (राज्य अंश)	Nil	Nil	Nil	0.52
11	4235.02.102.98 प्रत्येक आँगनवाड़ी केन्द्र में सीसीटीवी कैमरे	Nil	Nil	Nil	1.00
<b>कुल</b>		<b>904</b>	<b>865.43</b>	<b>38.57</b>	<b>34.94</b>

परिशिष्ट 2.4

निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन (जहाँ अंतिम बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थीं)  
(पैराग्राफ 2.3.5 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम तथा संख्या	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचत	बचत के कारण
<b>राजस्व-दत्तमत</b>				
<b>अनुदान सं. 2: सामान्य प्रशासन विभाग</b>				
1	2055.00.116.98 महिला तथा बच्चों के प्रति साईबर क्राइम रोकथाम परियोजना के अधीन साईबर फॉरेंसिक लैब कम प्रशिक्षण केन्द्र के गठन हेतु स.अ. (सी.सी.पी.डब्ल्यू.सी.)	2.29	2.30	दिल्ली पुलिस को सहायता अनुदान के स्थानान्तरण के लिए दी जाने वाली प्रशासनिक संस्वीकृति को जारी नहीं किया गया था।
2	2051.00.103.98 दिल्ली सरकार के लिए सर्विस सैलेक्शन बोर्ड	9.88	11.67	प्रशासनिक कारणों के कारण कम परीक्षाओं का संचालन, कम दावों की प्राप्ति तथा कुछ मामलों में कम भुगतान किया गया था।
<b>कुल</b>		<b>12.17</b>	<b>13.97</b>	
<b>अनुदान सं. 3: न्याय प्रशासन</b>				
3	2014.00.102.93 उच्च न्यायालय का कम्प्यूटरीकरण	4.00	5.72	प्रक्रिया के गैर-आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप निधियों की विलम्ब से प्राप्ति
4	2015.00.103.00.00.42 चुनावी सूची का निर्माण तथा प्रिंटिंग	0.75	5.21	सरकारी प्रेस को सौंपा गया प्रिंटिंग का कार्य पूरा नहीं किया गया।
<b>कुल</b>		<b>4.75</b>	<b>10.93</b>	
<b>अनुदान सं. 4: वित्त</b>				
5	2054.00.095.95.98 प्रधान लेखा कार्यालय- ई.डी.पी. सेल	0.80	1.09	सा.भ.नि. लेखों के अंकीकरण को अंतिम रूप नहीं दिया जाना तथा हार्डवेयर को क्रय न किया जाना
6	2052.00.090.42 डायलॉग एण्ड डेवलपमेन्ट कमीशन ऑफ दिल्ली	0.01	1.47	कार्यालयी वेबसाइट के पुनर्विकास तथा संबंधित उपकरणों के क्रय का गैर-अन्तिमकरण
<b>कुल</b>		<b>0.81</b>	<b>2.56</b>	
<b>अनुदान सं. 5: गृह</b>				
7.	2056.00.001.99 जेल स्थापना	4.02	56.23	व्यवसायिक सेवाओं के लेखों पर कटौती किए गए बिलों की प्राप्ति तथा निविदाओं का गैर-कार्यान्वयन
<b>कुल</b>		<b>4.02</b>	<b>56.23</b>	
<b>अनुदान सं. 6: शिक्षा</b>				
8	2202.02.109.87 अतिरिक्त स्कूलिंग सुविधाएं	7.20	88.82	विभिन्न कारणों से आवश्यक बिलों की गैर-निकासी तथा कम बिलों की प्राप्ति
9	2204.00.103.78 श्रेष्ठ खिलाड़ियों/स्पोर्ट्समैन को नकद प्रोत्साहन तथा राजीव गाँधी स्पोर्ट्स अवार्ड	4.99	7.84	प्रशासनिक विलम्ब
10	2203.00.112.43 दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग	2.99	4.20	सहायता अनुदान जारी किए जाने में पिछले वर्ष के अव्ययित बकायों को समायोजित किया गया।
11	2230.03.001.99 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग निदेशालय	0.37	2.24	एम.ए.सी.पी. मामलों का अन्तिमकरण नहीं किया गया तथा चार पहिया वाहनों को शामिल करते हुए क्रय प्रस्तावों का अन्तिमकरण नहीं किया गया।

	कुल	15.55	103.10	
<b>अनुदान सं. 7: चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</b>				
12.	2210.01.110.15 दीप चन्द बन्धु अस्पताल	1.35	7.37	रिक्त पदों को भरा नहीं गया तथा निविदाओं का गैर-अन्तिमकरण
13	2210.06.101.37 लिवर ट्रांसप्लांटेशन यूनिट	0.27	1.34	लिवर ट्रांसप्लांटेशन यूनिट का लंबित क्रय
14	2210.01.110.89 अरुणा आसफ अली सरकारी अस्पताल (सिविल अस्पताल)	0.25	2.63	एस.आर. तथा जे.आर. के पदों को नहीं भरा गया तथा प्रत्याशित दावों को प्राप्त नहीं किया गया।
15	2210.01.110.23 जग प्रवेश चन्द्र अस्पताल	1.45	1.46	प्रत्याशित आकस्मिक बिलों को प्राप्त नहीं किया गया।
16	2210.01.789.97 लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल (एस.सी.एस.पी.)	1.66	3.95	खाली पदों को भरा नहीं गया मेडिकल बिलों का गैर-अन्तिमकरण तथा सम्मेलनों/प्रशिक्षणों का गैर-संचालन
17	2210.01.110.40 राव तुलाराम अस्पताल, जफरपुर	0.70	3.86	खाली पदों को भरा नहीं गया तथा 7 वें वेतन आयोग के एच.आर.ए. को जारी नहीं किया गया।
18	2210.02.102.60.98 होम्योपैथिक डिस्पेंसरी यूनिट	1.09	1.78	एम.ए.सी.पी. का गैर-अन्तिमकरण तथा कार्मिकों की एन.एफ.एस.जी. तथा प्रत्याशित बिलों का प्राप्त न किया जाना।
	<b>कुल</b>	<b>6.77</b>	<b>22.39</b>	
<b>अनुदान सं. 8: समाज कल्याण</b>				
19.	2235.02.001.92 आन्तरिक तथा बाह्य स्वच्छता का संवर्धन (एस.डब्ल्यू.डी.)	2.00	2.80	कुछ घरों का गैर-परिचालन तथा कम संख्या में सुरक्षा तथा सफाई कर्मियों की मांग
20.	2235.02.001.86 महिला तथा बाल विकास निदेशालय	0.20	2.03	रिक्त पदों का नहीं भरा जाना, यूनिटों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति
21.	2235.02.102.29 आई.सी.डी.एस. (सामान्य)-राज्य अंश	5.38	5.91	खरीद प्रस्तावों को कार्यान्वित नहीं किया गया।
22.	2225.01.277.71 पब्लिक स्कूल में ट्यूशन फीस की वापसी	9.99	10.09	ऑनलाईन आवेदनों की कम संख्या में प्राप्ति
23.	2225.01.789.92 पब्लिक स्कूल में ट्यूशन फीस की वापसी (एस.सी.एस.पी.)	3.99	7.49	ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदनों की कम संख्या में प्राप्ति
24.	2225.80.789.95 हाथ से अपमार्जक का कार्य करने के रोजगार पर निषेध तथा उनके पुनर्वास का कार्यान्वयन (एस.सी.एस.पी.)	1.99	2.00	सामाजिक न्याय मंत्रालय, भारत सरकार से कुछ स्पष्टीकरण के अभाव में निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका था।
25.	2225.80.800.65 हाथ से अपमार्जक का कार्य करने के रोजगार पर निषेध तथा उनके पुनर्वास का कार्यान्वयन (एस.सी.एस.पी.)	2.29	2.30	सामाजिक न्याय मंत्रालय, भारत सरकार से कुछ स्पष्टीकरण के अभाव में निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका था।
	<b>कुल</b>	<b>25.84</b>	<b>32.62</b>	
<b>अनुदान सं. 10: विकास</b>				
26	2405.00.101.87 नीली क्रांति एकीकृत विकास तथा मत्स्य पालन प्रबन्धन (सी.एस.एस.)	0.65	1.15	कुछ तकनीकी कठिनाईयों से व्यय नहीं किया गया था।

**31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1**

27	2245.80.102.92 आपदा आकस्मिक योजना/आपदा प्रत्युत्तर योजना	1.00	6.00	स्कीम का गैर-अन्तिमकरण
28	2235.01.200.88.98 जे एण्ड के प्रवासियों के संबंध में मासिक तदर्थ का भुगतान	1.00	2.78	तकनीकी कारणों से लाभार्थियों को पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया था।
29	2235.01.200.86.98 जे एण्ड के प्रवासियों के संबंध में मासिक तदर्थ का भुगतान	0.50	2.61	तकनीकी कारणों से लाभार्थियों को पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया था।
<b>कुल</b>		<b>3.15</b>	<b>12.54</b>	
<b>पूँजीगत दत्तमत</b>				
<b>अनुदान सं. 6: शिक्षा</b>				
30.	4202.02.104.88 पॉलीटेकनिक उपकरण	1.00	5.98	उपकरणों/फर्नीचर के लिए आपूर्ति आदेश प्रस्तुत किए गए परन्तु आपूर्ति 2018-19 में प्राप्त की गई।
31.	4202.02.105.88 जी.बी. पन्त इंजीनियरिंग कॉलेज	1.00	1.46	इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के प्रस्तावों को क्रय किए जाने का कार्यान्वित नहीं किया गया।
<b>कुल</b>		<b>2.00</b>	<b>7.44</b>	
<b>अनुदान सं. 7: चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</b>				
32	4210.01.110.96 जी.बी. पन्त अस्पताल	3.93	4.08	मशीनरी तथा उपकरणों को क्रय किए जाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था।
33	4210.01.110.75 राव तुलाराम अस्पताल	1.49	1.52	मशीनरी तथा उपकरणों को क्रय किए जाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था।
34	4210.01.110.73 बाबू जगजीवन राम अस्पताल	0.50	1.31	उपकरण प्रस्तावों की खरीद के लिए सी.पी.ए. को फाईनल नहीं किया जा सका था।
<b>कुल</b>		<b>5.92</b>	<b>6.91</b>	
<b>अनुदान सं.8: समाज कल्याण</b>				
35	4235.02.101.82 दिव्यांग अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन के लिए स्कीम (एस.आई.पी.डी.ए.) (सी.एस.एस.)	10.70	10.70	सक्षम अधिकारी के अनुमोदन की गैर-प्राप्ति
36	4235.02.104.95 हाफ-वे होम/लान्ग स्टे होम	0.50	1.21	डी.एस.आई.आई.डी.सी. से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया था।
37	4235.02.800.94 वर्तमान भवनों में अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान (एस.डब्ल्यू.डी.)	3.00	3.38	निर्माण प्रस्ताव को फाईनल नहीं किया गया था तथा निर्माण कार्य के निष्पादन में धीमी प्रगति
<b>कुल</b>		<b>14.20</b>	<b>15.29</b>	
<b>सकल कुल</b>		<b>95.18</b>	<b>283.98</b>	

## परिशिष्ट 2.5

वास्तविक प्रावधानों के 70 प्रतिशत तथा ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के मामले  
(पैराग्राफ 2.3.6 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम तथा संख्या	मुख्यशीर्ष/उपशीर्ष	वास्तविक प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	मूल प्रावधानों की प्रतिशतता	अभ्यर्पण के लिए कारण
1.	अनुदान सं. 6: शिक्षा	2202.02.108.99 गुणवत्ता उन्नयन के लिये परीक्षा उन्नयन शाखा	50.00	36.00	72.00	खरीद नहीं की गई
2		2230.03.800.80 दक्षता विकास पहल स्कीम (सी.एस.एस.)	11.00	11.00	100.00	कम बिल प्राप्त किए
3		2202.03.112.87.00.42 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (सी.एस.एस.)	18.00	17.40	96.66	कम सहायता अनुदान जारी किया गया।
4		2202.03.112.86.00.42 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (राज्य अंश)	12.00	11.60	96.66	कम सहायता अनुदान जारी किया गया।
5	अनुदान सं. 7: चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.80.800.57 आम आदमी कैंटीन के लिए एफोर्डेबल मील ब्यूरो को स.अ.	17.00	17.00	100.00	कम सहायता अनुदान जारी किया गया।
6.	अनुदान सं. 8: सामाजिक	3452.80.190.82 स्वदेश दर्शन के लिए डी.टी. तथा टी.डी.सी स.अ.	30.00	29.99	99.97	कम सहायता अनुदान जारी किया गया।
7.		5055.00.190.78 डी.टी.सी. तथा कलस्टर बसों में सी.सी.टी.वी. कैमरों की अधिष्ठापना	90.00	89.00	98.88	कार्य की धीमी प्रगति
8		5452.01.800.81 यमुना के नदी घाट का विकास	50.00	49.99	99.98	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन
9.	अनुदान सं. 9: उद्योग	3456.00.103.93 आवश्यक माल के बढ़े हुए मूल्यों की जांच के मार्किट हस्तक्षेप के लिए प्रावधान	11.00	10.99	99.90	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन
10		6851.00.101.98 औद्योगिक राज्य/फ्लैटिड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की सिविक सेवाओं की उन्नति तथा सुधार के लिए डी.एस.आई.आई.डी.सी. को ऋण	20.00	19.00	95.00	कम ऋण जारी किया जाना
11	अनुदान सं. 10: विकास	2515.00.80077 आई.डी.आर.वी. निर्माण कार्य की मरम्मत के लिए 5% लागत को शामिल करते हुए डी.आर.डी.बी. द्वारा जल निकायों सहित निर्माण कार्य (सामान्य)	22.00	19.50	88.63	कार्य की धीमी प्रगति
12		2053.00.800.76 जिला शहरी विकास एजेन्सी (डी.यू.डी.ए.) जिला केन्द्र को सहायता अनुदान	35.35	32.32	91.42	कम अनुदान जारी किया जाना
13.		2053.00.800.75 जिला शहरी विकास एजेन्सी (डी.यू.डी.ए.) जिला नई दिल्ली को सहायता अनुदान	30.30	29.46	97.22	कम अनुदान जारी किया जाना
14.		2053.00.800.74 जिला शहरी विकास एजेन्सी (डी.यू.डी.ए.) दक्षिण जिला को सहायता अनुदान	25.25	25.12	99.48	कम अनुदान जारी किया जाना

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1

15.		2053.00.800.73 जिला शहरी विकास एजेन्सी (डी.यू.डी.ए.) दक्षिण-पश्चिम जिला को सहायता अनुदान	35.35	35.22	99.63	कम अनुदान जारी किया जाना
16.		2053.00.800.72 जिला शहरी विकास एजेन्सी (डी.यू.डी.ए.) पूर्वी जिला को सहायता अनुदान	30.30	30.17	99.57	कम अनुदान जारी किया जाना
17.		2053.00.800.71 जिला शहरी विकास एजेन्सी (डी.यू.डी.ए.) पश्चिम जिला को सहायता अनुदान	35.35	35.21	99.60	कम अनुदान जारी किया जाना
18.		2053.00.800.70 जिला शहरी विकास एजेन्सी (डी.यू.डी.ए.) उत्तर-पूर्वी जिला को सहायता अनुदान	25.25	25.11	99.44	कम अनुदान जारी किया जाना
19.		2053.00.800.69 जिला शहरी विकास एजेन्सी (डी.यू.डी.ए.) उत्तर-पश्चिम जिला को सहायता अनुदान	35.35	35.21	99.60	कम अनुदान जारी किया जाना
20.		2053.00.800.68 जिला शहरी विकास एजेन्सी (डी.यू.डी.ए.) उत्तरी जिला को सहायता अनुदान	40.40	37.29	92.30	कम अनुदान जारी किया जाना
21.		2053.00.800.67 जिला शहरी विकास एजेन्सी (डी.यू.डी.ए.) शाहदरा जिला को सहायता अनुदान	25.25	25.11	99.44	कम अनुदान जारी किया जाना
22.		2053.00.800.66 जिला शहरी विकास एजेन्सी (डी.यू.डी.ए.) दक्षिण-पूर्व जिला को सहायता अनुदान	35.35	30.12	85.21	कम अनुदान जारी किया जाना
23.		4515.00.103.93.00.42 आई.डी.आर.बी. के अन्तर्गत किये जाने वाले निर्माण कार्यों के लिये ग्रामीण विकास बोर्ड (एस.सी.एस.पी.)	470.00	390.50	83.08	कार्य की धीमी प्रगति
24.		4515.00789.97.00.42 आई.डी.आर.बी. के अन्तर्गत किये जाने वाले निर्माण कार्यों के लिये ग्रामीण विकास बोर्ड (एस.सी.एस.पी.)	103.00	85.50	83.80	कार्य की धीमी प्रगति
25.	अनुदान सं. 13: पेंशन	2071.01.117.99.00.04 सरकारी अंशदान	122.00	122.00	100.00	भारत सरकार से पेंशन देयता का गैर-अन्तिमकरण
		<b>कुल</b>	<b>1379.50</b>	<b>1249.81</b>		

## परिशिष्ट 2.6

₹ एक करोड़ और अधिक की बचतें जिसका अभ्यर्पण नहीं हुआ, का विवरण  
(पैराग्राफ 2.3.7 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का नाम तथा संख्या	दत्तमत्त/प्रभारित	बचत	अभ्यर्पण	बचतें जिनका अभ्यर्पण किया जाना था
1	अनुदान सं. 1 : विधान सभा	दत्तमत्त	3.37	0.32	3.05
2	अनुदान सं. 2 : सामान्य प्रशासन विभाग	दत्तमत्त	110.59	7.60	102.99
		प्रभारित	6.77	1.67	5.1
3	अनुदान सं. 3 : न्याय का प्रशासन	दत्तमत्त	342.34	199.59	142.75
		प्रभारित	107.74	50.45	57.29
4	अनुदान सं. 4 : वित्त	दत्तमत्त	644.35	383.81	260.54
5	अनुदान सं. 5 : गृह	दत्तमत्त	142.51	34.39	108.12
6	अनुदान सं. 6 : शिक्षा	दत्तमत्त	1,119.63	587.15	532.48
7	अनुदान सं. 7 : चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	दत्तमत्त	649.07	306.87	342.2
8	अनुदान सं. 8 : समाज कल्याण	दत्तमत्त	726.27	371.77	354.50
9	अनुदान सं. 9 : उद्योग	दत्तमत्त	160.69	134.62	26.07
10	अनुदान सं. 10 : विकास	दत्तमत्त	1,547.65	1,276.70	270.95
	<b>कुल</b>		<b>5,560.98</b>	<b>3,354.94</b>	<b>2,206.04</b>

परिशिष्ट 2.7

वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर व्यय का द्रुतप्रवाह  
(पैराग्राफ 2.3.8 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखों के शीर्ष	कुल बजट	मूल प्रावधान	कुल व्यय	2017-18 की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय		मार्च 2018 में किया गया व्यय	
					राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता
	<b>अनुदान सं. 4 - वित्त</b>							
1	2040.00.800.76.00.32	20.00	20.00	16.52	16.52	100.00	16.52	100.00
	<b>अनुदान सं. 6 - शिक्षा</b>							
2	2202.02.053.97.00.27	36.00	50.00	32.35	23.93	73.97	16.40	50.69
3	2202.03.102.88.00.35	14.42	96.00	14.00	14.00	100.00	14.00	100.00
4	2202.03.104.81.00.36	200.00	200.00	200.00	133.33	66.67	116.66	58.33
5	2203.00.112.51.00.36	16.00	15.00	16.00	12.25	76.56	12.25	76.56
6	4202.01.203.96.00.53	13.00	13.00	12.91	12.91	100.00	12.91	100.00
	<b>अनुदान सं. 7 - चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</b>							
7	2210.01.110.13.00.31	17.00	20.00	17.00	12.00	70.59	12.00	70.59
8	2210.01.110.13.00.36	21.00	25.00	21.00	14.75	70.24	14.75	70.24
9	2210.01.110.14.00.36	11.00	15.00	11.00	11.00	100.00	11.00	100.00
10	2210.01.800.44.00.42	222.82	200.00	222.82	112.47	50.47	112.47	50.47
11	2210.06.800.82.00.31	50.00	50.00	37.50	25.00	66.67	25.00	66.67
12	4210.01.110.98.99.53	22.00	23.00	22.00	22.00	100.00	22.00	100.00
	<b>अनुदान सं. 8 - समाज कल्याण</b>							
13	2225.01.277.60.00.32	57.00	70.00	55.59	37.66	67.75	37.66	67.75
14	2225.01.277.73.00.34	67.00	75.00	42.22	23.00	54.48	22.10	52.35
15	2225.01.789.93.00.34	44.00	48.00	31.89	19.41	60.88	18.96	59.45
16	2225.01.789.95.00.32	38.00	58.00	35.56	23.79	66.90	23.79	66.90
17	2235.02.103.20.00.50	11.03	11.03	11.03	11.03	100.00	11.03	100.00
18	2235.02.103.22.00.50	13.50	13.50	13.43	13.43	100.00	13.43	100.00
19	2236.02.101.82.00.50	65.50	80.00	41.70	28.74	68.93	22.46	53.86
20	3055.00.190.99.00.33	100.00	92.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
21	4225.01.789.98.00.53	50.00	50.00	47.87	31.93	66.69	28.43	59.38
	<b>अनुदान सं. 10 - विकास विभाग</b>							
22	4406.02.110.98.00.42	11.00	15.00	11.00	10.99	99.92	10.35	94.10
	<b>अनुदान सं. 11 - शहरी विकास विभाग</b>							
23	2217.04.191.55.00.35	62.70	200.00	62.70	62.70	100.00	62.70	100.00
24	4059.60.051.80.90.42	34.58	50.00	12.62	12.62	100.00	11.88	94.11
25	6801.00.190.93.00.55	246.80	246.80	246.80	246.80	100.00	246.80	100.00
26	6801.00.203.91.00.55	69.00	69.00	69.00	69.00	100.00	69.00	100.00
			<b>1,805.33</b>	<b>1,404.51</b>	<b>1,101.26</b>		<b>1,064.55</b>	

**परिशिष्ट 2.8**  
**अवास्तविक बजटिंग के कारण संपूर्ण प्रावधानों की बचत**  
**(पैराग्राफ 2.5 (v) को देखें)**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष	मूल+अनुपूरक+ पुनर्विनियोजन	व्यय	बचत
<b>2015-16 (राजस्व)</b>				
1	2215.02.191.86	18.00	शून्य	18.00
2	2216.80.190.92	8.00	शून्य	8.00
3	2216.80.190.89	0.75	शून्य	0.75
4	2216.80.789.98	2.00	शून्य	2.00
5	2216.80.789.97	0.25	शून्य	0.25
6	2217.05.800.89.00.42	5.00	शून्य	5.00
7	2217.80.191.19.98	56.00	शून्य	56.00
8	2217.80.191.13	404.38	शून्य	404.38
9	2217.80.789.97.99	0.10	शून्य	0.10
10	2217.80.789.97.98	0.10	शून्य	0.10
11	2217.80.789.97.97	0.50	शून्य	0.50
12	3054.04.800.87	10.00	शून्य	10.00
13	3054.04.800.86	10.00	शून्य	10.00
14	3054.04.800.85	10.00	शून्य	10.00
15	3054.04.800.84	5.00	शून्य	5.00
16	3054.04.800.83	10.00	शून्य	10.00
17	3054.04.800.82	18.37	शून्य	18.37
18	3054.04.800.81	5.00	शून्य	5.00
19	3054.04.800.80	35.00	शून्य	35.00
20	3475.00.108.95	9.35	शून्य	9.35
21	2801.05.800.86	5.00	शून्य	5.00
22	2801.05.800.81	200.00	शून्य	200.00
<b>2015-16 (पूंजीगत)</b>				
23	4217.60.050.99.00.42	0.75	शून्य	0.75
24	6215.01.191.80.00.55	10.00	शून्य	10.00
25	7055.00.800.96.98.55	10.00	शून्य	10.00
26	7055.00.800.96.96.55	10.00	शून्य	10.00
27	4202.03.800.80.00.42	0.40	शून्य	0.40
28	4210.01.110.99.50.42	0.50	शून्य	0.50
29	4210.01.110.65	75.00	शून्य	75.00
30	4210.03.105.99.96.53	0.10	शून्य	0.10
31	4210.04.107.96.00.53	50.00	शून्य	50.00
32	4225.01.789.97.00.53	0.75	शून्य	0.75
33	4235.02.103.88.00.53	3.00	शून्य	3.00
34	4250.00.201.99.00.53	0.45	शून्य	0.45
35	4405.00.101.92.00.42	0.15	शून्य	0.15
36	4851.00.101.70.00.42	0.10	शून्य	0.10
37	5475.00.800.94.00.53	0.55	शून्य	0.55
38	4801.05.190.91.00.32	9.99	शून्य	9.99
39	4801.05.190.84.00.32	50.00	शून्य	50.00
40	4810.00.102.95	2.00	शून्य	2.00

**31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1**

2016-17 (राजस्व)				
41	2215.01.191.72	5.00	शून्य	5.00
42	2215.02.191.89	200.00	शून्य	200.00
43	2215.02.191.86	10.00	शून्य	10.00
44	2216.80.190.92	8.00	शून्य	8.00
45	2216.80.190.87	3.00	शून्य	3.00
46	2216.80.190.86	1.50	शून्य	1.50
47	2216.80.789.98	2.00	शून्य	2.00
48	2216.80.789.96	0.20	शून्य	0.20
49	2217.05.800.89.00.42	5.00	शून्य	5.00
50	2217.80.191.44.99	10.00	शून्य	10.00
51	2217.80.191.19.98	20.00	शून्य	20.00
52	2217.80.191.19.99	40.00	शून्य	40.00
53	2217.80.191.06.00.42	1.00	शून्य	1.00
54	2217.80.191.04.99	24.50	शून्य	24.50
55	2217.80.191.04.97	1.00	शून्य	1.00
56	2217.80.191.04.96	1.00	शून्य	1.00
57	2217.80.191.04.94	1.00	शून्य	1.00
58	2217.80.191.04.93	1.00	शून्य	1.00
59	2217.80.191.04.92	1.00	शून्य	1.00
60	2217.80.191.04.90	2.00	शून्य	2.00
61	2217.80.191.04.89	1.90	शून्य	1.90
62	2217.80.191.04.88	36.90	शून्य	36.90
63	2217.80.191.04.87	25.50	शून्य	25.50
64	2217.80.191.04.86	9.00	शून्य	9.00
65	2217.80.191.04.85	11.00	शून्य	11.00
66	2217.80.191.04.84	1.00	शून्य	1.00
67	2217.80.191.04.83	1.00	शून्य	1.00
68	2217.80.191.04.82	8.00	शून्य	8.00
69	2217.80.191.04.81	8.00	शून्य	8.00
70	2217.80.191.04.80	14.50	शून्य	14.50
71	2217.80.191.04.79	3.00	शून्य	3.00
72	2217.80.191.04.78	49.00	शून्य	49.00
73	3054.04.800.87	10.00	शून्य	10.00
74	3054.04.800.86	12.00	शून्य	12.00
75	3054.04.800.85	10.00	शून्य	10.00
76	3054.04.800.84	5.00	शून्य	5.00
77	3054.04.800.83	25.00	शून्य	25.00
78	3054.04.800.82	20.00	शून्य	20.00
79	3054.04.800.81	15.00	शून्य	15.00
80	3054.04.800.80	28.00	शून्य	28.00
81	2251.00.090.84	0.50	शून्य	0.50
82	2801.05.800.86	2.00	शून्य	2.00
83	2801.05.800.81	60.00	शून्य	60.00
84	2801.05.800.80	23.00	शून्य	23.00
85	2801.02.800.90	1.00	शून्य	1.00
2016-17 (पूँजीगत)				
86	4217.60.050.99.00.42	0.50	शून्य	0.50
87	6215.01.191.81.00.55	20.00	शून्य	20.00
88	6215.01.191.80.00.55	10.00	शून्य	10.00

89	6215.02.191.85.00.55	2.00	शून्य	2.00
90	6217.60.191.91.97.55	25.00	शून्य	25.00
91	6217.60.191.83.00.55	100.00	शून्य	100.00
92	4059.01.051.88.00.53	0.35	शून्य	0.35
93	4210.01.110.99.88.42	0.40	शून्य	0.40
94	4210.01.110.99.83.53	0.41	शून्य	0.41
95	4210.01.110.99.50.42	1.00	शून्य	1.00
96	4210.03.101.99.98.42	0.50	शून्य	0.50
97	4210.03.105.99.96.53	1.00	शून्य	1.00
98	4210.04.107.97.00.53	0.20	शून्य	0.20
99	4235.02.101.86.00.53	5.00	शून्य	5.00
100	4235.02.101.85.00.53	5.00	शून्य	5.00
101	4235.02.101.84.00.53	2.00	शून्य	2.00
102	4235.02.103.88.00.53	1.00	शून्य	1.00
103	4235.02.104.97.00.42	20.00	शून्य	20.00
104	4250.00.201.99.00.53	0.20	शून्य	0.20
105	5054.04.800.90.00.42	1.00	शून्य	1.00
106	5054.04.800.83.00.53	100.00	शून्य	100.00
107	5054.04.800.82.00.53	137.00	शून्य	137.00
108	5054.04.800.81.00.53	200.00	शून्य	200.00
109	5475.00.800.94.00.53	0.20	शून्य	0.20
110	4801.05.190.91.00.32	5.00	शून्य	5.00
111	4801.05.190.84.00.32	20.00	शून्य	20.00
112	4801.05.800.88.00.42	1.00	शून्य	1.00
<b>2017-18 (राजस्व)</b>				
113	2215.02.191.86	60.00	शून्य	60.00
114	2216.80.190.93	15.00	शून्य	15.00
115	2216.80.190.92	8.00	शून्य	8.00
116	2216.80.190.91	58.00	शून्य	58.00
117	2216.80.190.89	8.00	शून्य	8.00
118	2216.80.190.87	1.80	शून्य	1.80
119	2216.80.789.99	5.00	शून्य	5.00
120	2216.80.789.98	2.00	शून्य	2.00
121	2217.04.191.57	98.00	शून्य	98.00
122	2217.80.191.04.95	1.00	शून्य	1.00
123	3054.04.800.86	1.00	शून्य	1.00
124	3054.04.800.85	5.00	शून्य	5.00
125	3054.04.800.84	1.00	शून्य	1.00
126	3054.04.800.80	20.00	शून्य	20.00
127	2059.80.053.95	0.30	शून्य	0.30
128	2210.01.110.10.97.27	0.40	शून्य	0.40
129	2210.01.110.10.96.27	0.10	शून्य	0.10
130	2210.05.101.85.97.27	0.15	शून्य	0.15
131	2210.05.102.96.97.27	1.30	शून्य	1.30
132	2210.05.105.65.97.53	0.50	शून्य	0.50
133	2210.06.107.96.00.27	0.10	शून्य	0.10
134	2210.06.107.95.00.27	2.00	शून्य	2.00
135	2217.05.191.99	5.00	शून्य	5.00
136	2251.00.090.84	1.50	शून्य	1.50

**31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1**

137	2801.05.800.86	2.00	शून्य	2.00
138	2801.05.800.81	2.00	शून्य	2.00
139	2801.05.800.80	23.00	शून्य	23.00
140	2810.02.800.90	20.00	शून्य	20.00
<b>2017-18 (पूँजीगत)</b>				
141	6215.01.191.81.00.55	80.00	शून्य	80.00
142	6215.01.191.80.00.55	10.00	शून्य	10.00
143	6215.02.191.86.00.55	10.00	शून्य	10.00
144	6215.02.191.85.00.55	8.40	शून्य	8.40
145	6217.60.191.96.99.55	0.20	शून्य	0.20
146	6217.60.191.96.97.55	7.00	शून्य	7.00
147	6217.60.191.91.97.55	5.00	शून्य	5.00
148	6217.60.789.98.99.55	0.20	शून्य	0.20
149	6217.60.789.98.97.55	2.00	शून्य	2.00
150	4202.03.800.80.00.42	0.10	शून्य	0.10
151	4210.03.102.98.00.42	1.50	शून्य	1.50
152	4225.01.789.97.00.53	0.50	शून्य	0.50
153	4235.02.101.84.00.53	10.00	शून्य	10.00
154	4235.02.103.90.00.53	1.00	शून्य	1.00
155	4250.00.201.99.00.53	2.10	शून्य	2.10
156	5054.04.101.99.00.53	50.00	शून्य	50.00
157	5054.04.101.97.00.53	35.00	शून्य	35.00
158	5054.04.101.95.00.53	25.00	शून्य	25.00
159	5054.04.337.98.00.53	5.00	शून्य	5.00
160	5054.04.800.89.00.42	10.00	शून्य	10.00
161	5054.04.800.82.00.53	25.00	शून्य	25.00
162	5475.00.800.94.00.53	1.40	शून्य	1.40
163	4801.05.190.91	1.00	शून्य	1.00
164	4801.05.190.84	1.00	शून्य	1.00
165	4801.05.800.91	50.00	शून्य	50.00
166	4810.00.102.95	2.00	शून्य	2.00

## परिशिष्ट 3.1

31 मार्च 2018 तक देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण  
(पैराग्राफ 3.2 देखें)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाण पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	
			मद	राशि (₹ करोड़ में)	मद	राशि (₹ करोड़ में)	मद	राशि (₹ करोड़ में)
1	उत्तरी दि.न.नि.	2015-16	16	92,796.07	15	90,716.07	1	2,080.00
2	दक्षिणी दि.न.नि.	2015-16	17	77,882.67	15	75,534.67	2	2,348.00
3	पूर्वी दि.नि.नि.	2015-16	15	49,128.80	14	44,930.14	1	4,198.66
4	एनडीएमसी को एलएसजी	1993-94 से 2010-11	311	47,873.77	0	0.00	311	47,873.77
5	दिल्ली छावनी बोर्ड	1994-95 से 2009-10	112	3,918.29	0	0.00	112	3,918.29
		2015-16	3	2,643.07	3	2,643.07	0	0.00
		2016-17	1	503.14	1	503.14	0	0.00
6	दिल्ली विद्युत बोर्ड एवं विद्युत क्षेत्र	1999-2000 से 2007-08	49	1,17,426.66	0	0.00	49	1,17,426.66
7	दिल्ली जल बोर्ड	1993-94 से 2012-13	103	1,21,572.28	0	0.00	103	1,21,572.28
		2013-14	10	44,770.00	9	25,650.00	1	19,120.00
		2015-16	18	1,05,212.00	18	94,212.00	0	11,000.00
8	डीडीए के भूमि एवं भवन विभाग	1993-94 एवं 2007-08	2	1,955.80	0	0.00	2	1,955.80
9	एमसीडी के भूमि एवं भवन विभाग	1993-94 से 2000-01	232	68,307.35	0	0.00	232	68,307.35
10	एनडीएमसी	1993-94 से 2012-13	9	9,529.37	0	0.00	9	9,529.37
		2015-16	9	7,832.00	6	7,519.00	3	313.00
11	डीयूएसआईबी	2011-12 से 2012-13	17	44,040.00	0	0.00	17	44,040.00
		2015-16	11	27,183.38	10	27,086.40	1	96.98
12	डीएसआईआईडीसी	2010-11 से 2012-13	4	90,314.67	0	0.00	4	90,314.67
13	डीटीटीडीसी	2011-12 से 2012-13`	2	8,81.12	0	0.00	2	881.12
		2015-16	1	765.35	0	0.00	1	765.35
14	पर्यटन विभाग	1998-99 से 2016-17	25	10,267.93	0	0.00	25	10,267.93
15	यू.डी. विभाग	2002-03 से 2013-14	79	8,985.56	0	0.00	79	8,985.56
16	पर्यावरण विभाग	2015-16 से 2016-17	13	1,583.90	13	1,583.90	0	0.00
17	कला संस्कृति एवं भाषा विभाग	2004-05 से 2013-14	536	25,335.19	536	25,335.19	0	0.00
		2016-17	-	7,108.81	-	7,108.81	-	0.00
18	एससी/एसटी/ओबीसी के कल्याण के लिए निदेशालय	1995-96 से 1997-98	95	333.73	0	0.00	95	333.73
		2000-01	3	15.08	0	0.00	3	15.08
		2004-05 से 2016-17	41	5,406.02	0	0.00	41	5,406.02
19	जी.ए.डी.	2010-11 से 2011-12	0	232.28	0	47.56	0	184.72
20	आईटी विभाग	2006-07	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		2008-09 से 2009-10	4	587.81	4	532.6	0	55.21
		2011-12 से 2012-13	2	5.01	2	5.01	0	0.00
21	कानून विभाग	2009-10 से 2016-17	8	1,852.50	8	1,706.48	0	146.02
21	ऊर्जा विभाग	2016-17	3	1,549.19	3	1,246.54	0	302.65
22	योजना विभाग	2016-17	1	8.80	1	8.80	0	0.00
23	उप. आयुक्त (नई दिल्ली)	2011-12	2	9.67	0	0.00	2	9.67
24	सी.पी.ओ. (डी.एस.डब्ल्यू)	2015-16	2	114.68	2	114.68	0	0.00
25	परिवहन विभाग (डीटीसी)	2016-17	2	1,55,000.00	2	1,55,000.00	0	0.00
26	एसपीसीए (पशुपालन)	2016-17	2	2,257.00	2	2,257.00	0	0.00
27	परिवार कल्याण निदेशालय	2016-17	9	5,071.36	4	3,927.05	5	1,144.31
28	सड़क सुरक्षा कक्ष	2005-06	1	70.10.	0	19.50	1	50.60
29	प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा निदेशालय (डीटीटीई)	2007-08 से 2013-14	89	64,657.36	78	61,733.76	11	2,923.6
		2016-17	41	19,672.06	39	19,624.50	2	47.56

**31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1**

30	आई.एस.एम. एण्ड एच निदेशालय	2002-03	1	0.75	0	0.00	1	0.75
		2005-06	1	1.70	0	0.00	1	1.70
		2016-17	9	1,814.33	8	1,753.33	1	61.00
31	समाज कल्याण निदेशालय	1993-94 से 2016-17	1,724	4,088.80	304	361.85	1,420	3,726.95
32	डी.एल.एस.ए.	2016-17	3	650.00	3	650.000	0	0.00
33	स्वास्थ्य सेवायें निदेशालय	1998-99 से 2005-06	50	828.28	0	0.00	50	828.28
		2009-10 से 2016-17	713	39,7002.39	634	2,81,985.56	79	1,15,016.83
34	औद्योगिक विभाग	2010-11	4	8,529.50	4	8,529.50	0	0.00
		2012-13	13	1,332.72	13	1,332.72	0	0.00
		2014-15 से 2016-17	53	4,672.00	53	4,558.16	0	113.84
		<b>कुल</b>	<b>4,471</b>	<b>16,43,580.30</b>	<b>1,804</b>	<b>9,48,216.99</b>	<b>2,667</b>	<b>6,95,363.31</b>

## परिशिष्ट 3.2

निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा की स्थिति का विवरण  
(पैराग्राफ 3.3 को देखें)

क्र.सं.	निकायों/प्राधिकरणों के नाम	नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा सौंपे जाने की अवधि	जिस वर्ष तक के लेखे जमा कराए गए	जिस अवधि तक के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस ए आर) जारी किए गए	विधायिका में प्रस्तुत की गई एस ए आर	वर्ष जिनके लेखे देय हैं	लेखे जमा करने में विलम्ब की अवधि (वर्ष में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	दिल्ली कल्याण समिति (दि.क.स.)	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 20 (1) के अंतर्गत वर्ष 2013-14 से 2022-23 के लिए सौंपा जाना	2013-14	2013-14	विधायिका में पेश नहीं की गई	2014-15 तथा 2016-17	3
2.	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जी.जी.एस.आई.पी.यू)	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम धारा 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2016-17	2015-16	प्रस्तुत की जानी है।	-	-
3.	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.एस.आई.टी)	2012-13 से 2016-17 नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2014-15	2014-15	प्रस्तुत की जानी है।	2015-16 एवं 2016-17	2
4.	दिल्ली जल बोर्ड (दि.जे.बो.)	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2011-12	2011-12	स्थिति प्रतीक्षित	2012-13 से 2016-17	5
5.	दिल्ली भवन अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. धारा 19(2) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2014-16	2013-14	प्रस्तुत की जानी है।	2016-17	1
6.	दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए.)	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम धारा 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2016-17	2015-16	प्रस्तुत नहीं की गई है।	-	-
7.	दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डी.ई.आर.सी.)	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम धारा 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2016-17	2016-17	वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 15.01.2018 को राज्य विधायिका में प्रस्तुत की गई	-	-
8.	अम्बेडकर विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम धारा 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2016-17	2016-17	प्रस्तुत नहीं की गई	-	-
9.	इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम के सेक्शन 20(3) के अंतर्गत वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 के लिए सौंपा जाना	2016-17	2015-16	वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2015-16 तक के लिए 08.08.2017 को राज्य विधायिका में प्रस्तुत की गई	-	-
10.	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम के सेक्शन 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	-	-	-	2010-11 से आरम्भ हुई।	7



# शब्दावली



## शब्दावली

<b>राजस्व प्राप्तियाँ</b>	राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघ के करों और शुल्क में राज्य का अंश और भा.स. के सहायता अनुदान शामिल हैं।
<b>पूंजीगत प्राप्तियाँ</b>	पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से होने वाली प्राप्तियाँ, ऋण व अग्रिमों की वसूलियाँ, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्त संस्थानों/व्यावसायिक बैंकों से प्राप्त उधार) और भा.स. से प्राप्त ऋण व अग्रिम और लोक लेखा से प्राप्ति शामिल हैं।
<b>उत्प्लावकता अनुपात</b>	उत्प्लावकता अनुपात किसी आधार चर में एक परिवर्तन के संदर्भ में किसी राजकोषीय चर की प्रतिक्रियात्मकता की मात्रा या सापेक्ष प्रतिक्रियात्मकता का स्तर दर्शाता है। उदाहरण के लिए राजस्व प्राप्ति का 0.5 होना यह व्यक्त करता है कि राजस्व प्राप्ति में 0.5 प्रतिशत बिंदु की वृद्धि होती है, यदि स.रा.घ.उ. एक प्रतिशत बढ़ता है।
<b>मौलिक सार्वजनिक वस्तुएँ</b>	मौलिक सार्वजनिक वस्तुएँ वे हैं जो सभी नागरिक साथ-साथ उपयोग करते हैं अर्थात् ऐसी वस्तु के किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस वस्तु के उपयोग में कमी नहीं आती है, यथा-कानून व्यवस्था लागू करना, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षा, प्रदूषणमुक्त वायु व पर्यावरणीय वस्तुएँ व सड़क अवसंरचना, इत्यादि।
<b>योग्यतामूलक वस्तुएँ</b>	योग्यतामूलक वस्तुएँ वे वस्तुएँ हैं जिसे सार्वजनिक क्षेत्र निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर प्रदान करता है क्योंकि एक व्यक्ति या समाज को वे आवश्यकता की एक संकल्पना के आधार पर मिलने चाहिए, न कि सरकार को भुगतान करने की क्षमता या इच्छा के कारण। ऐसी वस्तुओं के उदाहरण हैं पोषाहार हेतु निर्धनों को निःशुल्क व रियायती भोजन, जीवन की गुणवत्ता सुधारने तथा रूग्णता कम करने हेतु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, सभी को मौलिक शिक्षा प्रदान करना, पेय जल व स्वच्छता, इत्यादि।
<b>विकास व्यय</b>	व्यय के आंकड़ों को विकास और गैर-विकास व्यय में विभाजित कर विश्लेषण करते हैं। राजस्व लेखा, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिम से संबंधित सभी व्यय को

सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ और सामान्य सेवाओं में श्रेणीबद्ध किया जाता है। स्पष्ट तौर पर सामाजिक और आर्थिक सेवाएँ विकास व्यय में शामिल हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर-विकास व्यय के रूप में लिया जाता है।

#### **ऋण धारणीयता**

ऋण धारणीयता को एक समयावधि के भीतर राज्य द्वारा एक स्थिर ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बनाए रखने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और इससे अपने ऋण की चुकौती की योग्यता भी संबंधित है। इस प्रकार, ऋण की धार्यता का अर्थ वर्तमान व प्रतिबद्ध देयताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त तरल संपत्ति का होना और अतिरिक्त ऋण की लागतों और इस ऋणों से प्राप्त रिटर्न के बीच संतुलन बनाए रखना भी है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के समान हो।

#### **गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता**

अभिवृद्ध्यात्मक ब्याज देयताओं और अभिवृद्ध्यात्मक प्राथमिक व्यय की पूर्ति हेतु राज्य की अभिवृद्ध्यात्मक गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण धार्यता को प्राप्त किया जा सकता है यदि अभिवृद्ध्यात्मक गैर-ऋण प्राप्तियों से अभिवृद्ध्यात्मक ब्याज देयता और अभिवृद्ध्यात्मक प्राथमिक व्यय की पूर्ति हो सके।

#### **उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता**

इसे ऋणनिर्मोचन (मूल और ब्याज के भुगतान का जोड़) से कुल ऋण प्राप्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं जो दर्शाता है कि ऋण निर्मोचन में किस सीमा तक ऋण प्राप्तियों का प्रयोग हुआ, जो उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को दर्शाता है।

#### **प्राथमिक राजस्व व्यय**

प्राथमिक राजस्व व्यय का अर्थ ब्याज भुगतान से शेष रहने वाला राजस्व व्यय है।

#### **निवल ऋण उपलब्ध**

राज्य को उपलब्ध निवल ऋण का अर्थ सार्वजनिक ऋण पुनर्भुगतान पर सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों से और सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान से अधिकता है।



© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

[www.agaudelhi.cag.gov.in](http://www.agaudelhi.cag.gov.in)